# mRrj Ánss'k iqfyl

# Hkou gLr iqfLrdk

## 2012

¼Hkouksa ds fuekZ.k] vuqj{k.k] /oLrhdj.k Hkkfe&Hkou ds vfHkys[kksa] tydj] Hkou dj rFkk fo|qr O;; ds fo"k; esa iqfyl egkfuns'kd] mRrj Ánss'k ds funsZ'k½

## mRrj Ánss'k iqfyl eq[;ky;]
## bykgkckn

सर्वाधिकार
mRrj Án'k ifyl e[;ky;
इलाहाबाद

संस्करण : 2012

मुद्रक
**आर. के. प्रिंटर्स**
३९बी चाहचन्द, इलाहाबाद

अतुल
आई.पी.एस.

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश
1–तिलक मार्ग,
लखनऊ–226001
दूरभाष:0522–2206104
सीयूजी:9454400101
दिनांक:मार्च ९ ,2012

प्रिय महोदय,

विभागीय भवनों (अनावासीय/आवासीय) का सही ढंग से निर्माण, अनुरक्षण, भूमि तथा भवनों के अभिलेखों का रख रखाव, पुलिस अधीक्षक (जिला प्रमुख)/ सेनानायक/प्रभारी इकाई का महत्वपूर्ण दायित्व है। पुलिस विभाग के भवनों के निर्माण, अनुरक्षण–विशेष/सामान्य मरम्मत, छुद्रमूल निर्माण कार्य, विद्युतीकरण कार्य एवं भूमि एवं भवन के अभिलेखों के रख–रखाव आदि के सम्बन्ध में समय–समय पर निर्गत निर्देशों/शासनादेशों के परिप्रेक्ष्य में पुलिस मुख्यालय एवं पुलिस महानिदेशक द्वारा पूर्व निर्गत निर्देशों को अवक्रमित करते हुये इस 'भवन हस्त पुस्तिका' के रूप में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये जा रहे हैं। सर्व सम्बन्धित इसका सही भावना से पालन करें।

भवदीय,

9.3.

( अतुल )

समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
पुलिस विभाग, उत्तर प्रदेश।

प्रेषक,

सुलखान सिंह,
अपर पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय,
उ० प्र० पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद।
दूरभाष– सी०यू०जी०– 9454400101

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
पुलिस विभाग, उत्तर प्रदेश।

पुलिस विभाग के भवनों के निर्माण, अनुरक्षण–विशेष/सामान्य मरम्मत, छुद्रमूल निर्माण कार्य, विद्युतीकरण कार्य एवं भूमि एवं भवन के अभिलेखों के रख–रखाव आदि के सम्बन्ध में वर्तमान समय में पुलिस विभाग में ऐसी कोई मार्ग–दर्शिका उपलब्ध नहीं है, जिससे इनके बारे में विस्तृत जानकारी मिल सके। सम्यक जानकारी के अभाव में कई बार अनेक कठिनाइयां होती हैं।

उपर्युक्त के दृष्टिगत समय–समय पर निर्गत निर्देशों/शासनादेशों के आलोक में यह हस्त पुस्तिका तैयार की गयी है। आशा है कि यह विभाग के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। इस सम्बन्ध में यदि कोई और सुझाव हो तो उससे पुलिस मुख्यालय को अवगत कराया जाय, ताकि इसे भविष्य में परिमार्जित किया जा सके। यह हस्तपुस्तिका पुलिस महानिदेशक, उ०प्र०, के निर्देशों/आदेशों का संकलन है। अतएव यह यथा निर्दिष्ट समस्त पुलिस अधिकारियों तथा इस कार्य में नियोजित निर्माण इकाईयों/ कार्यदायी संस्थाओं पर बाध्यकारी है। फिर भी यदि कहीं पर ऐसा पाया जाये कि कोई निर्देश किसी शासनादेश/नियमावली या अभियांत्रिकी के सिद्धान्तों के प्रतिकूल है तो इसे तत्काल पुलिस मुख्यालय के संज्ञान में लाया जाये ताकि उसे ठीक किया जा सके।

इस हस्तपुस्तिका में वर्तमान वित्तीय सीमायें एवं शासकीय व्यवस्थाओं के अनुरूप संदर्भ/उद्धरण दिये गये हैं। समय–समय पर शासन द्वारा संशोधन/ परिवर्तन के अनुसार ही इनका पालन किया जाना अपेक्षित है।

भवदीय,

9/3/12

(सुलखान सिंह)

दिनांक:इलाहाबाद:मार्च 9 ,2012

# vuØef.kdk


| v/;k; | fo"k; | i"B l[;k |
|---|---|---|
| 1 | सामान्य | 9—10 |
| 2 | भवनों का मानकीकरण | 11—20 |
| 3 | निर्माण | 21—34 |
| 4 | पुलिस विभाग के आवासीय एवं अनावासीय भवनों का विशेष मरम्मत/अनुरक्षण | 35—45 |
| 5 | भूमि एवं भवन के अभिलेखों का रख—रखाव | 46—48 |
| 6 | भवनों का किराया, गृहकर व जलकर | 49—53 |
| 7 | विद्युत व्यय | 54—54 |
| 8 | संलग्नक | 55—175 |

# अध्याय–1

# lkekU;

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–5 भाग–1 के प्रस्तर 262 एवं 264 (संलग्नक–1) के अनुसार कार्य की परिभाषायें एवं सामान्य नियम निम्नवत् हैं :–

## ifjHkk"kk;s

dk;k dk Ákj fEHkd :Ik ls nks Jsf.k;ksa esa foHkkftr fd;k x;k gS% ßewy&dk;Þ vkSj ßejEer ;k lq/kkjÞ

मूल कार्य में सभी नये निर्माण सम्मिलित हैं, भले ही वे नये कार्यो के अतिरिक्त हों या अस्तित्वाधीन कार्य के अतिरिक्त तथा संपरिवर्तित कार्य जो कि इमारत के मूल्य पूँजी या कार्य के कारण बढ़े हों। नयी खरीदी गयी या पूर्वतः छोड़ी गयी इमारत, जिसका प्रयोग करना अपेक्षित हो, मूल कार्य में ही आयेंगे।

मरम्मत या सुधार में सभी ऐसे कार्य सम्मिलित हैं, जो इमारतों को सामान्य उपयोग में रखने हेतु इमारत को उचित दशा में रखने के लिए अपेक्षित है।

## lkekU; fu;e

(अ) आवासीय इमारतों को छोड़कर सभी इमारतों के रख–रखाव तथा मरम्मत का दायित्व मय, विद्युत, सफाई, जल आपूर्ति तथा सम्बन्धित विभाग के स्थानीय अधिकारियों पर अधिरोपित सभी लघु कार्यो का निष्पादन विभाग के प्रमुख के नियंत्रण के विषय होंगे। जब कभी भी अपेक्षित हो, लोक निर्माण विभाग सिविल विभागों के कार्य, अभिलेख योजना, इमारत रजिस्टर इत्यादि के सम्बन्ध में सहायता प्रदान करेगा तथा ऐसे कार्य से सम्बन्धित विनिर्दिष्ट बिन्दुओं पर परामर्श हेतु पूछ सकेगा।

(ब) वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–5 भाग–1 के प्रस्तर 294–297 तथा 298 (lyXud&2½ dk vuqlkj] सिविल अधिकारी के निर्माणाधीन लोक निर्माण विभाग सभी विभागों की इमारतों में छोटे तथा बड़े कार्यों का भी निष्पादन करेगा, सरकार के स्टाफ तथा सदस्यों के पदीय आवासों की मरम्मत तथा रख–रखाव तथा उनकी इमारतों से सम्बन्धित लघु कार्यो का भी निष्पादन करेंगे।

## bekjrksa dk fujh{k.k

(1) कच्ची इमारतों के सिवाय तथा इमारतों के समूल जो कि मुख्य कच्चे रूप में हैं, लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता से निम्न श्रेणी के न होने वाले अधिकारी द्वारा सभी इमारतें हर दूसरे वर्ष निरीक्षित की जाएं। अधीक्षण अभियंता अभिनिश्चय करेंगे तथा कब्जाधीन विभाग के स्थानीय प्रमुख को आमंत्रण की सूचना देंगे। प्रत्येक जिले में जिन इमारतों का निरीक्षण सहायक अभियंता द्वारा किया जाएगा, वे प्रखंड अभियंता द्वारा निरीक्षित की जाएंगी। मुख्य अभियंता द्वारा विनिर्दिष्ट प्रारूप पर निरीक्षण अधिकारी अपने निरीक्षण का परिणाम अभिलिखित करेंगे, जिसकी एक प्रति वे स्थानीय अधिकारी तथा एक प्रति अधीक्षण अभियंता को भेज देंगे। सूचना में आयी सभी त्रुटियों के निवारणार्थ स्थानीय प्रमुख आवश्यक कदम उठायेंगे।

(2) किसी भी विभाग के प्रमुख एक वर्ष के भीतर किसी भी समय इमारत के निरीक्षण हेतु लोक निर्माण विभाग को कह सकेंगे।

(3) ऐसी इमारत, जिसकी छत लकड़ी या बीम की हो, प्रत्येक वर्ष लोक निर्माण विभाग द्वारा निरीक्षण की जाएगी।

(4) लोक निर्माण विभाग के निरीक्षण अधिकारी इसके विशेष बिन्दुओं की रिपोर्ट देंगे भले ही इसकी चातुर्दिक मरम्मत समुचित हो।

अध्याय–2

# Hkouk dk ekudhdj.k

पुलिस विभाग में बनने वाले विभिन्न प्रकार के आवासीय/अनावासीय भवनों के अन्तर्गत नक्सल क्षेत्रों में थानों/चौकियों के प्रशासनिक भवनों का मानकीकरण हो चुका है। सामान्य थाना के प्रशासनिक भवन, रिपोर्टिंग पुलिस चौकी, साधारण (ग्रामीण) पुलिस चौकी, महिला थाना, बैरिक तथा आवासीय भवनों के अन्तर्गत श्रेणी–1, 2 व 3 के मानकीकरण का प्रकरण शासन में विचाराधीन है। जब तक शासन से मानकीकरण आदेश जारी नहीं होते हैं, तब तक इन्हीं मानकों के अनुरूप भूमि का आँकलन किया जाना तथा डी०पी०आर० (Detailed Project Report) का बनाया जाना अपेक्षित है। इनका संक्षिप्त विवरण निम्नवत् है :–

## Á'kklfud Hkou

| क्र. सं. | भवन | प्रस्तावित कुर्सी क्षेत्रफल (वर्ग मीटर) | निर्मित किये जाने वाले भवनों का विवरण |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| (1) | Fkkuk ¼lkekU;½ | 1,631.00 | थाना कार्यालय, थानाध्यक्ष कक्ष, एस०आई० रूम–2, मालखाना (2), पुरुष व महिला हवालात, कम्प्यूटर कक्ष, कम्प्लेनेन्ट रूम/आगन्तुक कक्ष, आगन्तुक अधिकारी कक्ष, इन्टेरोगेशन रूम, महिला रेस्ट रूम, मीटिंग हाल, सम्पर्क/ स्वागत कक्ष, मनोरंजन कक्ष, गैराज, बैरक– क्षमता 54 जवान (मैस, डायनिंग हाल व टायलेट ब्लाक सहित) जो अधिक नियतन के लिए आवश्यकतानुसार बढ़ायी जा सकेगी, बाउण्ड्रीवाल ऊँचाई 2.40 मी०, लम्बाई आवश्यकतानुसार, सन्तरी पोस्ट, जलापूर्ति, सीवरेज, नाली एवं बाह्य विकास कार्य– भूमि की माप के आवश्यकतानुसार। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| (2) | थाना (अष्टकोणीय) नक्सल प्रभावित क्षेत्रों हेतु | 918.90 | शा०सं० 114/6–पु–7–2010–181/2009, दि० 28.4.2010 द्वारा नक्सल प्रभावित जनपदों में निर्मित किये जाने वाले थाना भवन/पुलिस चौकी के प्रशासनिक भवन एवं थाना भवन परिसर में 28 व्यक्तियों की बैरक के निर्माण कार्य का मानकीकरण किया गया है। थाना भवन/पुलिस चौकी के प्रशासनिक भवन के निर्माण हेतु कुर्सी क्षेत्रफल– 918.90 वर्ग मीटर एवं प्रशासनिक भवन के परिसर में रिर्जव बैरक (28 व्यक्तियों हेतु) 510.00 वर्गमीटर तथा भूमिगत पैसेज हेतु 37.63 वर्गमीटर कुल 510.00+37.63 =547.63 वर्गमीटर का क्षेत्रफल निर्धारित किया गया है।<br><br>नक्सल प्रभावित जनपदों के लिए प्रस्तावित थाना भवन का मानचित्र एवं कुर्सी क्षेत्रफल तथा पुलिस चौकी के लिए प्रस्तावित क्षेत्रफल व मानचित्र एक समान है, परन्तु थाना परिसर भवन में 28 व्यक्तियों की रिजर्व बैरक का अतिरिक्त प्राविधान सम्मिलित है। कुर्सी की अतिरिक्त ऊँचाई, भूमिगत जल सर्वेक्षण, सी०सी०रोड, मृदा परीक्षण, जल निकासी हेतु नाली के कार्य स्थल की वास्तविक स्थिति के अनुसार भिन्न होगी। परिसर में 07 नग अतिरिक्त मोर्चे की स्थापना की जायेगी। नक्सल प्रभावित जनपदों में थाना भवन/पुलिस चौकी के प्रशासनिक भवन एवं 28 व्यक्तियों की बैरक के निर्माण हेतु एरिया स्टेटमेन्ट एवं मानचित्र की छायाप्रतियाँ संलग्न है (संलग्नक–2.3, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4) |
| (3) | efgyk Fkkuk | 331.15 | कार्यालय, मालखाना, पुरुष व महिला हवालात, आगन्तुक कक्ष (प्रसाधन सहित), थाना प्रभारी कक्ष, एस०आई० रूम, गैराज एवं बैरक– क्षमता 6 व्यक्ति तथा बाउण्ड्रीवाल ऊँचाई 2.40 मी०, लम्बाई आवश्यकतानुसार, सन्तरी पोस्ट, जलापूर्ति, सीवरेज, |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | नाली एवं बाह्य विकास कार्य– भूमि की माप के आवश्यकतानुसार। |
| (4) | fjkfVx ifyl pkdh | 168.25 | कार्यालय, मालखाना, पुरुष व महिला हवालात, चौकी प्रभारी/एस० आई० रूम एवं बैरक– क्षमता 7 व्यक्ति तथा बाउण्ड्रीवाल ऊँचाई 2.40 मी०, लम्बाई आवश्यकतानुसार, सन्तरी पोस्ट, जलापूर्ति, सीवरेज, नाली एवं बाह्य विकास कार्य– भूमि की माप के आवश्यकतानुसार। |
| (5) | lk/kkj.k ifyl pkdh (विशेष ग्रामीण पुलिस चौकी) | 107.75 | कार्यालय, मालखाना, चौकी प्रभारी/एस० आई० रूम एवं बैरक– क्षमता 5 व्यक्ति तथा बाउण्ड्रीवाल ऊँचाई 2.40 मी०, लम्बाई आवश्यकतानुसार, सन्तरी पोस्ट, जलापूर्ति, सीवरेज, नाली एवं बाह्य विकास कार्य– भूमि की माप के आवश्यकतानुसार। |

## cjd

| क्र.सं. | विवरण | प्रस्तावित कुर्सी क्षेत्रफल (वर्ग मीटर) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| (1) | 12 व्यक्ति क्षमता | भूतल– 201.05 वर्ग मी०<br>प्रथम तल– 37.75 वर्ग मी० |
| (2) | 24 व्यक्ति क्षमता | भूतल– 182.00 वर्ग मी०<br>प्रथम तल– 182.00 वर्ग मी०<br>द्वितीय तल– 41.50 वर्ग मी० |
| (3) | 48 व्यक्ति क्षमता | भूतल– 275.00 वर्ग मी०<br>प्रथम तल– 275.00 वर्ग मी०<br>द्वितीय तल– 45.00 वर्ग मी० |
| (4) | 72 व्यक्ति क्षमता | भूतल– 560.03 वर्ग मी०<br>प्रथम तल– 407.47 वर्ग मी०<br>द्वितीय तल– 92.50 वर्ग मी० |

## vkokl h; Hkou

| क्र. सं. | श्रेणी | एक ब्लाक का प्रस्तावित कुर्सी क्षेत्रफल (वर्ग मीटर) | निर्मित किये जाने वाले भवनों का विवरण |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| (1) | श्रेणी–प्रथम (स्पेशल)<br>16 आवास–एक ब्लाक (1+3)<br>¼dkU lVcy rd d in /kkjdk gr½ | 785.60 | दो कमरे (24.59 वर्गमी०), लाबी (10.05 वर्गमी०), बरामदा (5.52 वर्गमी०), रसोईघर, स्नानगृह/शौचालय |
| (2) | श्रेणी–द्वितीय (स्पेशल)<br>08 आवास–एक ब्लाक (1+3)<br>¼gM dkU lVcy] ,å,lå vkbå ¼,e½ rFkk led{k in /kkjdk gr½ | 529.63 | तीन कमरे (33.39 वर्गमी०), लाबी (10.34 वर्गमी०), बरामदा (4.38 वर्गमी०), रसोईघर/स्टोर (7.74 वर्गमी०), कमरों से सम्बद्ध स्नानगृह/शौचालय–2 |
| (3) | श्रेणी–तृतीय (स्पेशल)<br>08 आवास–एक ब्लाक (1+3)<br>¼fujh{kd] mi fujh{kd] ,låvkbå¼,e½ rFkk led{k in /kkjdk gr½ | 703.13 | तीन कमरे (43.50 वर्गमी०), लाबी (13.80 वर्गमी०), बरामदा (4.38 वर्गमी०), रसोईघर/स्टोर (7.74 वर्गमी०), कमरों से सम्बद्ध स्नानगृह/शौचालय–2 |

पुलिस अधीक्षक कार्यालय, पुलिस अधीक्षक आवास, अपर पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारियों के आवासीय भवन तथा अन्य अनावासीय भवनों का भी मानकीकरण निकट भविष्य में करा लिया जायेगा। मानकीकरण होने तक ऐसे कार्यालय/आवासों का निर्माण प्रचलित मानचित्रों के अनुसार ही कराया जायेगा।

## vLrcy dk ekud

मानकीकरण के अभाव में प्रदेश पुलिस के सवार पुलिस मुख्यालयों पर अश्वशाला एवं अश्वशाला प्रबन्धन से सम्बन्धित निर्मित भवन अश्वों के दिनचर्या एवं उनके रख–रखाव की आवश्यकताओं के अनुरूप पर्याप्त सुविधाजनक नहीं हैं, जिससे उनके

स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। परिणामतः अश्व कानून–व्यवस्था ड्यिूटी के साथ–साथ विभिन्न स्पर्धा प्रतियोगिताओं में अच्छा प्रदर्शन नहीं दे पा रहे हैं। अतः यह आवश्यक है कि अश्वशाला एवं अश्वशाला प्रबन्धन से सम्बन्धित भवनों का मानकीकरण किया जाय, ताकि भविष्य में बनाये जाने वाले ऐसे भवन मानक के अनुरूप ही निर्मित कराये जांय।

2– अश्वों की सुविधा एवं अश्वशाला प्रबन्धन की आवश्यकताओं के मूल्यांकन के उपरान्त अश्वशाला एवं अश्वशाला प्रबन्धन से सम्बन्धित भवनों का निम्नवत् मानक रखा जाना प्रस्तावित हैः–

## ÁLrkfor ekud

### ¼1½ Hkouk dh eki ¼oxehVj e½

| Hkou vkfn dk uke | yEckbZ | pkSMkbZ | ÅapkbZ | flyFk ,fj;k |
|---|---|---|---|---|
| एक अश्व हेतु बाक्स | 4.25 m | 3.5 m | 3.75 m | 14.88 $m^2$ |
| सिक रूम | 4.25 m | 3.5 m | 3.75 m | 14.88 $m^2$ |
| काठीघर (सैडिलरी रूम) | 5 m | 4 m | 3.5 m | 20 $m^2$ |
| दाना गोदाम | 6 m | 4 m | 3.5 m | 24 $m^2$ |
| घास गोदाम | 12 m | 6 m | 3.5 m | 72 $m^2$ |
| कार्यालय भवन | 5. 5 m | 4.25 m | 3.20 m | 23.38 $m^2$ |
| डिस्पेंसरी | 4.25 m | 4.25 m | 3.20 m | 18.06 $m^2$ |
| विविध स्टोर | 4.25 m | 4.25 m | 3.20 m | 18.06 $m^2$ |
| गार्द रूम | 4.25 m | 3.5 m | 3.20 m | 14.88 $m^2$ |
| राइडिंग स्कूल का मैदान | 60. 00 m | 30. 00 m | | 1800 $m^2$ |

### ¼2½ vU; ekud

- अश्वशाला में अश्वों की संख्या के 20 प्रतिशत के पूर्णांक के बराबर किन्तु कम से कम दो सिक रूम हो। इसकी फर्श कच्ची तथा उसमें दो फीट बालू डाली गयी हो।
- 12 अश्वों से अधिक की संख्या के लिये प्रत्येक 6 अश्व पर काठीघर एवं दाना गोदाम का प्लिंथ एरिया 5$m^2$ तथा घास गोदाम का प्लिंथ एरिया 8$m^2$ अधिक

रखा जाय।

- दो बाक्स के बीच की दीवार (पार्टीशन) की ऊंचाई 1.8 m हो।
- यदि पर्याप्त भूमि उपलब्ध है तो अस्तबल 2m की गैलरी के दोनों ओर (सेण्टरदार) निर्मित हो अन्यथा एक कतार में हो।
- यदि अस्तबल सेण्टरदार है तो गैलरी की ओर की दीवार 1.5 m ऊंची हो अन्यथा प्रवेश द्वार की सम्मुख दीवार पूरी ऊंचाई तक हो तथा उसमें हवा के प्रवाह हेतु 1m x 1.2m का रोशनदान हो, जो ऊंचाई पर हो बना हो।
- प्रवेश द्वार– बीचों बीच 1.8 m चौड़ा हो तथा उसके दोनों ओर 0.85 m चौड़ी व 1.2 m ऊंची दीवार हो। शेष स्थान खिड़कीनुमा खुला हो।
- अश्व बाक्स के सामने 2.25 m चौड़ा व पूरे अस्तबल की लम्बाई में बरामदा हो, जिसकी फर्श पक्की व खुरदुरी हो। *बरामदे को 1.8 m ऊंची दीवार से पार्टीशनिंग करके उसकी फर्श को पक्की के बजाय कच्ची रखते हुये दो फुट बालू भी भरवायी जा सकती है तथा उसके बाद गेट बनवाया जा सकता है ताकि अश्व अपनी सुविधा व मर्जी के अनुसार अन्दर–बाहर आ–जा सके तथा बालू वाले स्थान पर आराम भी कर सके। पक्की फर्श में रहने वाले अश्वों को अक्सर केप्ट–एल्बो व पिछले पैर के घुटनों में घाव हो जाता है, किन्तु बालू में बैठने उठने से ऐसा नहीं होगा।*
- अश्वों को खुले अथवा धूप में बांधने हेतु बरामदे के बाद 6 m चौड़ा व पूरे अस्तबल की लम्बाई में पक्की व खुरदुरी फर्श हो तथा उसके अन्त में प्रत्येक अश्व के लिये बाक्स के सामने की ओर दो–दो नाद व अश्व को बांधने हेतु अगाड़ी व पिछाड़ी के लिये छल्ले लगाये गये हों।
- अश्वों के इलाज हेतु अश्वशाला में एक अड़गड़ा हो।
- अश्वशाला के चारों ओर 2 m ऊंची बाउण्ड्रीवाल हो तथा उसमें प्रवेश के लिये 3.5 m चौड़ा मुख्य गेट लगा हो।
- राइडिंग स्कूल की चहारदीवारी की ऊंचाई 2 m हो।

### ¼3½ vU; fof'kf"V;k

- अश्वशाला फिलिंग करके आसपास की भूमि से कुछ ऊंचाई पर हो तथा अश्वों के प्रवेश के लिये पक्का व खुरदुरा रैम्प हो।
- बाक्स की फर्श रबर की (rubberized) हो।
- बाक्स में अश्व के प्रवेश द्वार के सामने की दीवार के दोनों कार्नर पर दो नाद बनी हो। बाक्स की ढलान नाद की दिशा में हो तथा उसी दिशा से पानी की निकासी की उचित व्यवस्था हो। इसका लाभ यह होगा कि पानी आदि छलकने पर या नाद की सफाई करने पर पूरा फर्श गीला नहीं होगा, पड़ी हुयी घास

गीली नहीं होगी, घोड़े का सुम बार–बार गीला होकर सड़ेगा नहीं।

- प्रवेश द्वार पर अडगड़ा लगाने व बाक्स में अश्व को बांधने हेतु छल्ले लगाये गये हों।
- प्रत्येक बाक्स में हवा के लिये एक पंखा एवं एक प्रकाश बिन्दु हो तथा वायरिंग अण्डरग्राउण्ड हो।
- पानी के लिये अश्वशाला में आवश्यकतानुसार एक अथवा दो चरही हो।
- अश्वशाला में पानी की आपूर्ति हेतु अपना नलकूप एवं आवश्यकतानुसार पाइप लाइन हो। ckDl e fufeZr ukn d Åij ,d okVj Vi Hkh yxk;k tk ldrk g rkfd ikuh yku y tku dh vko';drk u jg tk;A

## Qk;fjx jUt dk ekud

पुलिस बल के अभ्यास फायरिंग हेतु सामान्यतः निम्न प्रकार की फायरिंग रेन्ज का निर्माण किया जाता हैः–

(1) साधारण (मिनी) फायरिंग रेन्ज

(2) लाँग फायरिंग रेन्ज

(3) इण्डोर फायरिंग रेन्ज

(4) बैफल फायरिंग रेन्ज

उक्त चारों प्रकार की फायरिंग रेन्ज के मानक संलग्नक–2.3, 2.4, 2.4.1, 2.4.2 व 2.5 पर हैं।

## dk;ky;k gsrq vif{kr Hkfe dk ekud

शासनादेश संख्याः सी–2299/दस–एच–639–61, दिनांक 30.07.65 के अनुसार कार्यालय हेतु अपेक्षित भूमि का मानक निम्नवत् हैः–

| | | |
|---|---|---|
| 1 | चतुर्थ श्रेणी | अलग से स्थान नहीं चाहिए |
| | दफ्तरी | 20 वर्गफुट प्रति व्यक्ति |
| 2 | लिपिक | 40 वर्गफुट प्रति व्यक्ति |
| 3 | लेखाकार,कैशियर,वरिष्ठ सहायक, कार्यालय अधीक्षक, सहायक कार्यालय अधीक्षक, सचिवालय के कार्यालय अधीक्षक, निरीक्षक तथा तकनीकी | 60 वर्गफुट प्रति व्यक्ति |

| | | |
|---|---|---|
| | स्टाफ | |
| 4— | राजपत्रित अधिकारी,श्रेणी—2 के अधिकारी और अनुसचिव प्रशासन | 150 वर्गफुट प्रति व्यक्ति |
| | श्रेणी—1 के अधिकारी (विभागाध्यक्ष के अतिरिक्त) क्षेत्रीय उप निदेशक, अधीक्षण अभियन्ता, उप/ संयुक्त विकास आयुक्त तथा उप संयुक्त सचिव को सम्मिलित करते हुये | 200 वर्गफुट प्रति व्यक्ति |
| 5— | विभागाध्यक्ष, अतिरिक्त विभागाध्यक्ष, सचिव/ अतिरिक्त सचिव शासन | 300 वर्गफुट प्रति व्यक्ति |
| 6— | लिपिक | 40 से 60 वर्गफुट |
| 7— | अधिकारियों के लिये अटैच्ड बाथरूम | 50 वर्गफुट |
| 8— | स्टाफ के लिये बाथरूम | 1 डब्लू—सी (40 व्यक्तियों हेतु) |
| 9— | स्टाफ हेतु मूत्रालय | 1 (125 व्यक्तियों हेतु) |
| 10— | वाशबेसिन | 1 (26 व्यक्तियों हेतु) |
| 11— | अभिलेख कक्ष | (अ) स्थाई अभिलेख हेतु अवश्यकतानुसार कमरे।<br>(ब) चालू अभिलेख हेतु लिपिक संवर्ग के लिये उपलब्ध जगह का 10 प्रतिशत भाग तथा आलमारी की व्यवस्था हेतु स्थान। |
| 12— | सम्मेलन कक्ष | 500 से 800 वर्गफृट प्रत्येक विभागाध्यक्ष के कार्यालयों हेतु |
| 13— | कैन्टीन | न्यूनतम और अधिकतम 600 वर्गफृट से 1200 वर्गफुट |
| 14— | जलपान कक्ष | न्यूनतम और अधिकतम 600 वर्गफृट से 1200 वर्गफुट |
| 15— | जल कक्ष | 50 वर्गफुट |

| | | |
|---|---|---|
| 16– | साइकिल शेड | 8 वर्गफुट प्रति साइकिल |
| 17– | कार शेड | 180 वर्गफीट (राजपत्रित अधिकारियों की संख्या का 50 प्रतिशत) |
| 18– | पोर्टिको | 8 फुट चौड़ा |
| 19– | बरामदा | 10 फुट मात्र एक तरफ चौड़ा |
| 20– | पुस्तकालय कक्ष | आवश्यकतानुसार |
| 21– | पूछताछ कक्ष | 100 वर्गफुट (भवन में उपलब्ध कराया जायेगा |
| 22– | प्रतीक्षा /आगन्तुक कक्ष | 100 वर्गफुट (भवन में उपलब्ध कराया जायेगा |
| 23– | भविष्य के विस्तार हेतु | 20 प्रतिशत अतिरिक्त स्थान |

## vjktif=r vkoklh; Hkouk gsrq ekud %

(शासनादेश संख्याः– 158/8–7–669/79, दिनांक 28.02.1980 )

(क) निरीक्षक/उप निरीक्षक एवं मिनिस्ट्रियल संवर्ग आवास –100 प्रतिशत।

(ख) हेड कान्स० ना०पु० आवास–100 प्रतिशत।

(ग) हेड कान्स० स०पु० आवास 75 प्रतिशत शेष के लिये बैरिक।

(घ) कान्स० ना०पु०/स०पु० आवास – 50 प्रतिशत शेष के लिये बैरिक।

(ड.) चतुर्थ श्रेणी कर्मियों हेतु आवास– 100 प्रतिशत।

## vkoklk dh J.khokj vueU;rk ,o dlh {k=Qy %

(पुलिस कर्मियो के मूल वेतन के आधार पर)

| आवास की श्रेणी | अनुमन्य पदधारक | कुर्सी क्षेत्रफल | |
|---|---|---|---|
| | | वर्तमान | प्रस्तावित |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| श्रेणी–3 | निरीक्षक एवं उप निरीक्षक एवं समकक्ष | 79 वर्गमीटर | 95 वर्गमीटर |

| | | | |
|---|---|---|---|
| श्रेणी–2 | ए०एस०आई० (एम)/हेड कान्स० एवं समकक्ष | 57.70 वर्गमीटर | 79 वर्गमीटर |
| श्रेणी–1 (स्पेशल) | कान्स० | 45 वर्गमीटर | 60 वर्गमीटर |
| श्रेणी–1(साधारण) | चतुर्थ श्रेणी | 34.02 वर्गमीटर | |
| बैरिक | हेड कान्स०/कान्स० | 6 वर्गमीटर प्रति व्यक्ति लिविंग एरिया | |

अध्याय–3

# fuek.k

## 3-1&fuek.k gr Hkfe

### 3-1-1&Hkfe dk vkdyu%

पुलिस विभाग में बनने वाले विभिन्न प्रकार के आवासीय/अनावासीय भवनों के अन्तर्गत सम्प्रति नक्सल क्षेत्रों में बनने वाले थानों/चौकियों के प्रशासनिक भवनों का मानकीकरण हो चुका है। सामान्य थाना के प्रशासनिक भवन, रिपोर्टिंग पुलिस चौकी, साधारण (ग्रामीण) पुलिस चौकी, महिला थाना, बैरिक तथा आवासीय भवनों के अन्तर्गत श्रेणी–1, 2 व 3 के मानकीकरण का प्रकरण शासन में विचाराधीन है। जब तक शासन से मानकीकरण आदेश जारी नहीं होते हैं तब तक इन्हीं मानकों के अनुरूप भूमि का आँकलन किया जाना तथा डी०पी०आर० का बनाया जाना अपेक्षित है। ज्ञातव्य है कि इनके प्रस्ताव शासन को प्रस्तावित मानकीकरण के अनुसार भेजे जा रहे हैं तथा उसी के अनुरूप स्वीकृतियां प्राप्त हो रही हैं। उक्त भवनों के मानकीकरण के प्रस्ताव की छायाप्रतियां संलग्न हैं (lyXud&6 o 7)

पुलिस अधीक्षक कार्यालय, पुलिस अधीक्षक आवास, अपर पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारियों के आवासीय भवन तथा अन्य अनावासीय भवनों का भी मानकीकरण निकट भविष्य में करा लिया जायेगा। मानकीकरण होने तक ऐसे कार्यालय/आवासों का निर्माण प्रचलित मानचित्रों के अनुसार ही कराया जायेगा। इनके प्रचलित मानचित्रों की छायाप्रतियां भी संलग्न हैं (lyXud&8 l 12)

### 3-1-2& Hkfe dk p;u%

नये निर्माण हेतु भूमि का चयन, पहुँच मार्ग, दूरभाष सुविधा, थाना–चौकी की निकटता तथा बड़ा कस्बा आदि को दृष्टिगत रखते हुए किया जाना चाहिए।

### 3-1-3& fuek.k LFky dk p;u%

उपलब्ध भूमि में कोई निर्माण कार्य प्रस्तावित करते समय भूखण्ड का चयन इस प्रकार किया जाना चाहिए कि इस निर्माण से अनावश्यक भूमि न घिरे। पूर्व से निर्मित भवनों (Existing Buildings) से सामंजस्य बनाकर ही नए भवन बनाये जाने चाहिए। निर्माण का ले–आउट बनाते समय यह ध्यान में रखा जाय कि बची हुयी भूमि आगे के

निर्माण के लिए पर्याप्त हो। न्यूनतम आवश्यक set-off ही छोड़ा जायें। भविष्य में बहुत विस्तार होगा, इसे दृष्टिगत रखते हुए बहुमंजिली योजनायें प्रस्तावित की जायें तथा उसी के अनुसार भूमि का आँकलन किया जाना चाहिए।

## 3-1-4& p|d fyLV %

भूमि के चयन के सम्बन्ध में पुलिस मुख्यालय के परिपत्र संख्याः ग्यारह–449–2006, दिनांक 04.09.2008 (l|yXud&13) के साथ संलग्न 14 बिन्दुओं की चेक लिस्ट की सूचना भी आगणन गठित करने वाली कार्यदायी संस्था को जनपद/इकाई प्रभारी के हस्ताक्षर से उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित होगा।

**3-1-5&** स्थानीय निकायों द्वारा विकसित की जा रही योजनाओं में फायर स्टेशनों, थानों एवं चौकियों हेतु भूमि/भवन की व्यवस्था किया जाना :

शासनादेश संख्याः 2469/छः–पु०–8–07–33(विविध)/07, दिनांक 24.10.2007 जिसकी छायाप्रति पुलिस मुख्यालय के परिपत्र संख्याः ग्यारह–465–2007, दिनांक 14.03. 2008 एवं 29.11.2011 (l|yXud&14 o 14¼1)) द्वारा समस्त जनपद प्रभारियों को भेजी गयी है, के अनुसार स्थानीय निकायों, औद्योगिक विकास प्राधिकरणों, विकास प्राधिकरणों, आवास विकास प्राधिकरण, यू०पी० एस०आई०डी०सी० आदि की योजनाओं में मानक के अनुरूप अग्नि शमन केन्द्र, थाना एवं चौकी स्थापित करने के लिए इन संस्थानों द्वारा आवासीय/ अनावासीय भवनों को निर्मित कर भूमि एवं भवन गृह विभाग (पुलिस) को निःशुल्क उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है। इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जायें।

## 3-1-6& i|jku@ th.kl&'kh.kl Hkou d| LFkku ij fuek|.k %

यदि किसी भवन का निर्माण पुराने जीर्ण–शीर्ण भवन को निष्प्रयोज्य/ध्वस्त करके उपलब्ध होने वाली भूमि पर कराया जाना है तो नये कार्य का प्रस्ताव भेजने के साथ–साथ पुलिस मुख्यालय के परिपत्र संख्याः ग्यारह–886–2007, दिनांक 15.10.2011 (l|yXud&15 o 15¼1½½ द्वारा प्रेषित प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लोक निर्माण अनुभाग के शासनादेश संख्याः 1419ई०जी०/23–5–11–50 (40) ई०जी०/08, दिनांक 26.09.2011 में निहित निर्देशों के अनुरूप ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सुनिश्चित की जानी चाहिए, ताकि नये कार्य की स्वीकृति से पूर्व पुराने जीर्ण–शीर्ण भवन के ध्वस्तीकरण के उपरान्त भूमि अवश्य उपलब्ध हो जाये। उक्त शासनादेश के अनुसार पुराने/जर्जर भवनों के ध्वस्तीकरण का निर्णय लेने हेतु सीमा एवं सक्षम अधिकारी निम्नवत् हैं

(क) ऐसे भवनों, जो अपनी आयु पूर्ण कर चुके हैं, के ध्वस्तीकरण के लिए उनकी बुक वैल्यू एवं जहाँ अभिलेखों के अभाव में बुक वैल्यू उपलब्ध न हो वहाँ कम्प्यूटेड वैल्यू रु० 5.00 लाख (रु० पाँच लाख) तक है, के

ध्वस्तीकरण के बारे में जिलाधिकारी द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

(ख) ऐसे भवन, जिनकी बुक वैल्यू एवं जहाँ अभिलेखों के अभाव में बुक वैल्यू उपलब्ध न हो वहाँ कम्प्यूटेड वैल्यू रु० 5.00 लाख (रु० पाँच लाख) से अधिक एवं रु० 10.00 लाख (रु० दस लाख) तक है, के ध्वस्तीकरण के बारे में विभागाध्यक्ष द्वारा निर्णय लिया जायेगा। पुलिस विभाग के भवनों के बारे में विभागाध्यक्ष का आशय उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय से है।

(ग) इससे ऊपर की बुक वैल्यू/कम्प्यूटेड वैल्यू के प्रस्ताव शासन को भेजे जायेंगे।

## 3-2& dk;Znk;h lLFkk dk p;u %

कार्यदायी संस्था का चयन शासनादेश संख्या–ई०–8–215/दस/1998 दिनांक 09.03.1998 एवं शासनादेश सं० ई–8–303/दस–06–89/2004, दि० 02.03.2006 में निहित निर्देशों के अधीन शासन/पुलिस मुख्यालय स्तर से किया जायेगा। (संलग्नक–3.2.1, 3.2.2)

## 3-3& y&vkmV Iyku %

शासन अथवा पुलिस मुख्यालय स्तर से कार्यदायी संस्था का चयन होने के उपरान्त नामित कार्यदायी संस्था द्वारा स्थलीय निरीक्षणोपरान्त "ले–आउट प्लान" तैयार करके जनपद/इकाई प्रभारी को अनुमोदन हेतु उपलब्ध कराया जायेगा। इसका अनुमोदन करने से पूर्व जनपद/इकाई प्रभारी यह अवश्य देखें कि वह मानक के अनुरूप है अथवा नहीं और भवनों/निर्माण की जो पारस्परिक अवस्थिति हैं, उससे भवनों के उपयोग में कोई बाधा तो नहीं आयेगी। भूमि की बरबादी न होने पाये। वर्षा जल निकासी एवं पहुँच को ध्यान में रखा जाये। साथ ही पूरे भूखण्ड में बने हुए एवं भविष्य में बनने वाले भवनों को दृष्टिगत रखते हुए ही ले–आउट प्लान अनुमोदित किया जाये।

## 3-4& Mhåihåvkjå **(Detailed Project Report) :**

ले–आउट प्लान कार्यालयाध्यक्ष द्वारा अनुमोदित होने के उपरान्त कार्यदायी संस्था द्वारा डी०पी०आर० तैयार किया जायेगा। कार्यदायी संस्था निर्माण कार्य को पूर्ण किये जाने हेतु वांछित समय का आँकलन भी प्रस्तुत करेगी। समय का आँकलन डी० पी० आर० के साथ संलग्न किया जायेगा। डी० पी० आर० तैयार करने की प्रक्रिया में कार्यालयाध्यक्ष का परामर्श अवश्य लिया जाये। डी० पी० आर० तैयार करते समय "नेशनल बिल्डिंग कोड" एवं "आई० एस० कोड" के प्रावधानों का पालन अवश्य किया जायेगा। डिजाइन भूकम्परोधी रखी जाना चाहिए। डी०पी०आर० तैयार करने से पूर्व

अग्निशमन विभाग का परामर्श प्राप्त करके उनके सुझावों को शामिल किया जाना चाहिए।

डी०पी०आर० में मिट्टी भराई, विशिष्ट नींव (Piles/Raft etc.), जलापूर्ति, जल–मल शोधन तथा विद्युत व्यवस्था के सम्बन्ध में भी प्रावधान सम्मिलित किये जाने चाहिए। मिट्टी भराई की स्थिति में जिला स्तरीय समिति की संस्तुति के अनुसार कन्टूर प्लान (Contour Plan) तथा विशिष्ट नींव की स्थिति में मृदा परीक्षण आख्या ( Soil Testing Report) अवश्य संलग्न की जानी चाहिए।

### 3-4-1& t y 0;oLFkk %

जनशक्ति को देखते हुए आवश्यकतानुसार ओवर हैड टैंक, ट्यूबवेल, जल वितरण प्रणाली, पम्प हाउस एवं हैण्ड पम्पों का प्रावधान किया जाना चाहिए।

### 3-4-2& fo|qr 0;oLFkk %

विद्युत व्यवस्था हेतु ट्रांसफार्मर की क्षमता का आँकलन तथा नलकूपों के विद्युत भार की गणना विद्युत विभाग से कराकर वांछित लोड का प्रावधान डी०पी०आर० में होना चाहिए।

अनावासीय परिसर तथा पारिवारिक आवासीय परिसर के कनेक्शन एवं मीटर अलग–अलग होने चाहिए। प्रत्येक आवास में सबमीटर होना चाहिए। बैरक की विद्युत व्यवस्था अनावासीय कनेक्शन से होगी। स्ट्रीट लाइट व ट्यूबवेल आदि के मीटर भी अलग–अलग होना चाहिए। संक्षेप में आशय यह है कि जितने तरह की "विद्युत टैरिफ" विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा प्रावधानित हो, उतने ही कनेक्शन एवं मीटर होने चाहिए। इसकी स्पष्ट व्यवस्था डी०पी०आर० में रखी जाय।

### 3-4-3& lhoj 0;oLFkk %

परिसर की "सीवेज" को स्थानीय सीवर प्रणाली में जोड़ने का प्रावधान अवश्य किया जाना चाहिए। यदि उस स्थान में सीवर प्रणाली न हो तो परिसर में सीवर लाइन डालकर मल शोधन हेतु एक केन्द्रीय व्यवस्था की जानी चाहिये। इसके लिये वैकल्पिक उर्जा विभाग द्वारा तैयार मल शोधन योजना प्रणाली का प्रावधान किया जा सकता है।

### 3-4-4& lM+d 0;oLFkk %

भवनों एवं परिसर को आन्तरिक एवं बाह्य यातायात से जोड़ने वाली सड़कों का प्रावधान डी०पी०आर० में होना चाहिए।

**3-4-5&**इस प्रकार तैयार की गयी डी०पी०आर० निर्माण संस्था द्वारा सम्बन्धित जनपद/इकाई के कार्यालयाध्यक्ष को उपलब्ध करायी जायेगी। कार्यालयाध्यक्ष स्वयं

उसका अध्ययन करके पुलिस मुख्यालय को भेजेंगे। पुलिस मुख्यालय की अभियंत्रण शाखा द्वारा इसका तकनीकी परीक्षण किया जायेगा। परीक्षणोपरान्त डी०पी०आर०, स्वीकृति हेतु शासन को भेजी जायेगी।

**3-4-6&**कार्य की स्वीकृति निर्गत होते ही कार्यदायी संस्था द्वारा स्वीकृत आगणन की प्रति शासन से प्राप्त कर पुलिस मुख्यालय/जनपद/इकाई प्रभारी को उपलब्ध करायी जायेगी। स्वीकृत आगणन में शासन स्तर पर किसी "आइटम" की कटौती किये जाने पर कार्यदायी संस्था द्वारा "ले–आउट" प्लान परिवर्तित एवं इसे जनपद/इकाई प्रभारी से अनुमोदित कराकर पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा और तदनुसार ही विस्तृत आगणन बनाये जायेंगे।

## 3-5& fuek.k bdkbl ls vuqcU/k@foLrr vkx.ku o Mkbx miyC/k djk;k tkuk%

शासन से स्वीकृति प्राप्त होने पर पुलिस मुख्यालय तथा कार्यदायी संस्था के मध्य एम०ओ०यू० (अनुबन्ध) किया जायेगा। एम०ओ०यू० निर्धारित प्रारूप (lyXud&16) में रु० एक सौ के जनरल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर निर्माण इकाई द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। पुलिस विभाग की ओर से अनुबन्ध पर हस्ताक्षर अधिशासी अभियन्ता, पुलिस मुख्यालय द्वारा किये जायेंगे। तत्पश्चात् निर्माण एजेन्सी को स्वीकृत धनराशि उपलब्ध कराई जायेगी। वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–6 के प्रस्तर–375 एवं 318 के अनुसार निर्माण इकाई द्वारा निर्माण कार्य का विस्तृत आगणन एवं मानचित्र तैयार करके कार्यालयाध्यक्ष के प्रतिहस्ताक्षर कराये जायेंगे। तदोपरान्त सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करके कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा। इस प्रकार प्रतिहस्ताक्षरित एवं तकनीकी स्वीकृति प्राप्त विस्तृत आगणन एवं ड्राइंग की प्रति निर्माण इकाई द्वारा कार्यालयाध्यक्ष एवं पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी। इन्हें स्थायी अभिलेख के रूप में सुरक्षित रखा जायेगा।

शासन द्वारा स्वीकृत आगणन में एकमुश्त प्रावधानों (Lump-sum provisions) की आइटमवार विस्तृत सूची, तकनीकी विशिष्टियों तथा मूल्य सहित उपलब्ध करायी जायेगी। अगर इनका ले–आउट एवं क्षमता डी०पी०आर० के समय तय न हुई हो तो संबन्धित कार्यालयाध्यक्ष के अनुमोदन से इसे तय किया जाये। इसका उल्लेख विस्तृत सूची/विवरण में किया जाये।

## 3-6& fuek.k ds lEcU/k esa fofHkUu laLFkkvksa ls vukifRr Áek.k&i= ÁkIr fd;k tkuk%

निर्माण के सम्बन्ध में स्थानीय निकाय/विकास प्राधिकरण से मानचित्र पास

कराने, पर्यावरण विभाग, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करने का दायित्व कार्यदायी संस्था का होगा।

## 3-6-1& lk;kioj.k fo"k;d vukifRr Áek.k&i= %

जहाँ आवश्यक हो, भारत सरकार के मिनिस्ट्री आफ इनवायरमेंट एण्ड फारेस्ट के द्वारा इनवायरमेंट प्रोटेक्शन रूल 1986 के नियम–5 के उप नियम–3 के अन्तर्गत जारी अधिसूचना सं०– एस०ओ० 1533, दिनांक 14.09.2006 के अनुसार ई०आर०ए० (Environment Regulatary Authority) कमेटी से नियमानुसार निर्माण पूर्व अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करके पुलिस विभाग के भवनों का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। इसका प्रावधान डी०पी०आर० में किया जायेगा। प्रमाण–पत्र मूलरूप में जनपद/इकाई प्रभारी को उपलब्ध कराया जायेगा। यह दायित्व निर्माण संस्था का होगा।

## 3-6-2& Án"k.k fu;=.k ckMl l vukifRr Áek.k&i= %

जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के प्रावधानों के अन्तर्गत, जहाँ आवश्यक हो, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण–पत्र पहले प्राप्त करके पुलिस विभाग के भवन का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाना चाहिये। यह दायित्व निर्माण संस्था का होगा।

## 3-6-3& fodkl Ákf/kdj.k l ekufp= ikl djkuk %

पुलिस विभाग के भवनों के प्लान एवं मानचित्रों को विकास प्राधिकरण से अनुमोदित कराकर भवन का निर्माण कराया जाना चाहिए। प्लान एवं मानचित्रों को विकास प्राधिकरण से अनुमोदित कराना निर्माण संस्था का दायित्व होगा।

## 3-6-4& vfXu'keu lj{kk dk Áek.k i= %

उ० प्र० अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा अधिनियम 2005 का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु डी०पी०आर० में प्रावधान किया जाना चाहिए। यह दायित्व भी निर्माण संस्था का होगा।

## 3-7& Hkouk d yfoy dk fu/kkj.k %

3.7.1 आस–पास की भूमि का स्तर, वर्षा जल का भराव, ढलान एवं जल निकासी को ध्यान में रखकर परिसर का भूमि स्तर तय किया जायेगा। यदि भूखण्ड में सामान्यता तेज वर्षा होने पर जल भराव नहीं होता है तो भूखण्ड में मिट्टी भराव की आवश्यकता नहीं होगी। यदि जल भराव होता हो तो जल भराव के

स्तर से 450 मिलीमीटर ऊँचाई तक मिट्टी का भराव पूरे भूखण्ड में किया जायेगा।

3.7.2 भवन का डी०पी०सी० का स्तर भूमि के स्तर (प्राकृतिक या मिट्टी भरने के बाद जो भी अधिक हो) से न्यूनतम 450 मिलीमीटर ऊपर रखा जायेगा।

3.7.3 दीवालों के एप्रेन का स्तर भूमि के स्तर से 100 मिलीमीटर ऊँचा रखा जायेगा।

3.7.4 परिसर के अन्दर सड़कों का स्तर वहाँ की भूमि के स्तर से न्यूनतम 100 मिलीमीटर तथा अधिकतम 150 मिलीमीटर रखा जायेगा।

3.7.5 पूरे भूखण्ड की लेवलिंग करके जल निकासी हेतु खुली नालियों का निर्माण इस प्रकार किया जायेगा कि वे भारी वर्षा में ओवरफ्लो न करें एवं समस्त जल निकल जाये।

## 3-8& ukfy;k %

3.8.1 नालियों का निर्माण अच्छी तरह लेवलिंग करके किया जाये ताकि अन्दर पानी एकत्र न हो। परिसर का ढाल ऐसा रखा जायेगा कि पानी भवनों के एप्रेन के साथ बनी नाली की ओर जाये। दीवारों के किनारे पानी न लगे यह ध्यान में रखा जाये।

3.8.2 नालियों का निर्माण समुचित स्लोप देते हुए इस प्रकार कराया जाना चाहिए कि पानी परिसर से बाहर निकल जाये तथा जल भराव की स्थिति न हो।

3.8.3 नालियों का एक ले–आउट प्लान तैयार किया जाना चाहिए जिसमें स्थान–स्थान पर नाली की चौड़ाई, गहराई एवं लेविल स्पष्ट रूप से अंकित किया जाये।

## 3-9& Hkouksa ij uke ,oa rduhdh fooj.k vafdr fd;k tkuk %

3.9.1 भवनों के मुख्य गेट के ऊपर भवन/परिसर का नाम अंकित किया जाना चाहिए।

3.9.2 प्रवेश द्वार के समीप भवन की दीवार पर एक पत्थर में भवन की मापें (Dimensions), भवन का कुल क्षेत्रफल, कुल लागत, निर्माण का वर्ष, निर्माण कराने वाली संस्था तथा उनके प्रोजेक्ट प्रभारी अभियन्ता एवं तत्कालीन कार्यालयाध्यक्ष का नाम अंकित किया जाना चाहिए।

## 3-10& dk;l i.kl gkuk ,o Hkou dk gLrxr djuk %

3-10-1 कार्यदायी संस्था द्वारा भवन का निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरान्त हस्तान्तरण प्रपत्र, इन्वेन्ट्री सहित सम्बन्धित जनपद/इकाई प्रभारी को प्रस्तुत किया जायेगा। भवन के हस्तान्तरण हेतु पुलिस मुख्यालय के परिपत्र संख्याः ग्यारह–1061–2006, दिनांक 06.03.2007, 11.02.2008 एवं 02.11.2010 (lyXud&17] 17¼1½] 17¼2)) के अनुसार जनपद/इकाई के प्रभारी अधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जायेगा, जिसमें पुलिस उपाधीक्षक,भवन, परिक्षेत्रीय अवर अभियन्ता एवं निर्माण इकाई के अधिशाषी अभियन्ता/सक्षम स्तर के अधिकारी सदस्य रहेंगे। यह समिति वास्तविक निर्माण/इन्वेन्ट्री के अनुसार भवन का कब्जा प्राप्त करने की कार्यवाही की जायेगी तथा कब्जा प्राप्त करने की तारीख से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराया जायेगा। बड़े कार्यो में लोक निर्माण विभाग से अनुरोध करके एक सहायक या अवर अभियन्ता को नामित करा लिया जाय, ताकि सही नाप– जोख करके शासन द्वारा स्वीकृत डी०पी०आर० तथा अनुमोदित ले–आउट प्लान के अनुसार कार्य का कब्जा लिया जा सके।

यदि किसी कार्य की नाप–जोख स्वीकृत मापों से कम हो या अन्य कोई कमी हो तो उसे स्पष्ट रूप से अंकित करके ठीक कराया जाय। यदि ठीक न हो सकने वाली कमी हो तो प्रकरण को पुलिस मुख्यालय के संज्ञान में लाया जाय।

3-10-2 Hkou dk fuek.k dk;l i.kl gk tkus ij fuek.k ,tUlh }kjk fuEukuqlkj lyku@MkbXl miyC/k djk;s tk;sxs :–

(1) सीवर पाइप लाइन प्लान एवं उनके चैम्बर, ग्राउण्ड लेबिल से गहराई दिखाते हुए।

(2) सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट, यदि हो तो उसकी विशिष्टियाँ एवं ड्राइंग।

(3) ओवर हेड टैंक, ट्यूबवेल एवं हैण्ड पम्प की लोकेशन दिखाते हुए जलापूर्ति पाइप लाइन की ड्राइंग। इसमें पाइप लाइन का व्यास भी दिखाया जाय। जंक्शन/स्लूइस वाल्व इत्यादि की लोकेशन भी मार्क की जाय। ट्यूबवेल्स में लगे हुए पम्पों की क्षमता तथा उनका तकनीकी विवरण अंकित किया जाये।

(4) परिसर में विद्युत लाइनों/सब स्टेशन की प्लान ड्राइंग–वोल्टेज सर्किट (ओवर हेड/अण्डर ग्राउण्ड) दर्शाते हुए।

(5) परिसर की लेबिल अंकित करते हुए प्लान ड्राइंग जिसमें बरसात के पानी की निकासी की नालियाँ मय लेबिल के मार्क हों।

(6) जेनरेटरों को स्थापित किये जाने हेतु लोकेशन एवं कनेक्शन हेतु सर्किट लाइन की ड्राइंग।

(7) कार्यालय भवनों में इण्टर काम लाइनों की ड्राइंग।

(8) सभी भवनों, सड़कों एवं अन्य निर्माण को प्रदर्शित करते हुए टू–द–स्केल अन्तिम ले–आउट प्लान, जैसाकि हस्तगत किया गया हो।

## 3-11& fuekZ.k dk;kZsa dh pSfdax djuk %

निर्माणाधीन भवनों के विभागीय स्तर पर निरीक्षणों के समय यह पाया गया है कि अनेक निर्माण स्थलों पर भवन निर्माण में प्रयुक्त होने वाली सामग्री, विशेषकर अत्यन्त खराब ईटों का प्रयोग किया जाता है। निर्माण कार्यो में प्रयुक्त होने वाली सामग्रियों को निर्धारित मानक तथा अपेक्षित गुणवत्ता के अनुरूप रखे जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जानी चाहिए।

निरीक्षण के दौरान जनपद/इकाई प्रभारी द्वारा मुख्य रूप से निम्न बिन्दुओं पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए :–

## 3-11-1& fpukbZ dk;Z %

दीवालों की चिनाई वार्टिकल व होरिजेनटल में सीधे होनी चाहिए। ज्वाइन्ट्स में मसाला ठीक तरह से भरा एवं ठंसा होना चाहिए। खोखली जगहें/ छेद न रहें। मसाला ढीला न हो, ठोस हो। ईट के वर्टिकल ज्वाइन्ट्स एक सीध में नहीं होने चाहिए। सीमेंट मोर्टर (मसाले) से किये गये चिनाई कार्य की पूरी तराई की जानी चाहिए।

## 3-11-2& IykLVj %

प्लास्टर ऊँचा–नीचा न हो और सतह चिकनी होनी चाहिए। प्लास्टर करने के एक दिन पश्चात तराई का कार्य शुरू करना चाहिए और खूब तराई कराई जानी चाहिए।

## 3-11-3& vkjå lhå lhå dk;Z %

आर०सी०सी० कालम/बीम/छत/लिन्टल इत्यादि की ढलाई इस प्रकार होनी चाहिए कि शटरिंग खोलने पर उसकी धार–कोर ठीक हो, सरिया दिखाई न दे और सतह पर छेद (हनी–काम्ब) न हों। बिना प्लास्टर के सतह चिकनी होनी चाहिए। तराई पूरी होनी चाहिए। हनी–काम्बिंग वाली बीम/कालम/छत/ लिंटल स्वीकार न किये जायें।

## 3-11-4& ykgs dk dk;Z %

लोहे के गेट व रेलिंग आदि की बेल्डिंग ठीक तरह से एवं उपलब्ध

सतह/लाइन पर पूरी की जानी चाहिए। उसके ऊपर प्राइमर कोट करने के बाद ही पेटिंग की जानी चाहिए।

## 3-11-5& fo|rhdj.k dk;l %

विद्युतीकरण सम्बन्धी कार्यो में ख्यातिप्राप्त उच्च गुणवत्ता वाली B.I.S. ; (ब्युरो आफ इण्डियन स्टैण्डर्ड) मानक युक्त विद्युत सामग्री/उपकरणों का प्रयोग किया जाना चाहिए।

## 3-12& lkekU; %

3.12.1 भूमि में पाइप व केबिल पर्याप्त गहराई में डाले जाना चाहिए, जिससे वाहन आदि चलने पर उखड़ या क्षतिग्रस्त न हो सकें।

3.12.2 दीवालों के एप्रेन भूमि के लेबिल 100 मिलीमी० ऊपर होने चाहिए, नीचे कदापि नहीं होने चाहिए। नीचे होने पर उसका उद्देश्य ही पूरा नहीं होगा।

3.12.3 दरवाजों व खिड़कियों के ऊपर बनाये जाने वाले Sunshede (बरसाती) को दीवार से ढालनुमा बनाया जाये। इसका ढाल दीवार से 120 डिग्री रखा जाये, ताकि बरसात का पानी, धूल व कूड़ा–करकट आदि बरसाती पर इकट्ठा न हो सके।

## 3-13& fo'k"k %

3.13.1 थानों/चौकियों के प्रचलित निर्माण कार्यो का निरीक्षण थाना प्रभारी तथा पुलिस लाइन/मुख्यालय में प्रचलित निर्माण कार्यो का निरीक्षण प्रतिसार निरीक्षक द्वारा प्रतिदिन किया जाना चाहिए। इकाइयों में प्रचलित निर्माण कार्यो का निरीक्षण इकाई के किसी नामित अधिकारी द्वारा प्रतिदिन किया जाना चाहिए। क्षेत्राधिकारी जब भी क्षेत्र में जायें तो निर्माणाधीन भवन का निरीक्षण अवश्य करें। यथासम्भव यह निरीक्षण सप्ताह में कम से कम एक बार अवश्य करें।

3.13.2 निरीक्षण निर्माण इकाई के स्थाल प्रभारी के साथ किया जाना चाहिए, ताकि वे कमियों को दूर कर सकें।

3.13.3 थाना प्रभारी/प्रतिसार निरीक्षक/क्षेत्राधिकारी/कार्यालय प्रभारी अपनी रिपोर्ट, निरीक्षण पुस्तिका में अंकित करेंगे तथा अपनी निरीक्षण रिपोर्ट जनपद/इकाई प्रभारी को भेजेंगे। कोई विशेष बात होने की स्थिति में जनपद/इकाई प्रभारी द्वारा पुलिस मुख्यालय को अवगत कराया जायेगा।

3.13.4 जनपद प्रभारी भी निर्माण कार्य का निरीक्षण 02 माह में एक बार अवश्य करेंगे तथा अपनी रिपोर्ट मासिक प्रगति आख्या अपने परिक्षेत्रीय पुलिस

महानिरीक्षक/उप महानिरीक्षक के माध्यम से आगामी माह की 10 तारीख तक पुलिस मुख्यालय के परिपत्र संख्याः ग्यारह–907–2010, दिनांक 07.09.2010 (l;yXud&18) के साथ प्रेषित प्रारूप में पुलिस मुख्यालय को अवश्य उपलब्ध करायेंगे।

इसी प्रकार सेनानायकों व अन्य इकाई प्रभारियों द्वारा अपनी इकाइयों के निर्माण कार्यो का निरीक्षण माह में एक बार अवश्य किया जायेगा तथा अपनी रिपोर्ट/मासिक प्रगति आख्या अपने विभागाध्यक्ष के माध्यम से आगामी माह की 10 तारीख तक पुलिस मुख्यालय के परिपत्र संख्याः ग्यारह–907–2010, दिनांक 07.09.2010 (l;yXud&19) के साथ प्रेषित प्रारूप में पुलिस मुख्यालय को अवश्य उपलब्ध करायेंगे।

## 3-14& ey fuekZ.k dk;Z%

आय–व्ययक प्रावधान के अन्तर्गत प्रत्येक मामले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक को रु० 20.00 लाख तक (रु० 5.00 लाख से अधिक के कार्य राजकीय कार्यदायी विभाग/निर्माण एजेन्सी से कराये जायेंगे), अन्य कार्यालयाध्यक्ष को रु० 2.00 लाख तक तथा विभागाध्यक्ष को रु० 20.00 लाख की सीमा तक अधिकार प्रदान किये गये हैं। ज्ञातव्य है कि मूल कार्यो के लिए सम्बन्धित मद में सीमित अनुदान प्राप्त होता है। मूल (लघु/छोटे) कार्यो हेतु वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–5 भाग–1 के प्रस्तर–292 से 297 में निहित प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में निम्नवत कार्यवाही अपेक्षित है:–

3.14.1 मूल निर्माण कार्यो के लिए अनुदान का आबंटन नहीं किया जायेगा, अपितु इकाई/जनपदवार धनराशि निर्दिष्ट की जायेगी, जिसके सापेक्ष कराये जाने वाले कार्यो की प्राथमिकता क्रम में सूची सर्वप्रथम परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/उप महानिरीक्षक तथा सम्बन्धित विभागाध्यक्ष से वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में अनुमोदित कराकर पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी। इस सूची में कार्य का नाम, स्थान तथा भवन का कुल प्लिंथ एरिया (कुर्सी क्षेत्रफल) तथा अनुमानित लागत दी जायेगी। बाउण्ड्रीवाल के कार्य में लम्बाई x चौड़ाई x ऊँचाई दर्शायी जायेगी। इसी प्रकार सड़क के निर्माण कार्य में लम्बाई x चौड़ाई के साथ–साथ निर्माण का प्रकार जैसे–बिटुमिन, सी.सी. रोड, खड़न्जा आदि दर्शाया जायेगा।

3.14.2 पुलिस उप महानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जनपद प्रभारी से भिन्न अन्य कार्यालयाध्यक्षों द्वारा रु० 2.00 लाख (रु० दो लाख) तक के मूल कार्यो के लिए आगणनों का गठन विभागीय सहायक/अवर अभियन्ता

के अतिरिक्त लोक निर्माण विभाग के सहायक/अवर अभियन्ता द्वारा कराया जायेगा, जो परीक्षण तथा प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति के लिए पुलिस मुख्यालय को भेजे जायेंगे। पुलिस मुख्यालय स्तर से प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत होने पर कार्यालयाध्यक्ष द्वारा नियमानुसार कार्य सम्पादित कराया जायेगा।

3.14.3 पुलिस उप महानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जनपद प्रभारी द्वारा रु० 5.00 लाख (रु० पाँच लाख) तक के कार्यो के लिए आगणनों का गठन विभागीय सहायक/ अवर अभियन्ता के अतिरिक्त लोक निर्माण विभाग के सहायक/अवर अभियन्ता द्वारा कराया जायेगा। इसका परीक्षण लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियन्ता द्वारा किया जायेगा। तद्नुसार पुलिस उप महानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जनपद प्रभारी द्वारा आगणन स्वीकृत करके कार्य पुलिस आवास निगम या किसी राजकीय कार्यदायी विभाग/ निर्माण एजेन्सी से कराये जायेंगे। उनके द्वारा कार्य न किये जा सकने की स्थिति में अनुमोदित ठेकेदारों से कराये जायेंगे।

3.14.4 रु० 5.00 लाख (रु० पाँच लाख) से अधिक तथा रु० 20.00 लाख (रु० बीस लाख) तक के कार्यो के लिए आगणनों का गठन पुलिस आवास निगम द्वारा कराया जायेगा, जो परीक्षण तथा प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति के लिए पुलिस मुख्यालय भेजे जायेंगे। प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत होने पर ऐसे कार्य पुलिस आवास निगम द्वारा सम्पादित कराये जायेंगे।

ukV:– (1) मूल निर्माण कार्यो के अन्तर्गत छोटे–छोटे कमरे/निर्माण करके भूमि की बरबादी नहीं की जानी चाहिए अपितु अत्यन्त आवश्यक होने पर ही विद्यमान भवनों से सामन्जस्य बनाते हुए मूल कार्य कराये जाने चाहिए।

(2) विद्युत व्यवस्था यथा– लाइट फिटिंग, पंखा व अन्य विद्युत सामग्री के लिए भी प्रावधान मूल कार्यो के आगणनों में किया जायेगा।

## 3-15& fo|rhdj.k dk;l %

आय–व्ययक प्रावधान के अन्तर्गत प्रत्येक मामले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक को रु० 1.00 लाख तक, अन्य कार्यालयाध्यक्ष को रु० 50,000/– तक, विभागाध्यक्ष को रु० 2.50 लाख की सीमा तक तथा प्रशासनिक विभाग को पूर्ण अधिकार प्रदान किये गये हैं। इस सम्बन्ध में वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–5 भाग–1 के प्रस्तर–277 व 277ए में निहित प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में निम्नवत कार्यवाही अपेक्षित है :–

3.15.1 सर्वप्रथम जनपदों में कराये जाने वाले कार्यो की सूची परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/उप महानिरीक्षक से तथा इकाइयों में कराये जाने वाले कार्यो की सूची सम्बन्धित विभागाध्यक्ष से वित्तीय वर्ष से पूर्व अनुमोदित करायी जायेगी, जिसकी प्रति पुलिस मुख्यालय को भी उपलब्ध करायी जायेगी। इस सूची में कार्य का स्थान/ संक्षिप्त विवरण तथा अनुमानित लागत दी जायेगी।

3.15.2 जनपदों में रु० 1,00,000/– (रु० एक लाख) की सीमा तक कराये जाने वाले कार्यो के लिए आगणनों का गठन लोक निर्माण विभाग के विद्युत/यांत्रिक खण्ड के सहायक/अवर अभियन्ता द्वारा किया जायेगा, जो परीक्षण हेतु पुलिस मुख्यालय भेजे जायेंगे। तदोपरान्त प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति पुलिस उप महानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, प्रभारी जनपद द्वारा प्रदान की जायेगी एवं उन्हीं के द्वारा नियमानुसार कार्य सम्पादित कराया जायेगा, वशर्ते बजट उपलब्ध हो।

3.15.3 जनपदों को छोड़कर इकाइयों में रु० 50,000/– (रु० पचास हजार) की सीमा तक के कार्यो के लिए आगणनों का गठन लोक निर्माण विभाग के विद्युत/यांत्रिक खण्ड के सहायक/अवर अभियन्ता द्वारा किया जायेगा, जिनका परीक्षण लोक निर्माण विभाग के प्रखण्ड अभियन्ता द्वारा कराया जायेगा। तदोपरान्त आगणनों की स्वीकृति कार्यालयाध्यक्ष द्वारा प्रदान की जायेगी तथा उन्हीं के द्वारा लोक निर्माण विभाग के विद्युत/यांत्रिक खण्ड द्वारा अनुमोदित ठेकेदारों के माध्यम से नियमानुसार कार्य सम्पादित कराया जायेगा, बशर्ते बजट उपलब्ध हो।

3.15.4 रु० 2,50,000/– (रु० दो लाख पचास हजार) तक के कार्यो के लिए आगणनों का गठन पुलिस आवास निगम या लोक निर्माण विभाग के विद्युत/यांत्रिक खण्ड के सहायक/अवर अभियन्ता द्वारा किया जायेगा, जो परीक्षण तथा प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति के लिए पुलिस मुख्यालय भेजे जायेंगे। प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत होने पर जनपद प्रभारी/कार्यालयाध्यक्ष द्वारा नियमानुसार कार्य सम्पादित कराया जायेगा, वशर्ते बजट उपलब्ध हो।

3.15.5 रु० 2,50,000/– (रु० दो लाख पचास हजार) से अधिक के कार्यो के आगणनों का गठन पुलिस आवास निगम द्वारा किया जायेगा, जिनका परीक्षण पुलिस मुख्यालय स्तर पर किया जायेगा तथा प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति के लिए शासन के प्रशासनिक विभाग को भेजे जायेंगे। शासन से प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत होने पर पुलिस आवास निगम अथवा शासन द्वारा निर्धारित कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य सम्पादित कराया जायेगा।

3.15.6 विद्युतीकरण/पुनः विद्युतीकरण कार्यों के लिये जनपद प्रभारियों द्वारा रु० 1.00 लाख तथा अन्य कार्यालयाध्यक्षों द्वारा रु० 50,000/– से अधिक के आगणन पुलिस मुख्यालय भेजे जायेंगे। रु० 1.00 लाख से अधिक के कार्य यथासम्भव पुलिस आवास निगम से कराये जायेंगे। उनके द्वारा न किये जाने सकने की स्थिति में लो०नि०वि० के विद्युत/यांत्रिक खण्ड, अन्य राजकीय कार्यदायी विभाग या अनुमोदित ठेकेदारों से कराये जायेंगे।

अध्याय–4

# i|fyl foHkkx d vkoklh; ,o vukoklh; Hkouk dk fo'k"k ejEer@vu|j{k.k

## 4-1&ÁLrkouk %

भवनों के निर्माण के बाद से इन्हें निरन्तर अच्छा एवं उपयोगी बनाये रखने का दायित्व सम्बन्धित विभाग का है, जिसे अनुरक्षण/मरम्मत के नाम से परिभाषित किया गया है। यह कार्य भवनों के निर्माण कार्य की तुलना में अधिक चुनौतीपूर्ण है।

## 4-2& fo'k"k @lkekU; ejEer gr| okf"kd dy.Mj

जनपदों/ इकाइयों में वर्ष के दौरान कराये जाने वाले सामान्य/ विशेष मरम्मत कार्यो के लिए एक कैलेण्डर बनाया जाना चाहिए। इसमें माह अप्रैल के प्रारम्भ में भवनों का निरीक्षण करके एक सूची बनायी जानी चाहिए, 15 जून से पहले प्री–मानसून मरम्मत/ अनुरक्षण करा लेना चाहिए। मानसून के दौरान प्रत्येक माह चेकिंग करायी जानी चाहिए और छतों की लीकेज तथा सीवर व नाली आदि चोक होने की जानकारी करके उसका तत्काल निराकरण कराया जाना चाहिए। इसी प्रकार पोस्ट मानसून मरम्मत के बारे में भी बरसात समाप्त होने के तुरन्त बाद विस्तृत निरीक्षण कराकर भवनों की मरम्मत की कार्यवाही सुनिश्चित की जानी चाहिए। जनवरी तथा फरवरी के महीनों में कराये जा रहे कार्यो को चेक करने तथा भुगतान की कार्यवाही की जानी चाहिए।

इस सम्बन्ध में पुलिस मुख्यालय स्तर पर तैयार किया गया वार्षिक कैलेण्डर lyXud&20 पर है।

## 4-3&foRrh; gLr i|fLrdk [k.M&5] Hkkx&1 d ÁLrj&262 d vu|lkj ßejEer ,o j[k&j[kko dh ifjHkk"kkÞ

भवनों एवं अन्य निर्माण कार्यो के साधारण उपयोग की दशा में सही स्थिति रखने के लिए समस्त कार्य एवं प्रक्रियायें मरम्मत एवं रख–रखाव है। वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–5 भाग–1 के प्रस्तर–270 से 291 में मरम्मत एवं रख–रखाव के कार्यो हेतु विस्तार से नियम अंकित हैं। प्रस्तर–292 से 296 के मध्य छुद्रमूल कार्य के विषय में निर्देश अंकित हैं। प्रस्तर–307 द्वारा एक मुश्त अनुबन्ध (Lump sum Contract), प्रस्तर–308 से 315 में लेखा तथा भुगतान के नियम तथा भवनों के किराया निर्धारण के

नियम “micU/k&, rFkk chp में परिभाषित हैं, जिनका अनुपालन आवश्यक है।

## 4-4&Hkouksa ds vuqj{k.k ds dk;ksZa dk fuEuor~ oxhZÑr fd;k x;k g%

3.1 सामान्य अनुरक्षण

3.2 विशेष अनुरक्षण

## 3-3-1&foRrh; gLr iqfLrdk [k.M&5 Hkkx&1 ÁLrj 270 ds vuqlkj%

| ejEer ds dk;Z dk oxhZdj.k | dk;ksZa dk fooj.k | vkoklh; Hkou | vukoklh; Hkou |
|---|---|---|---|
| 1– वार्षिक मरम्मत | सफेदी का कार्य<br>डिस्टेम्परिंग कार्य<br>लीक करती छतों के मरम्मत का कार्य | हाँ | हाँ |
| 2–चतुर्वार्षिक मरम्मत | दरवाजों एवं खिड़कियों की वार्निशिंग एवं पेटिंग सड़कों की मरम्मत (नवीनीकरण) | हाँ | इन भवनों की विशेष मरम्मत में (2) एवं (3) के कार्य एक शीर्षक में समाहित है। |
| 3– विशेष मरम्मत | ऐसी प्रकृति के मरम्मत कार्य जिनकी समय के आधार पर कोई नियत आवृत्ति नहीं है।<br>जैसे– संरचनात्मक नवीनीकरण | हाँ | |

## 4-3-2&foRrh; gLr iqfLrdk [k.M&5] Hkkx&1 ds ÁLrj 270 ¼ii½ dh fVIi.kh ds vuqlkj

आवासीय भवन के परिसर में झाड़ी एवं जंगल सफाई के कार्य का दायित्व अध्यासियों का है। यह कार्य शासकीय व्यय से नहीं किया जायेगा, किन्तु जब भवन खाली हो तो यह कार्य सरकारी व्यय पर कराया जा सकता है।

## 4-3-3&okf"kZd j[k&j[kko %

भवन अनुरक्षण के वृहद आवश्यक कार्य जैसे– ह्वाइट वाशिंग, कलर वाशिंग, डिस्टेम्परिंग, पेन्टिंग का कार्य के साथ–साथ लघु श्रेणी के रख–रखाव कार्य जैसे– क्षतिग्रस्त प्लास्टर के पैच रिपेयर, खिड़कियों–दरवाजों के ग्लास पेन्स को फिक्स करना, लघु मात्रा में क्षतिग्रस्त बिजली वायरिंग का सुधार, स्विचेज साकेट का बदलना, टूटी

टाइल्स की मरम्मत आदि विविध कार्य जो भी दैनिक रख–रखाव की श्रेणी में आते हैं, के लिये वित्तीय अनुदान सामान्य मरम्मत मद (वार्षिक रख–रखाव ) द्वारा उपलब्ध होता है।

वित्तीय वर्ष के प्रारंम्भिक माह में भवनों के वार्षिक रख–रखाव के मद में आवश्यक कार्य की समयबद्ध योजना बनानी चाहिये। वार्षिक रखरखाव के लिये नियत कार्यो की आगणित लागत उ०प्र० शासन द्वारा अनुमन्य दरों एवं लागत की सीमा में होनी चाहिये।

वर्तमान में सामान्य भवन मरम्मत हेतु "प्लिन्थ एरिया" पर आधारित अनुमोदित दर रु० 124/– प्रति वर्गमीटर है, जो उ० प्र० शासन, लोक निर्माण अनुभाग–5, लखनऊ के शासनादेश संख्या–1726 ईजी/23–05–10–50(277) ईजी/04, दिनांक 15 फरवरी 2011 द्वारा जारी है।

समस्त रख–रखाव सम्बन्धी कार्य भवनों की अक्षुण्णता हेतु नियत समयान्तराल पर होने वाले आवश्यक प्रकृति के सामान्य कार्य हैं। सरकारी भवनों में लगाए गए विद्युत उपकरणों की चेकिंग प्रत्येक 03 माह में करायी जानी चाहिए तथा दोषपूर्ण उपकरणों को सरकारी आवासों एवं कार्यालयों में नहीं छोड़ा जाना चाहिए।

नोटः– (1) छतों/छज्जों इत्यादि पर मिट्टी/कूड़ा न जमा होने दिया जाय। इसे हमेशा साफ रखा जाय, खासकर वर्षा से पूर्व एवं बाद में अवश्य साफ कर दिया जाय।

(2) आवासीय/अनावासीय भवनों की छतों, छज्जों, स्नानागार/शौचालयों की खिड़कियाँ इत्यादि जगहों पर घास–फूस एवं पेड़ पौधे प्रायः उग आते हैं, इन्हें वर्षा से पूर्व एवं उसके तुरन्त बाद निकलवाकर सीमेंट से ठीक करा दिया जाय। पुराने पेड़ों को काटकर इनकी जड़ों को ठीक से भवन से निकालकर सीमेंन्ट कर दिया जाय।

## 4-4&Áfrj{kkRed vu|j{k.k %

भवनों के सुरक्षात्मक रख–रखाव के अन्तर्गत पानी के रिसाव/नमी के लिये आवश्यक उपचार किये जाते हैं। भवनों का निरीक्षण मानसून के पहले मार्च–अप्रैल माह में तथा सितम्बर–अक्टूबर माह में मानसून के बाद अवश्य किया जाय। प्रतिसार निरीक्षक/थाना प्रभारी द्वारा शत–प्रतिशत भवनों का निरीक्षण एवं क्षेत्राधिकारी द्वारा 50 प्रतिशत भवनों का निरीक्षण किया जाना आवश्यक है।

## 4-5&ekulu vku d igy vko';d l|j{kkRed j[k&j[kko

4-5-1 अस्थायी शेड जैसे– ए०सी० सीट की छतें, उनके एल/जे हुक्स, बिटुमिन

वाशर्स, लिम्पेट वाशर्स के सही हालत होने का परीक्षण सहित तत्सम्बन्धी आवश्यक अनुरक्षणीय कार्य का कराया जाना अनिवार्य है।

4.5.2 दरवाजों एवं खिड़कियों के टूटे शीशे तथा लोहे की फिटिंग जैसे– टावर बोल्ट्स, हुक्स एवं अन्य वायु नियन्त्रक संसाधानों को ठीक कराया जाना आवश्यक है। अध्यासियों को निर्देश रहे कि तूफानी मौसम एवं रात्रिकाल में प्रायः दरवाजे एवं खिड़कियाँ बन्द रखें।

4.5.3 भवनों की छतों पर जल जमाव, पानी के रिसाव आदि की सम्भावना को समाप्त करने हेतु छत पर उगी घास–फूस, पेड़–पौधे छत पर जमी मिट्टी, पत्तियों आदि सहित मानसून के पहले छत की सफाई, ड्रेन पाइप व उनके निकास द्वार सभी प्रकार के अवरोध से मुक्त कर लिया जाय। वर्टिकल रेनवाटर पाइप के ढीले क्लैम्प कसवा लिये जायें। छतो एवं छज्जों के ऊपर स्थित क्रेक द्वारा सीपेज के रास्तों को सील कर दिया जाय एवं अन्य आवश्यक कार्य कराये जायें।

4.5.4 भवनों के बाहरी क्षेत्र एवं लान में प्रत्येक स्थान पर जल–जमाव की सम्भावना को समाप्त कराया जाय। जल निकासी की नाली प्रणाली भी साफ करा ली जाय।

4.5.5 सीवर प्रणाली की जाँच कर ली जाय एवं सीवर लाइन की सफाई करा ली जाय, ताकि सीवर सीवेज पम्प आदि में जमा ग्रिट बालू एवं स्लज साफ हो जाय एवं सीवेज का जल प्रवाह निर्बाधित हो जाय।

4.5.6 वर्षा ऋतु में भूमि जल का स्तर उठ जाता है, अतः भूमिगत कुओं एवं pump में भूमि जल स्तर के नीचे स्थित पम्पिंग सेट को अस्थाई तौर पर सुरक्षित तल तक स्थापित कराया जाय। लूज विद्युत वायरिंग को ठीक कराया जाय।

4.5.7 ए०सी० के डि–हयूमीडिफिकेशन सिस्टम्स जैसे– स्ट्रिप हीटर्स/हयूमीडिस्टल की समुचित चैकिंग करायी जाय एवं उनके सही हालत में बना होना सुनिश्चित किया जाय। इस प्रकार के कार्य 15 जून एवं 31 अक्टूबर तक पूर्ण कर लिये जायें।

## 4-6&foRrh; gLr ifLrdk [k.M&5] Hkkx&1 d ÁLRkj&273 d vuqlkj%

4.6.1 वार्षिक मरम्मत के मद में आबंटन हेतु किसी आगणन के गठन की आवश्यकता नहीं है। यथासम्भव वार्षिक मरम्मत के कार्य प्रतिस्पर्धात्मक निविदा पर आधारित अनुबन्ध द्वारा कराया जाना चाहिए, किन्तु समुचित ठेकेदारों की अनुपलब्धता होने पर विभागीय पद्धति से कराये जा सकते हैं। स्थानीय प्राधिकारी उपरोक्तानुसार अनुबन्ध गठन के फलस्वरूप निर्गत अनुदानों के सापेक्ष बचत एवं आधिक्य की सूचना विभागाध्यक्ष को देंगे।

4.6.2 आवासीय भवनों के चतुर्वार्षिक मरम्मत मद हेतु तथा अनावासीय भवनों के विशेष

मरम्मत मद हेतु आगणन का गठन आवश्यक नहीं है।

4.6.3 आवासीय भवनों के विशेष मरम्मत मद हेतु एवं किसी भवन के संरचनात्मक परिवर्तन/विस्तार हेतु मानचित्र सहित आगणन का गठन आवश्यक है।

भवनों के अनुरक्षण के प्रस्तावों पर स्वीकृति, धनाबंटन एवं भुगतान के नियम वित्तीय पुस्तिका के प्रस्तर–273 से 277 एवं 292 से 315 तथा परिशिष्ट–A to C के मध्य विस्तार से उल्लिखित हैं, जिनका अनुपालन अनिवार्य है।

उक्त दिशा–निर्देशों से पुलिस विभाग के भवनों में कराये जाने वाले अनुरक्षण/मरम्मत सम्बन्धी कार्यो में गुणात्मक सुधार परिलक्षित होगा। अतएव इन दिशा–निर्देशों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।

शासनादेश संख्याः ए–2–1092/दस–2011–24(7)–95, दिनांक 25.11.2011 द्वारा विभिन्न प्रयोजनों हेतु पूर्व प्रावधानित वित्तीय अधिकारों में की गयी वृद्धि एवं आगणन तैयार करने एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने हेतु सक्षम अधिकारियों का विवरण निम्नवत् वृद्धि की गयी है:–

| क्रम | विवरण | वित्तीय सीमा | आगणन तैयार करने हेतु सक्षम इकाई | आगणन के परीक्षण हेतु सक्षम इकाई | प्रशासनिक स्वीकृत हेतु सक्षम अधिकारी |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | जनपद/इकाई | रु० 2.00 लाख | –विभागीय सहायक/अवर अभियन्ता –लोक निर्माण विभाग –अन्य निर्माण इकाई | लोक निर्माण विभाग के प्रखण्ड अभियन्ता द्वारा | जनपद प्रभारी |
| | | रु० 2.00 लाख से अधिक | पुलिस आवास निगम द्वारा | लोक निर्माण विभाग के प्रखण्ड अभियन्ता द्वारा | जनपद प्रभारी |
| 2 | जनपद प्रभारी से भिन्न अन्य कार्यालया–ध्यक्ष | रु० 10,000/– | –विभागीय सहायक/अवर अभियन्ता –लोक निर्माण विभाग –अन्य निर्माण इकाई | लोक निर्माण विभाग के प्रखण्ड अभियन्ता द्वारा | सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | जनपद प्रभारी | रु० 25,000/– | – तदैव – | लोक निर्माण विभाग के प्रखण्ड अभियन्ता द्वारा | जनपद प्रभारी |
| | | रु० 50,000/– | – तदैव – | पुलिस मुख्यालय के तकनीकी शाखा द्वारा | विभागाध्यक्ष (पीएचक्यू स्तर से) |
| | | रु० 50,000/– से अधिक | पुलिस आवास निगम द्वारा | पुलिस मुख्यालय के तकनीकी शाखा द्वारा | उत्तर प्रदेश शासन |
| 4 | जनपद प्रभारी | (1) रु० 5.00 लाख तक | विभागीय सहायक/अवर अभियन्ता | लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियन्ता द्वारा | जनपद प्रभारी |
| | | (2) रु० 5.00 लाख से अधिक रु० 20.00 लाख तक | पुलिस आवास निगम | पुलिस मुख्यालय के तकनीकी शाखा द्वारा | पुलिस मुख्यालय |
| 5 | जनपद प्रभारी से भिन्न अन्य कार्यालया–ध्यक्ष | रु० 2.00 लाख तक | –विभागीय सहायक/ अवर अभियन्ता –लोक निर्माण विभाग –अन्य निर्माण इकाई | पुलिस मुख्यालय के तकनीकी शाखा द्वारा | पुलिस मुख्यालय |
| 6 | जनपद/ इकाई | रु० 5.00 लाख से रु० 20.00 लाख तक | पुलिस आवास निगम द्वारा | पुलिस मुख्यालय के तकनीकी शाखा द्वारा | पुलिस मुख्यालय |

## 4-7& fo'k"k ejEer %

उक्त शासनादेश के अनुसार अनावासीय भवनों के लिए वार्षिक बजट की उपलब्धता की सीमा तक कार्यालयाध्यक्ष (स्थानीय अधिकारी) को कतिपय शर्तो के अधीन पूर्ण अधिकार प्रदान किया गया है। अनावासीय भवनों के अन्तर्गत बैरिकों/सड़कों/जलापूर्ति/जल निकासी/ जल–मल उत्सर्जन/उगे पेड़–पौधों को हटाना/टूटे विद्युत खम्भों व अन्य पोल्स को ठीक कराना/ क्षतिग्रस्त एवं टूटे विद्युत संयोजक तार को ठीक कराना, विद्युत आपूर्ति ठीक कराना/ पेय जल आपूर्ति एवं सीवर प्रणाली में हुयी बाधा व क्षति दूर कराना/विद्युत संचार लाइन, अर्थिंग आदि की चेकिग कराकर सही स्थिति में लाना इत्यादि भी आते है। इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय बिन्दु

(lyXud&21) पर है।

## fo'k"k ejEer ds lEcU/k esa fuEuor dk;okgh vif{kr gS %&

4.7.1 निर्दिष्ट/आबंटित अनुदान के दृष्टिगत सर्वप्रथम जनपदों में कराये जाने वाले विशेष मरम्मत कार्यो की सूची परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/उप महानिरीक्षक से तथा इकाइयों में कराये जाने वाले कार्यो की सूची सम्बन्धित इकाई प्रमुख से वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में अनुमोदित करायी जायेगी, जिसकी प्रति पुलिस मुख्यालय को भी उपलब्ध करायी जायेगी। इस सूची में कार्य का स्थान/संक्षिप्त विवरण तथा अनुमानित लागत दी जायेगी।

## 4-8 vkokfld Hkouksa esa l/kkj rFkk ejEer %&

इसके लिए आय–व्ययक प्रावधान के अन्तर्गत प्रत्येक मामले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक को रु० 25,000/– तक, अन्य कार्यालयाध्यक्ष को रु० 10,000/– तक तथा विभागाध्यक्ष को रु० 50,000/– तक की सीमा तक अधिकार प्रदान किये गये हैं। इस सम्बन्ध में निम्नवत कार्यवाही अपेक्षित है :–

4.8.1 निर्दिष्ट अनुदान के दृष्टिगत सर्वप्रथम जनपदों में कराये कराये जाने वाले कार्यो की सूची परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/उप महानिरीक्षक से तथा इकाइयों में कराये जाने वाले कार्यो की सूची सम्बन्धित विभागाध्यक्ष से वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में अनुमोदित करायी जायेगी, जिसकी प्रति पुलिस मुख्यालय को भी उपलब्ध करायी जायेगी। इस सूची में कार्य का स्थान/संक्षिप्त विवरण तथा अनुमानित लागत दी जायेगी।

4.8.2 आवासिक भवनों में विशेष मरम्मत हेतु आगणनों का गठन विभागीय सहायक/अवर अभियन्ता के अतिरिक्त लोक निर्माण विभाग या अन्य राज अभियत्रंण विभागों/निर्माण इकाई के सहायक /अवर अभियन्ता द्वारा कराया जायेगा, जिनका परीक्षण पुलिस मुख्यालय अथवा लोक निर्माण विभाग के प्रखण्ड अभियन्ता द्वारा कराया जायेगा। तदोपरान्त कार्य की स्वीकृति निम्नवत् प्रदान की जायेगीः–

(1) पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक जनपद प्रभारी– रु० 25000/–

(2) अन्य कार्यालयाध्यक्ष–रु० 10000/–

(3) रु० 25000/– से अधिक– पुलिस मुख्यालय

नोटः– (1) रु० 25000/– से अधिक के आगणन सीधे उ०प्र० पुलिस मुख्यालय भेजे जायेगें। इनका परीक्षण उ०प्र० पुलिस मुख्यालय के अधिशासी अभियन्ता द्वारा किया

जायेगा। इन्हें लोक निर्माण के प्रखण्ड अभियन्ता को नहीं भेजा जायेगा।

(2) रू० 50000/– से अधिक के कार्यो के आगणन उ०प्र० पुलिस मुख्यालय भेजे जायेगें। इनके परीक्षण के पश्चात् शासन की स्वीकृति प्राप्त करके कार्य कराया जायेगा।

## 4-9& lkekU; ejEer

### 4-9-1& lkekU; fcUnq %&

*(1) थानों/पुलिस लाइन्स में बैरकों/मैस, कान्सटेबुल्स/हेड कान्सटेबुल्स के आवासों में किचेन, बालकनी, दरवाजों/खिड़कियों, स्नानागार/शौचालयों आदि की मरम्मत सम्बन्धी कार्य प्रथम वरीयता में कराये जायें। इसके बाद अन्य आवासीय/अनावासीय कार्यों की वरीयता रखी जाये। टाइल्स का कार्य केवल शौचालयों/स्नानागारों में ही कराया जाय।*

*(2) सीवरेज/ड्रेनेज सिस्टम, भवनों में छतों की लीकेज, छतों पर उगी हुयी घास–फूस या पेड़–पौधों को निकवाकर सीमेन्ट से भरे जाने आदि के कार्य अवश्य करा लिये जायें।*

*(3) यह देखने में आया है कि स्नानागार/शौचालयों के दरवाजों में बोर्ड/प्लाई का दरवाजा लगाया जाता है, जो पानी में भीगने से जल्दी खराब हो जाता है। अतः स्नानागार/शौचालयों के दरवाजों में जी०आई० शीट अवश्य लगवायी जाय।*

*(4) जिन आवासीय/अनावासीय भवनों में कार्य कराये जायें, उसे पूर्णरूप से करा लिया जाय।*

*(5) ऐसे वार्षिक मरम्मत के कार्य, जो पहले करा लिये गये हैं, उनके लम्बित दायित्वों का भुगतान सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त करके नियमानुसार पहले किया जाय।*

*(6) थानों में कराये जाने वाले कार्यों को सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी तथा पुलिस लाइन एवं मुख्यालय के अन्य भवनों में कराये जाने वाले कार्यों को क्षेत्राधिकारी, प्रभारी लाइन की देख–रेख में करायें जायँ, जो दिन–प्रतिदिन किये जाने वाले कार्यों पर निकट दृष्टि रखते हुये गुणवत्ता के साथ कार्य सम्पादित कराना सुनिश्चित करेंगे।*

*(7) किसी भी भवन में घास–फूस या पेड़–पौधे पाये जाने पर थानाध्यक्ष/प्रतिसार निरीक्षक/प्रभारी अधिकारी, भवन सीधे उत्तरदायी होंगे। उनकी लापरवाही का इससे बड़ा नमूना और नहीं हो सकता।*

*(8) आवंटित अनुदान का व्यय लोक निर्माण विभाग द्वारा मरम्मत कार्यों हेतु निर्गत शासनादेश के अनुसार किया जाये। साथ ही वित्तीय हस्त पुस्तिका, पुलिस*

*आफिस मैनुअल एवं पुलिस रेगुलेशन में निहित प्रावधानों तथा समय–समय पर शासन/पुलिस मुख्यालय से निर्गत निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।*

*(9) इस अनुदान के सापेक्ष कराये गये मरम्मत सम्बन्धी कार्यों के बारे में वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा पुलिस आफिस मैनुअल में निहित प्रावधानों के अनुसार आवश्यक अभिलेखीकरण/रजिस्टरों का रख–रखाव सुनिश्चित किया जाय।*

*(10) किसी भी वित्तीय अनियमितता के लिए जनपद प्रभारी स्वयं उत्तरदायी होंगे। वे यह भी सुनिश्चित करेंगे कि आडिट आपत्ति की स्थिति उत्पन्न न हो।*

*(11) पूर्व में जनपदों द्वारा बड़ी संख्या में विशेष मरम्मत/जीर्णोद्धार कार्यों के आगणन भेजे गये थे, जिन्हें जनपदों को वापस किया जा रहा है। इस आबंटित अनुदान के उपरान्त जिन कार्यों में अधिक धन लगना हो, उनके आगणन गठित कराकर पुलिस मुख्यालय को भेजे जायें। जो सामान्य कार्य करा लिये जायें, उन्हें विशेष मरम्मत में सम्मिलित न किया जाये। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाय कि किसी प्रकार की डुप्लीकेसी न हो।*

## 4-9-2& fo'k"k fcUnq&

(1) सर्वप्रथम आवंटित अनुदान के सापेक्ष कराये जाने वाले कार्यों का चयन प्राथमिकतानुसार करा लिया जाय। पुलिस लाइन/जनपद मुख्यालय के भवनों में कराये जाने वाले कार्यो का चयन प्रतिसार निरीक्षक एवं प्रभारी राजपत्रित अधिकारी पुलिस लाइन्स अथवा क्षेत्राधिकारी भवन तथा थानों पर कराये जाने वाले कार्यो का चयन थाना प्रभारी एवं सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी द्वारा किया जाय। rnkijkUr p;fur dk;k dk vuekknu tuin ÁHkkjh }kjk fd;k tk;A

(2) चयनित सूची में कराये जाने वाले कार्यो का आइटमवार विवरण, मापन/मात्रा आदि का उल्लेख किया जाय। कार्य पर व्यय का एक अनुमानित आंकलन भी किया जाना आवश्यक है। इसके लिये कार्य में प्रयुक्त होने वाली सामग्री का consumption निकाल लिया जाय और उसी के आधार पर सामग्री का क्रय किया जाय। कार्य में सामग्री तथा मजदूरी का अनुपात प्रायः 80 (सामग्री) व 20 (मजदूरी) के लगभग होता है, जो आइटम के अनुसार कुछ कम या अधिक हो सकता है। यह कार्य भी प्रतिसार निरीक्षक द्वारा प्रभारी राजपत्रित अधिकारी, पुलिस लाइन्स अथवा क्षेत्राधिकारी भवन तथा थाना प्रभारी द्वारा सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी के निर्देशन/देख–रेख में किया जाय।

(3) सामग्री का क्रय प्रभारी अधिकारी पुलिस लाइन्स/सम्बन्धित थाने के क्षेत्राधिकारी अथवा क्षेत्राधिकारी भवन की देखरेख में किया जाय। सामग्री का क्रय शासनादेश संख्याः ए–1–864/दस–08– 15(1)/96, दिनांक 23.09.2008 मे निहित

प्रावधानित वित्तीय सीमा में (सीधे क्रय, कोटेशन अथवा निविदा के आधार पर) किया जाय।

(4) मस्टर रोल तैयार किये जाने, भुगतान के रख–रखाव, मासिक व्यय का विवरण आदि के सम्बन्ध में वित्तीय हस्त पुस्तिका के प्रावधानित नियमों (Para no. 307A of F.H.B.Volume-V, part-1) का अनुपालन किया जाय।

(5) थानों पर कराये जाने वाले कार्यो की चैकिंग प्रतिदिन सम्बन्धित थाना प्रभारी द्वारा की जाये तथा क्षेत्राधिकारी द्वारा समय–समय पर (सप्ताह में कम से कम एक बार) चैकिंग की जाय। इसी प्रकार पुलिस लाइन्स तथा जनपद मुख्यालय पर कराये जाने वाले कार्यो की चैकिंग प्रतिदिन प्रतिसार निरीक्षक द्वारा की जाय और प्रभारी राजपत्रित अधिकारी, लाइन्स अथवा क्षेत्राधिकारी भवन द्वारा समय–समय पर (सप्ताह में कम से कम एक बार) चैकिंग की जाय। चैकिंग के दौरान यह देखा जाय कि प्रयुक्त होने वाली सामग्री की मात्रा और गुणवत्ता ठीक है तथा व्यय समयबद्ध तरीके से किया जा रहा है।

(6) पुलिस उप महानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, प्रभारी जनपद द्वारा भी कार्यों की समय–समय पर चैकिंग के साथ–साथ प्रगति की समीक्षा मासिक गोष्ठी में की जाय।

(7) परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/उप महानिरीक्षक भी जनपदों की मासिक गोष्ठी में इसकी समीक्षा करते रहें और यदि आवश्यक समझें तो अपने अधीनस्थ जनपदों में कराये जाने वाले कार्यो की क्रास–चैकिंग परिक्षेत्र के अन्य जनपद के अधिकारियों से भी करा लें।

## 4-9-3& fo'k"k

(1) थानों/पुलिस लाइन्स में बैरकों/मैस, कान्सटेबुल्स/हेड कान्सटेबुल्स के आवासों में किचेन, बालकनी, दरवाजों/खिड़कियों, स्नानागार/शौचालयों आदि की मरम्मत सम्बन्धी कार्य प्रथम वरीयता में कराये जायें। इसके बाद अन्य आवासीय/अनावासीय कार्यों की वरीयता रखी जाये। टाइल्स का कार्य केवल शौचालयों/स्नानागारों में ही कराया जाय।

(2) सीवरेज/ड्रेनेज सिस्टम, भवनों में छतों की लीकेज, छतों पर उगी हुयी घास–फूस या पेड़–पौधों को निकवाकर सीमेन्ट से भरे जाने आदि के कार्य अवश्य करा लिये जायें।

(3) स्नानागार/शौचालयों के दरवाजों में बोर्ड/प्लाई का दरवाजा लगाया जाता है, जो पानी में भीगने से जल्दी खराब हो जाता है। अतः स्नानागार/शौचालयों के

दरवाजों में जी०आई० शीट अवश्य लगवायी जाय।

(4) कराये जाने वाले कार्यों की गुणवत्ता, आबंटित अनुदान का सदुपयोग तथा मितव्ययिता सुनिश्चित कराना आवश्यक है। अतः mDr Øe e ;g Li"V djuk g fd ,ålhåvkjå fy[kr le; ifyl egkfun'kd] må Áå }kjk ^^lkekU; ejEer** ij fd; x; dk;k dh mi;kfxrk o x.koRrk ij fVIi.kh dh tk;xhA bld fy; vij ifyl egkfun'kd] e[;ky; }kjk Áf"kr fVIi.kh dk vk/kkj cuk;k tk;xkA

(5) उक्त के परिप्रेक्ष्य में कार्यवाही की प्रक्रिया निम्नवत् होगीः—

(i) परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षकों / उप महानिरीक्षकों द्वारा अपने अधीनस्थ जनपद प्रभारियों से जनपद मुख्यालय तथा थानों पर कराये जाने वाले ''सामान्य मरम्मत'' कार्यों की कार्य—योजना प्राप्त की जायेगी।

(ii) परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षकों / उप महानिरीक्षकों द्वारा सामान्य मरम्मत के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यों की मासिक बैठक में नियमित समीक्षा की जायेगी, ftle bl lEcU/k e le;≤ ij fuxr fun'kk d nf"Vxr dk;k dh x.koRrk rFkk fer0;f;rk lfuf'pr dh tk;xhA

(iii) सामान्य रूप से माह फरवरी, के अन्त तक अथवा मार्च, के प्रथम सप्ताह तक उक्त विषयक कार्य समाप्त हो जाने चाहिये।

(iv) परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षकों / उप महानिरीक्षकों द्वारा माह मार्च, के द्वितीय सप्ताह में जनपदों में भ्रमण करके जनपद मुख्यालय तथा 5—7 थानों पर किये गये कार्यों का भौतिक निरीक्षण करके अपनी टिप्पणी अपर पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी।

(v) उक्त कार्यों का रेण्डम भौतिक निरीक्षण पुलिस मुख्यालय स्तर से भी कराया जायेगा।

अध्याय–5

# Hkwfe ,oa Hkou ds vfHkys[kksa dk j[k&j[kko

foRrh; gLr iqfLrdk [k.M&5 Hkkx&1 ds ÁLrj&265 ¼layXud&22½ ds vuqlkj निम्नलिखित अभिलेख तैयार किये जाने चाहिए तथा उन्हें अद्यावधिक रखना चाहिए:–

## 5-1 vkoklh; Hkou

5.1.1 आवासीय भवनों की लागत राजस्व अभिलेखों में अंकित होना:–

(अ) भवन की भूमि सहित योजना (मानचित्र आदि)।

(ब) वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–5 भाग–1 के अन्तर्गत फार्म नं० 26 (layXud&23) में भूमि का रजिस्टर।

(स) वित्तीय हस्त पुस्तिका के खण्ड –5 भाग–1 के अन्तर्गत फार्म नं०–28 (layXud&24) में भवन का रजिस्टर।

(द) मानक किराया वित्तीय हस्त पुस्तिका के खण्ड–5 भाग–1 के अध्याय–13 के उपबन्ध– बी के अनुसार तैयार होना चाहिए।

(प) वित्तीय हस्त पुस्तिका के खण्ड–5 भाग–1 के अर्न्तगत फार्म–27 (layXud&25) में भूमि की लागत (कैपिटल) तथा राजस्व का लेखा जोखा ।

(फ) वित्तीय हस्त पुस्तिका के खण्ड–5 भाग–1 के अन्तर्गत फार्म–29 (layXud&26) में किराये का रजिस्टर।

इस रजिस्टर में समस्त किराये के भवनों का किराया तथा उन अधिकारियों/कर्मचारियों का नाम जो इन भवनों में आवासित हैं, अंकित होना चाहिए।

5.1.2 वे आवासीय भवन जो राजस्व अभिलेखों में नहीं दर्ज हैं, परन्तु जो किराये के हैं:–

(अ) भवन की भूमि सहित योजना (मानचित्र आदि)।

(ब) वित्तीय हस्त पुस्तिका के खण्ड –5 भाग–1 के अन्तर्गत फार्म नं०–26 में

भूमि का रजिस्टर।

(स) वित्तीय हस्त पुस्तिका के खण्ड–5 भाग–1 के अन्तर्गत फार्म नं०–28 में भवन का रजिस्टर।

(द) स्वीकृत किराया।

(1) किराये के आवासीय भवन वे हैं, जो राजपत्रित अधिकारियों के प्रयोग में आते हैं तथा जिनका लेखा–जोखा राजस्व अभिलेखों में है।

(2) किराया मुक्त आवासीय भवन वे भवन हैं] जो अराजपत्रित पुलिस अधिकारियों के आवासीय व्यवस्था के लिये उपयोग में लाये जाते हैं और उन कर्मचारियों के लिये भी हैं जो किराया मुक्त आवासीय भवन के हकदार हैं। (पुलिस आफिस मैनुअल के प्रस्तर–444 और 445)

## 5-2& vukoklh; Hkou

पुलिस मुख्यालय के अधिशासी अभियन्ता के दिये गये परामर्श के अनुसार अनावासीय भवन वे भवन है, जो थाना, चौकी, कार्यालय, स्टोर आदि तथा बैरक के रूप में प्रयोग में लाये जाते हैं। ऐसे भवनों के अभिलेखों का रख रखाव उसी तरह किया जाना चाहिए, जिस तरह किराया मुक्त आवासीय भवनों का किया जाता है।

**C P W D** eVuUl euqvy d vuqlkj Hkouk d j[k&j[kko dh dk; ;ktuk gr vko';d vfHkys[kk dk fooj.k :–

(1) भवन निर्माण का विस्तृत आगणन, भवनों एवं सर्विसेज सम्बन्धित कम्पलीशन ड्राईग।

(2) अध्यासी रजिस्टर।

(3) भवनों हेतु गठित शिकायत पंजिका।

(4) अतिक्रमण रजिस्टर।

(5) भवन वार अनुरक्षण का रिकार्ड।

(6) निरीक्षण पंजिका।

(7) तकनीकी स्टाफ की ड्यूटी रजिस्टर। (जहाँ ऐसा स्टाफ हो)

(8) रजिस्टर आफ स्पेशल रिपेयर।

(9) अवैध अध्यासीगण सम्बन्धी रजिस्टर।

(10) भवनों के आकार में संवर्धन एवं परिवर्तन सम्बन्धी रजिस्टर।

(11) भवनों की किराया पंजिका।

(12) भवनों के हैण्डिंग ओवर एवं टेकिंग ओवर सम्बन्धित रजिस्टर।

(13) सामग्री भण्डारण एवं खपत रजिस्टर।

(14) डिस्मैन्टिल्ड मैटिरियल की नीलामी/राईट आफ रजिस्टर।

अध्याय–6

# Hkouk dk fdjk;k] xgdj o tydj

## 6-1 'kkldh; Hkouk dk fdjk;k

वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन विषयक शासनादेश संख्या– ए–2–970/दस– 96–24(7)/95 दिनांक 28–6–1996 को निरस्त (संशोधित) करते हुए शासनादेश संख्या– ए–2–1092/दस–2011–24(7)–95, दिनांक 25–11–2011 के साथ संलग्न अनुलग्नक विवरण–पत्र–iii–मकान का किराया के क्रमांक–2 में उल्लिखित विभागाध्यक्षों एवं मण्डलायुक्तों को प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत अनावासीय भवनों हेतु उनके द्वारा स्वीकृत किराया तथा शासन द्वारा अनावासीय भवनों हेतु स्वीकृत किराये का भुगतान किया जायेगा। इस सम्बन्ध में पुलिस मुख्यालय के पत्र संख्या–बारह–27–2010, दिनांक 02.08.2011 (lyXud&27) द्वारा निर्गत किया गया है।

| | | |
|---|---|---|
| 2 | अनावासिक प्रयोजनों (गोदामों को छोड़कर) के लिये किराये पर लिये गये भवनों का किराया स्वीकृत करना।<br><br>1–मण्डलायुक्त<br><br>2–विभागाध्यक्ष | (1) गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, कानपुर, लखनऊ में–<br>रु० 20.00 प्रति वर्गफुट कारपेट एरिया तक, इस शर्त के अधीन कि प्रत्येक मामले में किराया स्वीकृत करने की अधिकतम सीमा 50,000 रुपयें प्रतिमास होगी।<br>(2) मण्डल मुख्यालयों के जनपदों में (उपर्युक्त क्रमांक–(1) में सम्मिलित जनपदों को छोड़कर)<br>रुपयें 10.00 प्रति वर्गफुट कारपेट एरिया तक, इस शर्त के अधीन कि प्रत्येक मामले में किराया स्वीकृत करने की अधिकतम सीमा 40,000 रुपयें प्रतिमास होगी।<br>(3) एक लाख जनसंख्या से ऊपर के अन्य नगरों में:–<br>रुपयें 8.00 प्रति वर्गफुट कारपेट एरिया तक, इस शर्त के अधीन कि प्रत्येक माममले में किराया |

| | | |
|---|---|---|
| | | स्वीकृत करने की अधिकतम सीमा 25,000 रुपये प्रतिमास होगी।<br>(4) एक लाख जनसंख्या से ऊपर के नगरों मेंः–<br>रुपयें 6.00 प्रति वर्गफुट कारपेट एरिया तक, इस शर्त के अधीन कि प्रत्येक मामले में किराया स्वीकृत करने की अधिकतम सीमा 15,000 रुपये प्रतिमास होगी।<br>(5) ग्रमीण क्षेत्रों मेंः–<br>रुपये 2.00 प्रति वर्गफुट कारपेट एरिया तक।<br>प्रतिबन्ध प्रत्येक दशा में यह है कि कार्यालय के लिये जगह वित्त विभाग के शासनादेश सं०–सी–2299/ दस–एच–639–61, दिनांक 08 जून, 1965 में निर्धारित मानक नमूने के अनुसार ली जाये।<br>fVIi.kh&1& उपरोक्त सीमा अधिकतम सीमा है और विभागाध्यक्ष एवं मण्डलायुक्त द्वारा अधिक से अधिक सस्ता स्थान प्राप्त करने के लिये प्रयास किये जाने चाहिए।<br>fVIi.kh&2 ''कारपेट एरिया'' का तात्पर्य भवन के ''फलोर एरिया'' से है जिसमें किचेन, बाथरूम, मोटर गैरेज, गैलरी तथा पैसेज के फलोर एरिया शमिल नहीं होगें।<br>fVIi.kh&3 जनपद व मण्डल स्तर के कार्यालय अपना किराया निर्धारण मण्डलायुक्त के स्तर पर करायेगें।<br>fVIi.kh&4 शेष कार्यालय जिसमें मुख्यतः विभागाध्यक्ष स्तर के कार्यालय होगें, विभागाध्यक्ष से अपना किराया निर्धारित करायेगें।<br>fVIi.kh&5 विभागाध्यक्ष एवं मण्डलायुक्त को प्रतिनिहित वित्तीय अधिकारों की सीमा से अधिक के मामले शासन के प्रशासकीय विभाग को |

| | | |
|---|---|---|
| | | सन्दर्भित किये जायेगें।<br>पूर्ण अधिकार, निम्नलिखित शर्तो के अधीनः–<br>(1) रेण्ट कण्ट्रोल एक्ट के अधीन निर्धारित अथवा स्थानीय नगर पालिका द्वारा निर्धारित किराये से जैसी भी स्थिति हो,किराया अधिक न हो। जहाँ इस प्रकार का भवन किराये पर उपलब्ध न हो, वहाँ किराया उस किरायें से अधिक नहीं होना चाहिए जिसे |
| | 3–प्रशासनिक विभाग | जिलाधिकारी द्वारा उचित प्रमाणित किया गया हो और संबंधित स्थानीय निकाय को सूचित किया गया हो।<br>(2) जहाँ कि भवन कार्यालय के उपयोगार्थ लिया जा रहा हो, वित्त (सी) विभाग के शासनादेश संः सी–2229/दस–एच–639–61, दिनांक 06 जून, 1955 में निर्धारित मानक नमूनों का यथेष्ठ ध्यान रखना चाहिए और अन्य मामलों में जगह औचित्यपूर्ण आवाश्यकताओं से अधिक नहीं होना चाहिए।<br>टिप्पणी– 1 सरकारी कार्यालयों के लिए प्राइवेट भवन किराये पर लेने के लिए निम्न प्रक्रिया अपनायी जायेगी।<br>(1) ऐसे भवन जो रेन्ट कन्ट्रोल ऐक्ट की परिधि के बाहर हैं को किराये पर लेने के लिए विभाग को स्थानीय रूप से अधिक पढ़े जाने वाले तीन प्रमुख एवं लोकप्रिय दैनिक समाचार पत्रों में दो बार लगातार कार्यालय प्रयोजन हेतु भवन की आवश्यकता का पूर्ण एवं स्पष्ट विज्ञापन कराना चाहिए। विज्ञापन सूचना विभाग के माध्यम से कराना आवश्यक न होगा।<br>(2) विभाग तीन अधिकारियों एक कमेटी गठित करेगा जो विज्ञापन के फलस्वरूप प्राप्त आवेदनों |

| | | |
|---|---|---|
| | | (Offer) पर विचार करके एवं उपलब्ध भवनों का निरीक्षण करके उपयुक्त भवन का चयन करेगी और जिलाधिकारी से किराये के औचित्य का प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा जिसके उपरान्त ही सक्षम अधिकारी द्वारा भवन का किराया कमेटी की संस्तुति पर स्वीकृत किया जा सकेगा।<br>(3) किराये के औचित्य का प्रमाण–पत्र जिलाधिकारी स्वयं अपने हस्ताक्षर से जारी करेंगे।<br>तहसीलदार या रेन्ट कन्ट्रोल आफीसर्स द्वारा दिया गया प्रमाण–पत्र इस निमित्त मान्य नहीं होगा। टाउन एरिया/नोटीफाइड एरिया/ग्रामीण क्षेत्रों में किरोय की दर का अनुमोदन जिलाधिकारी का होगा, परन्तु किराये का औचित्य प्रमाण–पत्र जारी करने के लिए परगना अधिकारी अधिकृत होंगे।<br>टिप्पणी–2– सरकारी कार्यालयों के लिए किराये पर लिये गये जो भवन रेन्ट कन्ट्रोल एक्ट के अन्तर्गत आ गये हैं उन भवनों के किराये में वृद्धि के सम्बन्ध में निम्न प्रक्रिया अपनायी जायेगी–<br>सरकारी कार्यालयों के लिए किराये पर लिये गये जो भवन "उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने किराये तथा बेदखली का विनियमन) अधिनियम–1972" के प्राविधानों के अन्तर्गत आ गये हैं यदि उनका किराया बढ़ाने की मांग मकानदार द्वारा की जाती है तो उसे उसके लिए उक्त अधिनियम की धारा–21(8) के प्राविधानों का पालन करना होगा, जिसके अनुसार किसी भी भवन की स्थिति में जिला मजिस्ट्रेट, माकानदार के आवेदनपत्र पर उसके लिए देय मासिक किराया उतनी धनराशि तक बढ़ा सकता है जो किरायादार के अधीन भवन के बाजार मूल्य के 10 प्रतिशत के 12वें भाग के बराबर होगा और इस प्रकार बढ़ाया गया किराया आवेदन पत्र के दिनांक ठीक बाद |

| | | |
|---|---|---|
| | | पड़ने वाले किरायेदारी के मास के प्रारम्भ से देय होगा किन्तु अग्रेत्तर वृद्धि करने के लिए इस प्रकार का आवेदन पत्र वृद्धि के अन्तिम आदेश के दिनांक से 5 वर्ष के अवधि की समाप्ति के पश्चात ही दिया जा सकेगा। यदि उभयपक्षों के बीच किसी निर्धारित अवधि तक किराया न बढ़ाने की शर्ते तय हो चुकी हो तो उस अवधि तक किराये की वृद्धि सम्भव नही होगी। |

## 6-2 xgdj@tydj

पुलिस मुख्यालय एवं जनपद के पुलिस थानों/पुलिस चौकियों/पुलिस लाइन्स/पुलिस कार्यालयों/इकाईयों आदि हेतु नगर निगम/जल संस्थान/नगर पालिकायें/नगर पंचायतों/जिला पंचायतों से प्राप्त xgdj ,o tydj@tyeY; के बिलों के भुगतान के सम्बन्ध में उ०प्र० नगर निगम अधिनियम 1959 के अध्याय–9 विशेष कर धारा–173, 174 एवं 175, उ०प्र० नगरपालिका अधिनियम 1916 के अध्याय–5 की धारा 128 एवं नगर पंचायतों/जिला पंचायतों के क्षेत्रों में सुसंगत अधिनियमों (lyXud&6-2-28) का अध्ययन कर उसी के अनुरूप निगम के उच्चाधिकारियों से व्यक्तिगत सम्पर्क कर भलीभाँति परीक्षणोपरान्त ही प्रदेश के शासकीय भवनों के जलकर/गृहकर का सही निर्धारण कराकर वास्तविक रूप से देय धनराशि की माँग पुलिस मुख्यालय से किये जाने पर ही पुलिस मुख्यालय से अनुदान का आवंटन किया जायेगा।

इस विषय में यह आवश्यक है कि माँग/कर निर्धारण एवं बिलों का सम्यक परीक्षण/जाँच करके ही भुगतान किया जाये। स्थानीय निकायों द्वारा करारोपण के विषय में निम्न प्रावधान विशेष रूप से ध्यान देने योग्य हैः–

(क) उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 के अध्याय–9 विशेष कर धारा 173, 174, एवं 175 में गृहकर एवं जलकर के निर्धारण के सम्बन्ध में प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है, (m)j.k lyXud l[;k–6.2.28 )

(ख) जिन जनपदों में नगरपालिकायें है। वहाँ के लिये उ०प्र० नगरपालिका अधिनियम 1916 के अध्याय–5 की धारा 128 में गृहकर एवं जलकर के निर्धारण के सम्बन्ध में प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है (m)j.k lyXud l[;k–6.2.28 )

(ग) इसी प्रकार नगर पंचायतों/जिला पंचायतों के क्षेत्रों में भी सुसंगत अधिनिययमों का अध्ययन कर जलकर एवं गृहकर निर्धारण का परीक्षण कर लिया जाये।

## अध्याय–7

# fo|r 0;;

उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या–2015/6–पु–11–5–बजट/2011, दिनांक 29–04–2011 में पुलिस विभाग के आवासीय एवं अनावासीय भवनों के लिए पृथक–पृथक विद्युत मीटर की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है।

शासन के उपरोक्त आदेश के परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड के पत्रांक 143/मु०अ० (वा० एवं ऊ०ले०)/वा०–1, दिनांक 25.06.2011 द्वारा पुलिस एवं पी०ए०सी० के सरकारी आवासीय एवं अनावासीय भवनों में अलग–अलग मीटर लगाये जाने के सम्बन्ध में समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण) विद्युत वितरण क्षेत्र को स्पष्ट निर्देश निर्गत किये गये हैं। तद्नुसार पुलिस मुख्यालय के परिपत्र संख्याःबारह–14–69, दिनांक 08–07–2011,03.12.2011 व 12.12.2011 में पुलिस/पीएसी के आवासीय एवं अनावासीय परिसरों में पृथक–पृथक विद्युत कनेक्शन (संयोजन) स्थानीय पावर कारपोरेशन के स्थानीय अधिकारियों से सम्पर्क कर लगवाये जायेंगे। आवासीय परिसर में विद्युत मीटर लगने के बाद सभी आवासों में सब–मीटर लगवाये जायेंगे एवं एक रजिस्टर बनाकर तद्नुसार अध्यासियों से विद्युत देयों की वसूली की जायेगी। (संलग्नक–7.29, 7.29(1), 7.29(2)

जब तक उपरोक्त कार्यवाही पूर्ण नहीं होती तब तक उक्त वसूली अध्यासी के वेतन बिल से ही कटौती करके लेखाशीर्षक ^^0055&Ákf Ir ;k** मद में सीधे कोषागार मे जमा की जायेगी।

7-2 वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–12 के अ०शा० पत्रांक–ई–12– 458/दस–99, दिनांक 16–11–1999 के क्रम में शासन के पत्र संख्या–3302/ 6–पु–13–99, दिनांक 30–12–1999 के सन्दर्भ में शासन के पत्र संख्या–4682/ 6–पु–7–198/2000, दिनांक 18–12–2003 के निर्देशानुसार विद्युत मीटर रहित आवासीय भवनों के अध्यासियों से निर्धारित दरों यथा टाइप–I से 156/–, टाइप–II से 312/–, टाइप–III से 455/– तथा टाइप–IV से 741/– पर वसूली की जायेगी।

# सिविल कार्य

# ifjHkk"kk,¡

**foRrh; gLr iqfLrdk [k.M&5 Hkkx&1 ds ÁLrj&262& esa dk;ksZ dk ÁkjfEHkd :i ls nks Jsf.k;ksa esa foHkkftr fd;k x;k gS&**

''मूल–कार्य'' और ''ejEer ;k lq/kkj''– मूल कार्य में सभी नये निर्माण सम्मिलित है भले ही वे नये कार्यो के अतिरिक्त हों या अस्तित्वाधीन कार्य के अतिरिक्त तथा संपरिवर्तित कार्य जो कि इमारत के मूल्य पूँजी या कार्य के कारण बढ़े हों। नयी खरीदी गयी या पूर्वतः छोड़ी गयी इमारत जिसका कि उनके द्वारा प्रयोग करना अपेक्षित हो, मूल कार्य में ही आयेगे।

मरम्मत या सुधार में सभी ऐसे कार्य सम्मिलित हैं जो इमारतों को सामान्य उपयोग में रखने हेतु इमारत को उचित दशा में रखने के लिये अपेक्षित हैं।

एक लघु कार्य वह है जिस पर लागत 20,000 रु० से ज्यादा हो। एक छोटा कार्य वह है जिस पर लागत 20,000 रु० से ज्यादा हो किन्तु वह लागत 1,00,000 रु० से ज्यादा न हो, तथा मुख्य (मेजर) कार्य वह है जिस पर लागत 1,00,000 रु० से ज्यादा हो।

fVIi.kh (1) मिश्रित मद के मामले मे यदि मद पर के कार्य पर मूल कार्य के बहीखाते में डाली गयी राशि 20,000 रु० या इससे कम है तो उसे लघु कार्य के रूप में व्यवहारित किया जाय न कि छोटे कार्य के रूप में, यद्यपि ऐसे समिश्रित कार्य की (मरम्मत को सम्मिलित करते हुये ) कुल राशि 20,000 रु० से ज्यादा हो सकती है तथा विभागीय प्रधान को ऐसे मिश्रित कार्यो के निष्पादन के लिये दायित्वाधीन होना चाहिए तथा अपने निजी बजट के प्रयोजनार्थ फंड से पावतियां प्राप्त करेंगे। जब मूल कार्य भाग का मिश्रित मद 20,000 रु० से ज्यादा हो तो यह छोटे कार्य के रूप में बरता जाये तथा निष्पादन के लिये मरम्मत सहित पूरे कार्य को लोक निर्माण विभाग को न्यसत किया जाय। ऐसे कार्यो के उपबन्ध '' लोक निर्माण विभाग'' बजट दोनों मूल तथा मरम्मत के अधीन निर्मित किये जाएं।

(2) जब एक अस्तित्वाधीन इमारत की पुनर्सज्जा होनी हो, या उसका कोई भाग अन्यत्र प्रतिस्थापित किया जाना हो तो यदि इसके निर्माण की वस्तुएँ पूर्वतः अस्तित्वाधीन इमारत की दृष्टिकोण से अधिक मंहगी हैं तो या प्रस्तावित पुर्ननिर्माण आवास की वृद्धि के परिणास्वरूप है तो केवल एक मद तैयार किया जायेगा किन्तु मद मिश्रित मद के भाग पर होगा जो कि '' मूल–कार्य'' को प्रभार योग्य हो तथा उसके मरम्मत के भाग पर। मूल कार्य को प्रभावित होने वाली राशि मूल लागत किये गये कार्य की कुल मद मूल्य पर होगा (यदि मद आवश्यक हो)।

viokn&जब किसी एक मद (इस्टीमेट) में '' मूल कार्य'' की प्रभार योग्य राशि 20,000 रु० से कम है तो मरम्मत के लिये पूर्ण खर्च प्रभारित हो सकेगा, बशर्ते कि कार्य यदि आवासीय इमारत से सम्बन्धित है तो राशि जो कि '' मूल कार्य'' पर शुद्धतः प्रभार योग्य है पूँजी मूल्य में जोड़ी जायेगी तथा किराये जोड़ हेतु विचार में लायी जायेगी।

## foRrh; gLrifLrdk [k.M&5 Hkkx&1 d ÁLrj&264&

इस अध्याय में के नियमों में शब्द '' स्थानीय अधिकारी''के अधीन जिला या विभागों के स्थानीय प्रमुख, या लोक निर्माण विभाग से भिन्न अधिकारी आयेंगे (जैसे जिला अधिकारी या पुलिस अधीक्षक) जो कि विभाग से सम्बन्धित इमारतों की समुचित दशा में रख रखाव तथा ऐसी इमारत से सम्बन्धित कार्यो के निष्पादन के लिये दायित्वाधीन होगें। सरकार उन विशिष्ट इमारतों को अभिनिश्चत कर सकेगी जिन विशिष्ट इमारतों के सन्दर्भ में अधिकारी अपने कर्तव्यों का पालन कर सकेगें।

fVIi.kh&स्थानीय अधिकारी के मामले में स्वयं उनके विभाग के प्रमुख इस अध्याय में के नियमों के अधीन उनके द्वारा उन्मोचित विभागीय प्रमुख तथा स्थानीय अधिकारी दोनों के कर्तव्यों का पालन करेंगे।

## lkekU; fu;e

ÁLrj&264 (अ) आवासीय इमारतों को छोड़कर सभी इमारतों के रख रखाव तथा मरम्मत का दायित्व मय, विद्युत, सफाई जल आपूर्ति तथा सम्बन्धित विभाग के स्थानीय अधिकारियों पर अधिरोपित सभी लघु कार्यो का निष्पादन विभाग के प्रमुख के नियंत्रण के विषय होगें। लोक निर्माण विभाग द्वारा सिविल विभाग को की गयी आपूर्ति लोक निर्माण विभाग की प्रति के साथ उसकी शुद्ध स्लिप के साथ अनुसूची दर पर की जायेगी। लोक निर्माण विभाग जब कभी भी अपेक्षित हो करार के सम्बन्ध में उन्हें परामर्श देते हुये सिविल विभाग को कार्य लेखा,अभिलख योजना,इमारत रजिस्टर इत्यादि के सम्बन्ध में उन्हें सहायता प्रदान करेगा तथा मुख्यालय पर कार्य के सम्बन्ध में ऐसे कार्य से सम्बन्धित विनिर्दिष्ट बिन्दुओं पर मरामर्श हेतु पूछ सकेगा।

(ब) सिविल अधिकारी के निर्माणाधीन लोक निर्माण विभाग सभी विभागों की इमारतों में छोटे तथा बड़े कार्यो का भी निष्पादन करेगा, सरकार के स्टाफ तथा सदस्यों के पदीय आवासों की मरम्मत तथा रख रखाव तथा उनकी इमारतों से सम्बन्धित लघु कार्यो का भी निष्पादन करेंगे(देखें पैरा 294–297 तथा 298)

## viokn

**(i)** कारागार के महानिरीक्षक अस्तित्वाधीन जेल से सम्बन्धित छोटे बड़े सभी कार्यो के लिये दायित्वाधीन हैं किन्तु वह स्वविवेक पर किसी भी ऐसे छोटे बड़े कार्य को लोक निर्माण विभाग के जिम्मे कर सकेंगे जिसमें वैज्ञानिक प्रबन्ध या तकनीकी ज्ञान अपेक्षित हो जब वे छोटे या बड़े कार्यो के निष्पादन का दायित्व धारित करें तो वे वित्तीय हस्तपुस्तिका के वाल्यूम vi लोक निर्माण लेखा को रखेंगे तथा उनहें महालेखाकार को पेश करेंगे।

**(ii)** वार्षिक तथा विशेष मरम्मत के निष्पादन के परामर्शदायी नियम विद्युत संस्थापन से सम्बन्धित छोटे बड़े कार्यो के लिये देखें (पैरा 279)

**(iii)** वन विभाग के कार्य चाहे वे बड़े हों या छोटे वित्तीय हस्त पुस्तिका वाल्यूम vii में विहित नियमों के तदनुसार विभाग द्वारा ही किये जाएं। किन्तु वह विभाग ऐसे छोटेबड़े कार्य को लोक निर्माण विभाग के जिम्मे कर सकेगा जिसमें वैज्ञानिक प्रबन्ध या तकनीकी ज्ञान अपेक्षित है।

**(iv)** जब छोटे या बड़े कार्य का प्रशासन नियंत्रण तथा निष्पादन यातायात संगठन,निर्माण खण्ड के कार्यपालिका इन्जीनियर, संगठन के छोटे कार्यो के लिये जो कि 1,00,000 रु० के लागत तक के है विभागीय रूप से जिम्मेदार होगे परन्तु यह इसशर्त के अधीन होगा कि कार्यपालिक इन्जीनियर (निर्माण खण्ड) का पद लोक निर्माण विभाग के कार्यपालिक इन्जीनियर द्वाराधारित किया गया हो। विशेष परिस्थितियों में सिविल विभाग के प्रधान को न्यस्त हो तब कार्य के फंड के उपबन्ध उस विभाग के बजट में निर्मित किये जाय।

fVli.kh& (1) कच्ची इमारतों के सिवाय तथा इमारतों के समूह जो कि मुख्य कच्चे रूप में हैं, लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता से निम्न श्रेणी के न होने वाले अधिकारी द्वारा सभी इमारतें हरेक दूसरे वर्ष निरीक्षित की जायें। अधीक्षण अभियंता अभिनिश्चय करेंगे तथा कब्जाधीन विभाग के स्थानीय प्रमुख को आमंत्रण की सूचना देंगे, प्रत्येक जिले में जिन इमारतों का निरीक्षण सहायक अभियंता द्वारा किया जायेगा, तथा जो कि प्रखंड अभियंता द्वारा निरीक्षित की जायेंगी। मुख्य अभियंता द्वारा विनिर्दिष्ट प्रारूप पर निरीक्षण अधिकारी अपने निरीक्षण का परिणाम अभिलिखित करेंगे जिसकी एक प्रति वे स्थानीय

अधिकारी तथा एक प्रति अधीक्षण अभियंता को भेज देंगे। सूचना में आयी सभी त्रुटियों के निवारणार्थ स्थानीय प्रमुख आवश्यक कदम उठायेंगे।

(2) किसी भी विभाग के प्रमुख एक वर्ष के भीतर किसी भी समय इमारत के निरीक्षण बाबत लोक निर्माण विभाग को कह सकेंगे।

(3) इमारत जिसकी छत लकड़ी या बीम की हो वर्तमान में प्रत्येक वर्ष लोक निर्माण विभाग द्वारा निरीक्षण की जायेगी।

(4) लोक निर्माण विभाग के निरीक्षण अधिकारी इसके विशेष बिन्दुओं की रिपोर्ट देगें भले ही इसकी चातुर्दिक मरम्मत समुचित हो।

264–ए (i) सरकार के आदेश के बिना लोक प्रयोजनार्थ कोई भी इमारत क्रय न की जाए जिस पर कि विभागीय अभियता द्वारा सर्वे तथा मूल्यांकन की रिपोर्ट अनुमोदन हेतु सभी मामलों में विभागीय प्रमुख द्वारा पेश की जानी चाहिए।

(ii) इस अध्याय में उपबंध ए में विहित नियमों के सिवाय कोई भी आवासीय इमारत खरीदी या बनवायी न जाए।

# सामान्य नियम

## foRrh; gLr ifLrdk [k.M&5 Hkkx&1 d ÁLrj&294&

सिविल विभाग से लोक निर्माण विभाग बजट मद से फंड का स्थानान्तरण आवश्यक नहीं है सिवाय विद्युत के मामले में या अन्य लघु कार्यो के निष्पादन के मामले में जो किसी कारण वश लोक निर्माण विभाग में न्यस्त किए जाएं। संभागीय अभियन्ता अपने लेखा में संव्यवहारों को निविष्ट करेगे तथा राशि के सन्दर्भ में अपनी सलाह को समयोजित करते हुए सम्बन्धित स्थानीय अधिकारी के जरिये महालेखाकार को भेजेंगे।

fVIi.kh& इस नियम के अधीन कोषालय के सुदृढ़ कमरे के निर्माण के सम्बनध में सभी कार्य का निष्पादन लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जायेगा।

ÁLrj&295–(अ) लघु कार्यो के निष्पादन के लिये स्थानीय अधिकारी निजी अधिकरण या निजी ठीकेदार से मद तथा डिजाइन प्राप्त करेंगे। (देखें पैरा–305) फिर भी जब कभी भी यदि ऐसे कार्य के मौलिक क्लिष्टताओं या तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता सम्मिलित हो तो यह सिविल विभाग के विकल्प पर होगा कि वह कार्य को करने हेतु लोक निर्माण विभाग से प्रार्थना करे। लोक निर्माण विभाग स्वविवेक से ऐसा कार्य कर सकता है किन्तु औद्योगिक विभाग से परिवचनित कार्य के मामले में वे सम्यक् प्रतिशत शुल्क प्रत्युद्धरण कर सकते है।(देखें पैरा 296 तथा 306)

(ब) प्रत्येक मामलों में स्थानीय अधिकारी परिवीक्षा हेतु मद को सम्भागीय अभियंता के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। मंजूरी के सन्दर्भ में विभागीय प्रधान की परिवीक्षा तथा फंड के आवंटन के पश्चात् विभागीय अभियंता मद को पेश करेंगे। आवासीय इमारतों के मद से सम्बन्धित मामलों में पैरा 279 के तद्नुसार वे पुनरीक्षित किराया कथन की प्रति संलग्न करेंगे। पुनरीक्षित किराया कथन की तैयारी में पैरा 282 ए में विहित निर्देशों को मद्दे नजर किया जाएगा।

fVIi.kh& (1) स्थानीय अधिकारी निर्माणाधीन लघु कार्यो के निरीक्षण हेतु प्रखंड अभियंता को नहीं बुलाएगे।

(2) जब प्रोजेक्ट कार्यगत हो तब प्राइवेट प्रैक्टीशनर से अपने मदों को पेश करने के लिए पूछा जायेगा जो कि निम्न दस्तावेजों सुसंगत हों–

(अ) रिपोर्ट, (ब) साधारण नमूना (स) विवरणात्मक नमूना (द) जोड़ (च) मात्रा पर के विवरणात्मक मद (छ) लागत का सार (ज) तीन प्रतियों में के नक्शे का विवरण।

जब कभी भी वैकल्पिक हो मद (अ) की रिपोर्ट पेश की जाए।

(3) उपरोक्त नोट (2) में विवरणात्मक दस्तावेजों की तैयारी में भाषा हिन्दी या अंग्रेजी की हो सकेगी।

ÁLrj&295–(ए) लघु कार्यो के निष्पादन के लिये स्थानीय प्राधिकारी कराकर कर सकते है बशर्ते कि ऐसी मद प्रारम्भिक मद से अधिक न हो।यदि मद ज्यादा है तो करार विभाग के प्रधान के प्रतिग्रहण हेतु पेश किया जायेगा।

प्रस्तर–296– डिजाइन की तैयारी या किसी भी तरह के निष्पादन के लिये मुख्य अभियंता की मन्जूरी के बिना खंड अभियंता द्वारा कोई कार्य परिवचनित नहीं होगा। यह अनुज्ञा सम्बन्धित विभाग के प्रधान प्राप्त करेगे जो कि जब कभी भी इसके लिये प्रयोज्य हों निर्धारित वित्तीय वर्ष या चालू कार्य के दौरान फंड पावती को परिवचनित करेंगे। कार्य के परिवचन को अनुज्ञा की प्राप्ति कर संभागीय अभियंता प्रोजेक्ट की तैयारी तथा कार्य के निष्पादन के सम्बन्ध में विभागीय नियमों का अनुपालन करेंगे सिवाय उनके जिनमें कि प्रारम्भिक प्रस्ताव व्ययनित है।

## NkVs dk;

ÁLrj 297& छोटे कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा किये जाएं किन्तु वे सिविल विभाग के प्रमुख द्वारा शुरू किये जायें। लोक निर्माण विभाग ऐसे कार्यो का निष्पादन अपने विभागीय नियमों के तद्नुसार करेगा।

ÁLrj&298& लघु कार्यो के निर्माण का फंड '' सिविल वर्क 50'' शीर्ष के अधीन लोक निर्माण विभाग के बजट मद में एक लाख रु० से कम विहित किया गया है। सम्बन्धित सिविल को या इस प्रयोजनार्थ नियुक्त अधिकारी को व्ययन पर वे आभार को पुनरक्षित रखेंगे।

fVIi.kh& छोटे कार्यो के लिये उपबंधित बजट प्रस्ताव में विभाग को दृढ़ता पूर्वक अपनी मांग करनी चाहिए कि वित्तीय वर्ष के दौरान कितना खर्च हो सकता हैं।

STANDARD DESIGN OF THANA FOR NAXALITE AREA

Area Statement

| Ground Floor | | | | |
|---|---|---|---|---|
| S.N. | Description | Nos. | Measurement in Mtr. | Quantity (in Sqm) |
| 1 | Office (6000x3600mm) | 1 | | 32.07 |
| 2 | Malkhana (4700x4055 mm) | 1 | | 17.45 |
| 3 | Toilet (3600x2700 mm) | 1 | | 12.47 |
| 4 | W.C. (1000X200 mm) | 2 | | 4.90 |
| 5 | Gents Lockup (3070x3600 mm) | 1 | 3.07x3.60 | 11.05 |
| 6 | Ladies Lockup (2700x3600 mm) | 1 | 2.70x3.60 | 9.72 |
| 7 | Toilet (1800x1900 mm) | 1 | | 3.67 |
| 8 | S.H.O. Room (3600x5400 mm) | 1 | 3.60x5.40 | 19.44 |
| 9 | Morcha (2400x2500 mm) | 2 | | 10.96 |
| 10 | Entrance Verandah (6000x1315 mm) | 1 | 6.00x1.315 | 7.89 |
| 11 | E.N.T. Lobby/Stair case (5000x4970 mm) | 1 | | 31.92 |
| 12 | Visitors Room (2700x3600 mm) | 1 | 2.70x3.60 | 9.72 |
| 13 | S.I. Room (3185x3600 mm) | 1 | 3.185x3.60 | 11.47 |
| 14 | Morcha | 1 | | 7.92 |
| 15 | Invertor/Generator Room (3600x3185 mm) | 1 | 3.60x3.185 | 11.47 |
| 16 | Passage (2100 mm Wide) | 1 | | 66.86 |
| 17 | Porch (6460x3600 mm) | 1 | (6.460x3.60)/2 | 11.62 |
| 18 | Wall area | 1 | | 42.90 |
| | | | Total | 323.50 |

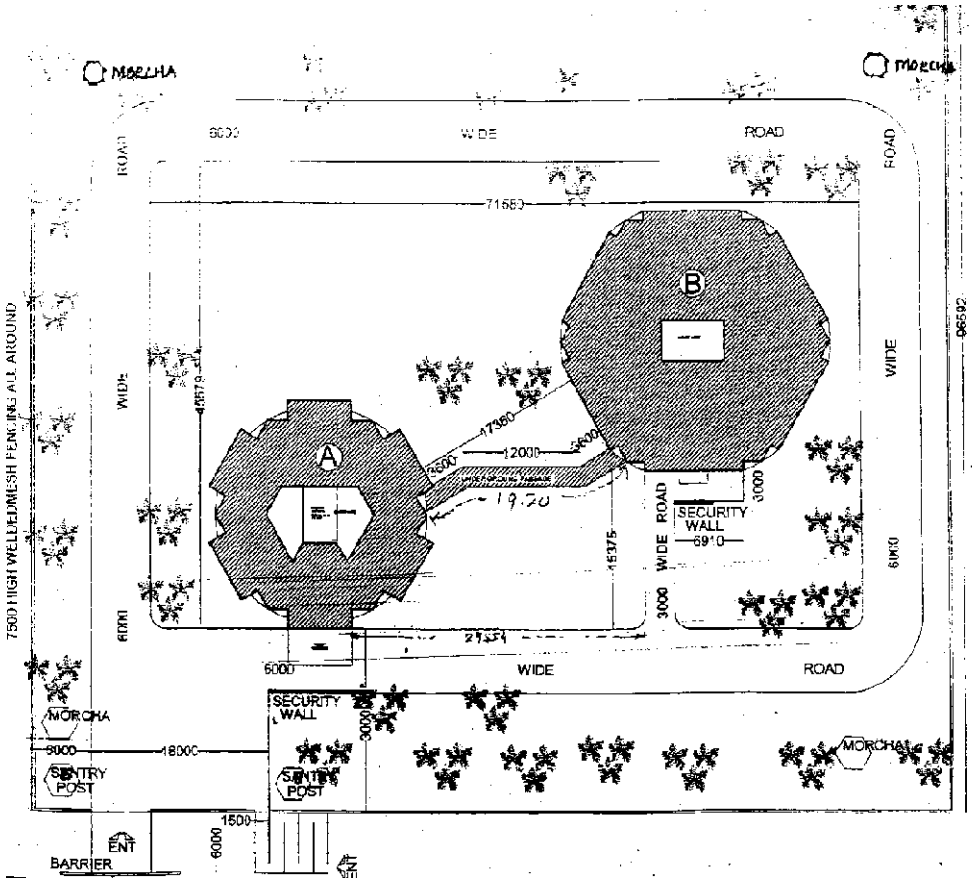

(A) THANA BUILDING GR. + 2 + CENTRAL MORCHA AT TOP (BARRACK FOR 28 PERSONS)
(B) RESERVE BARRACK FOR 28 PERSONS
S.N. DESCRIPTION REV. DRG NO. DATE M. (ARC)
REVISIONS
STANDARD DESIGN OF THANA FOR NAXALITE AREA
SCALE
DATE 25/06/2009
ASHOK NAWAN
DEALT BY
DRG. NO
JOB NO.
NORTH
CHECKED BY
LAY OUT PLAN
MANAGER (ARCH.)
U.P. - POLICE AVAS NIGAM LTD.
VIBHUTI KHAND, GOMTI NAGAR, LUCKNOW
Approved
MORCHA
WIDE ROAD
SECURITY WALL
SENTRY POST
BARRIER
ENT
7500 HIGH WELDEDMESH FENCING ALL AROUND

STANDARD DESIGN OF THANA FOR NAXALITE AREA

Area Statement

| First Floor | | | | |
|---|---|---|---|---|
| S.N. | Description | Nos. | Measurement in Mtr. | Quantity (in Sqm) |
| 1 | Dining Hall | 1 | | 25.20 |
| | 6000x3600mm | | | |
| 2 | Kitchen | 1 | | 17.45 |
| | 4700x4055 mm | | | |
| 3 | Morcha | 5 | | 27.40 |
| | 2400x2500 mm | | | |
| 4 | Morcha | 1 | | 7.92 |
| | 2400X2500 mm | | | |
| 5 | Barrack | 4 | 6.00x3.60 | 86.40 |
| | 6000x3600 mm | | | |
| 6 | Store | 1 | 3.60x2.70 | 9.72 |
| | 3600x2700 mm | | | |
| 7 | Toilet | 1 | 3.60x3.185 | 11.47 |
| | 3600x3185 mm | | | |
| 8 | Passage/Stair Case | 1 | | 88.53 |
| | 2100 mm Wide | | | |
| 9 | Wall area | 1 | | 37.81 |
| | | | Total | 311.90 |

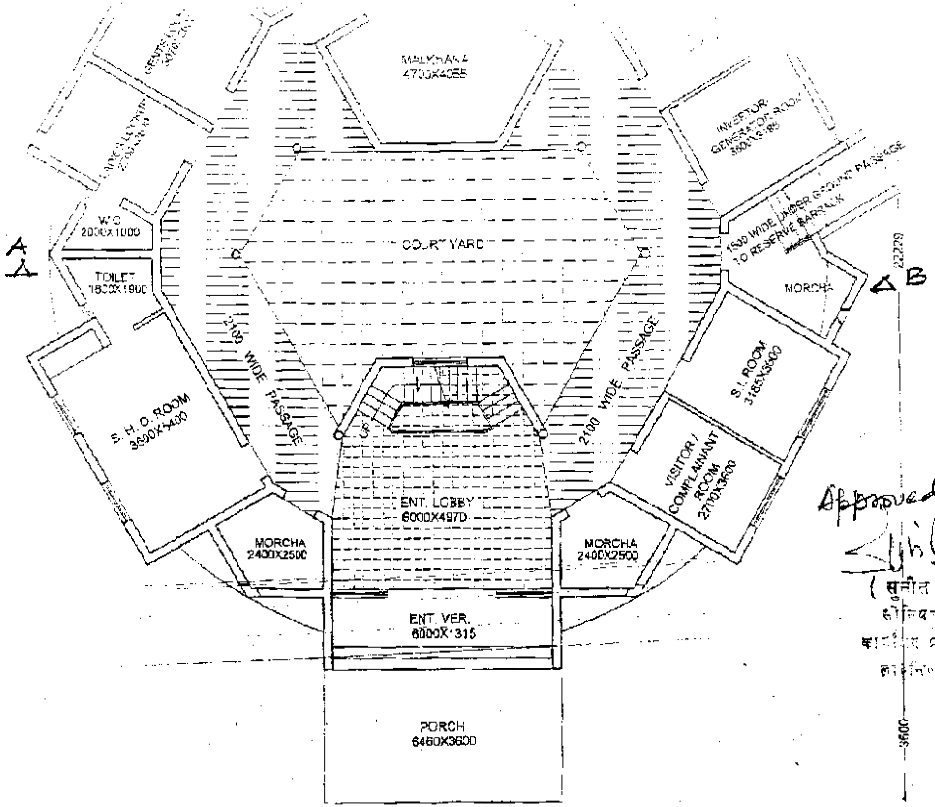

AREA STATEMENT
TOTAL COVERED AREA
S.N. DESCRIPTION REV. DRG. NO. DATE
REVISIONS
STANDARD DESIGN OF
THANA FOR NAXALITE AREA
1:100
23/08/2009
SCALE
DATE
ASHOK NARAIN
DEALT BY
DRG. NO.
JOB. NO.
NORTH
CHECKED BY
GROUND FLOOR PLAN
MANAGER (ARCH)
U.P. POLICE AVAS NIGAM LTD.
VIBHUTI KHAND, GOMTI NAGAR, LUCKNOW.
Approved
2.12.09
GENERATOR ROOM
1500 WIDE BARRACK
TO RESERVE BARRACK
MORCHA
S.I. ROOM
3165X3600
VISITOR / COMPLAINANT ROOM
2700X3600
MORCHA
2400X2500
2100 WIDE PASSAGE
MALKHANA
4700X4085
COURT YARD
UP
ENT. LOBBY
6000X4970
ENT. VER.
6000X1315
PORCH
6460X3600
MORCHA
2400X2500
2100 WIDE PASSAGE
S.H.O. ROOM
3600X4400
TOILET
1800X1900
W.C.
2000X1000
A
B
3600
22229

STANDARD DESIGN OF THANA FOR NAXALITE AREA

Area Statement

| Second Floor | | | | |
|---|---|---|---|---|
| S.N. | Description | Nos. | Measurement in Mtr. | Quantity (in Sqm) |
| 1 | Barrack | 3 | 6.00x3.60 | 64.80 |
| | 6000x3600mm | | | |
| 2 | Morcha | 2 | | 10.96 |
| | 2400x2500 mm | | | |
| 3 | Store | 1 | 3.60x2.70 | 9.72 |
| | 3600x2700 mm | | | |
| 4 | Toilet | 1 | 3.60x3.185 | 11.47 |
| | 3600x3185 mm | | | |
| 8 | Passage/Stair Case | 1 | | 111.92 |
| | 2100 mm Wide | | | |
| 9 | Wall area | 1 | | 27.93 |
| | | | Total | 236.80 |

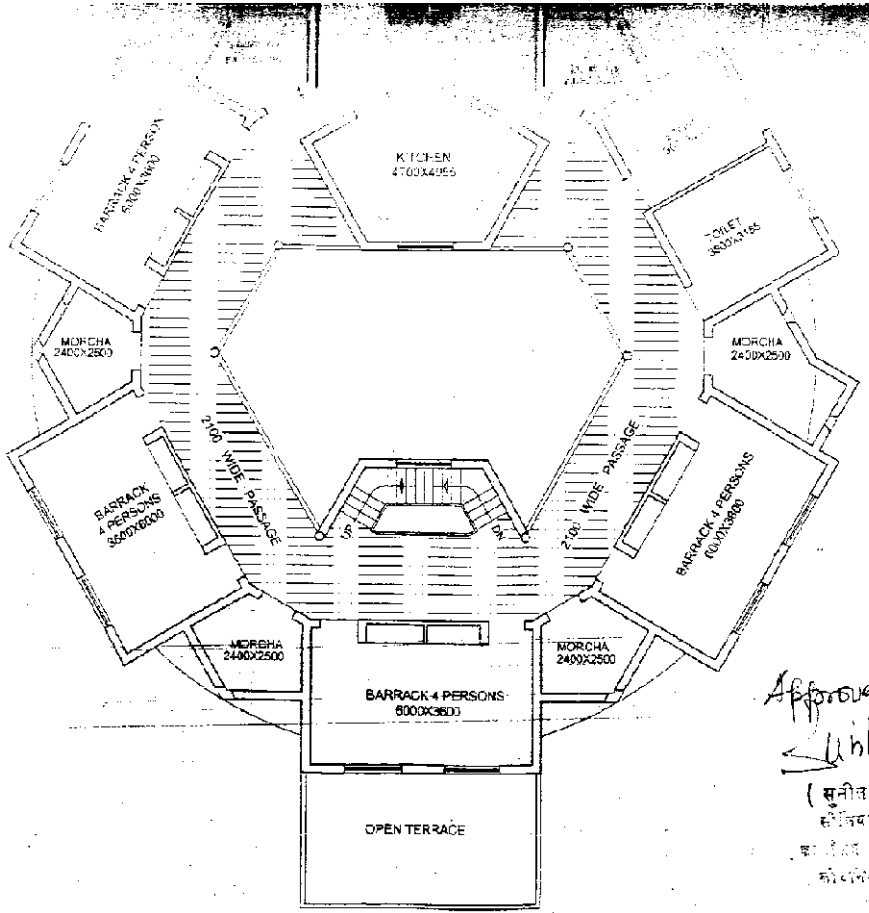

Approved
2.12.09
( सुनील कुमार जैन )

| S.N. | DESCRIPTION | REV. DRG. NO. | DATE | M. | ARCH. |
|---|---|---|---|---|---|

REVISIONS

STANDARD DESIGN OF
THANA FOR NAXALITE AREA

| 1:100 | 23/09/2009 | ASHOK NAWANI |
|---|---|---|
| SCALE | DATE | DEALT BY |

DRG. NO. JOB. NO. NORTH | CHECKED BY

FIRST FLOOR PLAN

MANAGER (ARCH)

U.P. - POLICE AVAS NIGAM LTD
VIBHUTI KHAND, GOMTI NAGAR, LUCKNOW.

STANDARD DESIGN OF THANA FOR NAXALITE AREA

Area Statement

| Third Floor/Terrace Plan | | | | |
|---|---|---|---|---|
| S.N. | Description | Nos. | Measurement in Mtr. | Quantity (in Sqm) |
| 1 | Centre Morcha WITH L.M.G. at Top | | | |
| | A | 1 | 3.464X10.285 | 35.63 |
| | B | 2 | (4.515+2.675)2X1.062 | 7.67 |
| | C | 2 | (2.212+2.675)2X0.268 | 1.31 |
| | D | 2 | (1.915X1.106)/2 | 2.11 |
| | | | Total | 46.72 |

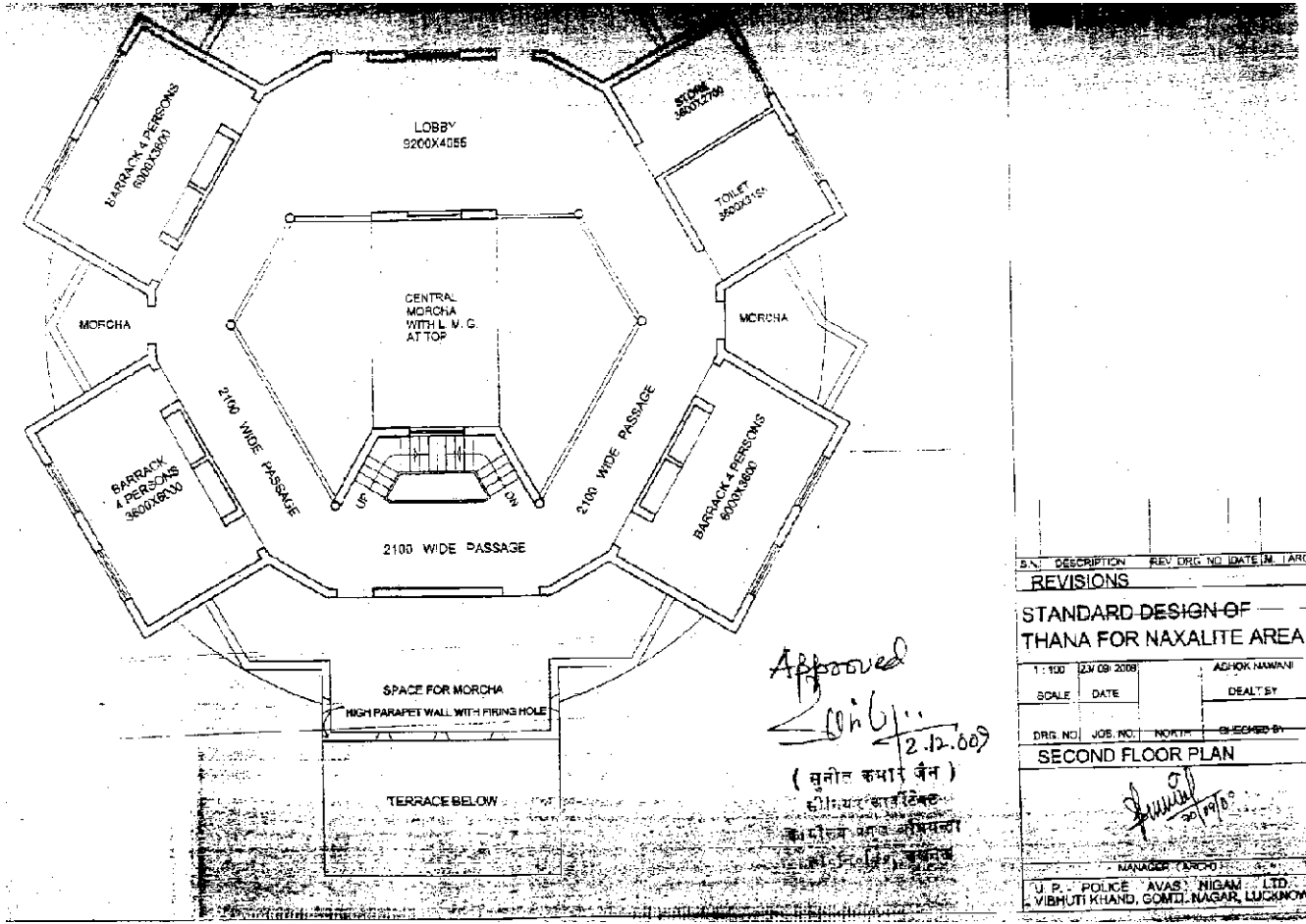

LOBBY
9200X4055
CENTRAL
MORCHA
WITH L. M. G.
AT TOP
MORCHA
MORCHA
BARRACK 4 PERSONS
6000X3600
BARRACK
4 PERSONS
3600X6000
BARRACK 4 PERSONS
6000X3600
STORE
TOILET
2100 WIDE PASSAGE
2100 WIDE PASSAGE
2100 WIDE PASSAGE
UP
DN
SPACE FOR MORCHA
HIGH PARAPET WALL WITH FIRING HOLE
TERRACE BELOW
Approved
2.12.009
( सुनील कुमार जैन )
S.N. DESCRIPTION REV DRG NO DATE M. I ARCH
REVISIONS
STANDARD DESIGN OF
THANA FOR NAXALITE AREA
1:100
23/09/2008
ASHOK NAWANI
SCALE
DATE
DEALT BY
DRG. NO
JOB. NO.
NORTH
CHECKED BY
SECOND FLOOR PLAN
MANAGER (ARCH)
U.P. POLICE AVAS NIGAM LTD.
VIBHUTI KHAND, GOMTI NAGAR, LUCKNOW

STANDARD DESIGN OF THANA FOR NAXALITE AREA

Area Statement

| Ground Floor-Reserve Barrack | | | | |
|---|---|---|---|---|
| S.N. | Description | Nos. | Measurement in Mtr. | Quantity (in Sqm) |
| 1 | Dining Hall | 1 | | 43.69 |
| | 5910x6165 mm | | | |
| 2 | Kitchen | 1 | | 14.03 |
| | 4000x3835 mm | | | |
| 3 | Morcha | 6 | | 30.36 |
| | 2200x2200 mm | | | |
| 4 | Barrack | 4 | 9.45x3.835 | 144.96 |
| | 9450x3835 mm | | | |
| 5 | Store | 1 | 2.21x3.835 | 8.47 |
| | | | | |
| 6 | Toilet | 1 | | 18.71 |
| | 5220x3835 | | | |
| 7 | Passaage/Stair Case/Lobby | 1 | | 160.37 |
| | 2100 mm Wide | | | |
| 8 | Wall area | 1 | | 89.41 |
| | | | Total | 510.00 |

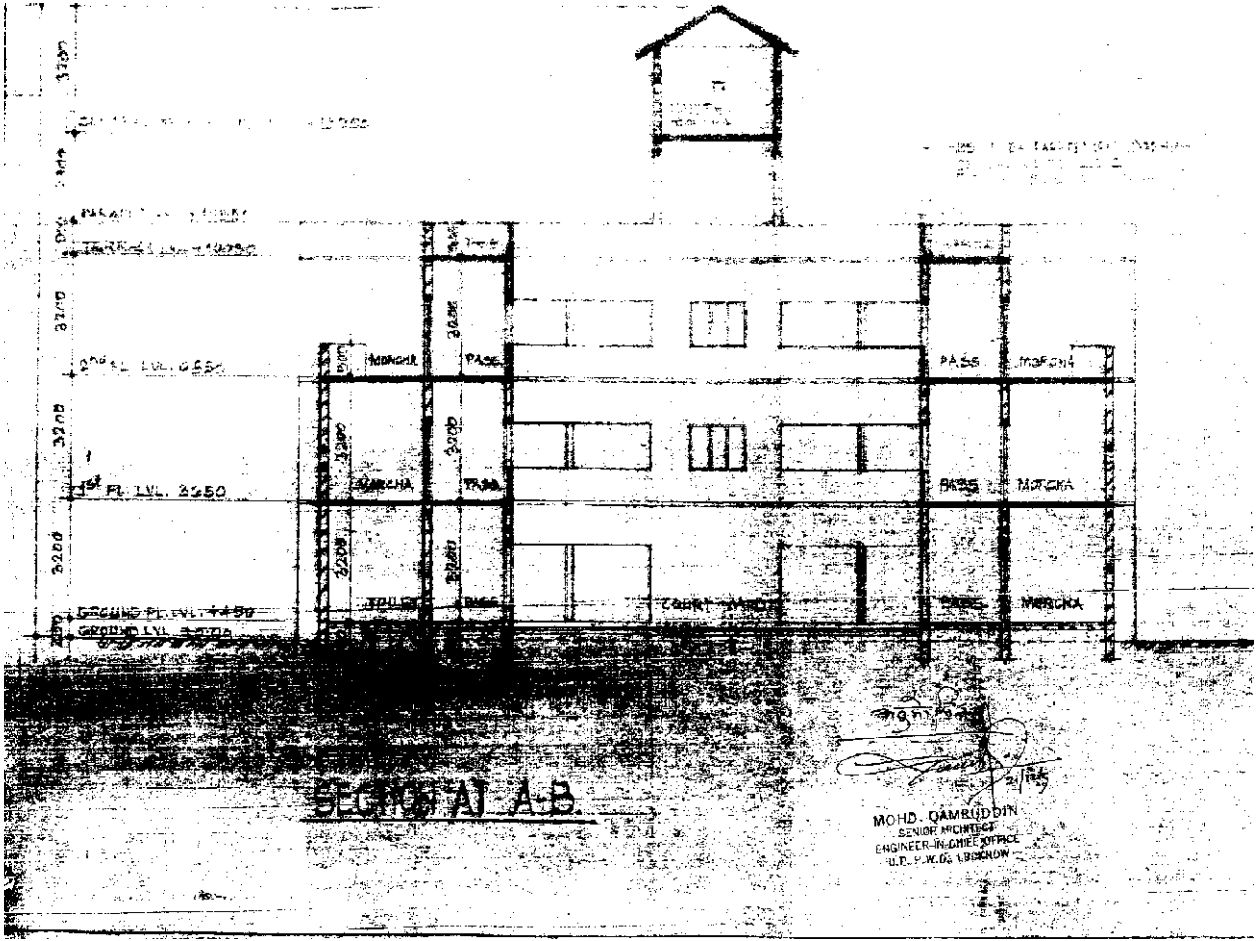

SECTION AT A-B
MOHD. QAMRUDDIN
SENIOR ARCHITECT
ENGINEER-IN-CHIEF OFFICE
U.P. P.W.D. LUCKNOW

# शार्ट/पिस्टल फायरिंग रेन्ज

शार्ट/पिस्टल फायरिंग रेन्ज को छोटे आयुद्धों से फायरिंग अभ्यास हेतु प्रयोग में लाया जाता है। इसके निर्माण हेतु 20x50 मीटर के क्षेत्रफल भूमि की आवश्यकता होती है। फायरिंग रेंज के बट की दीवार जिसके सामने टारगेट रखकर फायर किया जाता है वह नीचे से 5 फिट की चौड़ाई से प्रारम्भ करके धीरे–धीरे कम करते हुये ऊपरी हिस्से की मोटाई कम से कम 18 इन्च मोटी होनी चाहिए। सुरक्षा के दृष्टि से तीन ओर 9 इन्च मोटाई तथा 6 फिट ऊॅचाई की चाहरदीवारी का निर्माण कराया जाना आवश्यक है तथा एक लोहे का गेट भी लगाया जाय जो अन्दर एवं बाहर से आवागमन के उपरान्त बन्द करके फायरिंग क्षेत्र को सुरक्षित रखा जा सके। इसके साथ आयुद्धों के भण्डारण हेतु छोटे कमरे जिसकी साइज 12x15 फिट हो के निर्माण की भी आवश्यकता है।

# लॉंग फायरिंग रेन्ज का मानक

लॉग फायरिंग रेन्ज का प्रयोग पुलिस विभाग में होने वाले सभी प्रकार के आयुद्धों से फायरिंग अभ्यास हेतु प्रयोग में लाया जाता है तथा लॉग फायरिंग रेन्ज हेतु लगभग 200x500 मीटर भूमि की न्यूनतम आवश्यकता होती है। फायरिंग बट का निर्माण फायरिंग करने वाले आयुद्धों को दृष्टिगत रखते हुये डिजाइन किया जाता है जिसके आधार पर बट का निर्माण आवश्यक है। सुरक्षा की दृष्टिकोण से सम्पूर्ण क्षेत्रफल को चहारदीवारी अथवा कांटेदार तार की बाढ़ से सुरक्षित किया जाना आवश्यक है। इस फायरिंग रेन्ज में मुख्य फायरिंग दीवार के अतिरिक्त आवश्यकतानुसार टारगेट, मोर्चा, आयुधों के भण्डारण हेतु एक कमरा जिसकी साइज 12x15 फिट हो मय बरामदें के निर्माण की भी आवश्यकता है। फायरिंग हेतु उपस्थित हुये अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए एक प्रतीक्षा हाल जिसका साइज 20x25 फिट मय प्रसााधन कक्ष के भी बनाया जाना आवश्यक होता है।

# इण्डोर फायरिंग रेन्ज का मानक

इण्डोर फायरिंग रेन्ज का निर्माण सुरक्षा की दृष्टिकोण से आबादी वाले क्षेत्र में एवं जहॉ भूमि की कमी हो वहॉ पर बनाया जाना आवश्यक है। इसके निर्माण की लागत अन्य प्रकार के फायरिंग रेन्जो से अधिक आती है। कम भूमि आच्छादित करते हुये भी इसे बनाया जाना सम्भव होता है। पूर्णतयाः Closed (ढका) होने के कारण यह पूर्ण सुरक्षित है। बैफल फायरिंग रेन्ज की तरह ही इसमें स्टाप बट, टारगेट गैलरी, बुलट रिट्रीवल सिस्टम आदि बनाये जाते है। इसके लिये भी 60x15 फिट मीटर भूमि की आवश्यकता होती है। आवश्यकतानुसार इण्डोर फायरिंग रेन्ज कम लम्बाई की फायरिंग हेतु भी डिजाइन किया जा सकता है। आयुद्धों के भण्डारण हेतु एक कमरा जिसकी साइज 12x15 फिट हो तथा फायरिंग हेतु उपस्थित अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए एक प्रतीक्षा हाल जिसका साइज 20x25 फिट मय प्रसाधन कक्ष के भी बनाया जाना आवश्यक है।

# बैफल फायरिंग रेन्ज का मानक

बैफल फायरिंग के निर्माण हेतु सुरक्षा की दृष्टिकोण से 500 एकड़ भूमि की आवश्यकता है किन्तु भूमि का मूल्य बहुत अधिक होता जा रहा है तथा इसकी अनुपलब्धता को देखते हुए कुछ सुरक्षात्मक संरचनाओं के प्राक्षेपिक जैसे– बैफल वाल/साइड वाल/ग्राउण्ड बैरियर/बुलट कैचर/स्टाप बट इत्यादि के निर्माण के फलस्वरूप एक बैफल फायरिंग रेन्ज के निर्माण हेतु भूमि कम से कम 20 एकड़ की सीमा तक में बनायी जा सकती है।

उल्लेखनीय है कि 300 मीटर की बैफल रेन्ज के निर्माण द्वारा जवानों कों समुचित प्रशिक्षण दिया जा सकता है फिर भी बेहतर प्रशिक्षण की दृष्टि से 500 मीटर की सीमा तक के बैफल रेन्ज का निर्माण किया जाना चाहिए।

बैफल फायरिंग रेन्ज निर्माण स्थल हेतु क्षेत्रफल 162 मीटर x500 मीटर में होगा जिसके दोनों ओर क्रमशः 65 मीटर एवं 65 मीटर के दायरे में बहुमंजिलीय भवनों का निर्माण निषेध है। आयुद्धों के भण्डारण हेतु एक कमरा जिसकी साइज 12x15 फिट हो मय बरामदे के निर्माण की भी आवश्यकता है। फायरिंग हेतु उपस्थित हुये अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए एक प्रतीक्षा हाल जिसका साइज 20x25 फिट बरामदा सहित मय प्रसाधन कक्ष के भी बनाया जाना आवश्यक है।

# mRrj Án'k ifyl e[;ky;] bykgkckn&A

संख्याःग्यारह–3692(4)–2004, दिनांकःजून 07, 2011

सेवा में,

lfpo] xg]
mRrj Án'k 'kklu]
y[kuÅA

fo"k;& थाना/चौकी तथा आवासीय भवनों की ड्राइंग का मानकीकरण किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–4925/6–पु०–7–2009–60/2006 दिनांक 25.1.2010 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो थाना, चौकी तथा आवासीय भवनों आदि की ड्राइंग का मानकीकरण कराये जाने हेतु प्रस्तावित की जाने वाली ड्राइंग/मानचित्र एवं विशिष्टियों को लोक निर्माण विभाग से अनुमोदित/हस्ताक्षरित कराकर तथा उस पर प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उ०प्र० की सहमति प्राप्त कर के शासन को उपलब्ध कराये जाने के बारे में है।

2. प्रश्नगत विषय में पुलिस आवास निगम के माध्यम से प्राप्त एवं प्रमुख अभियन्ता, उ0प्र० लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा अनुमोदित/हस्ताक्षरित सामान्य थाना, महिला थाना, रिर्पोटिंग पुलिस चौकी, साधारण पुलिस चौकी के प्रशासनिक भवनों तथा आवासीय भवनों के अन्तर्गत श्रेणी–1 (स्पेशल टाइप), श्रेणी–2 (स्पेशल टाइप) व श्रेणी–3 (स्पेशल टाइप) के मानचित्र संलग्न हैं। उक्त भवनों के मानकीकरण हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल आदि का विवरण निम्नववत् हैः–

| क्र. सं. | भवन | प्रस्तावित कुर्सी क्षेत्रफल (वर्ग मीटर) | निर्मित किये जाने वाले भवनों का विवरण |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| (1) | थाना (सामान्य) | 1,631.00 | थाना कार्यालय, थानाध्यक्ष कक्ष, एस०आई० रूम–2, मालखाना (2), पुरुष व महिला हवालात, कम्प्यूटर कक्ष, कम्प्लेनेन्ट रूम/आगन्तुक कक्ष, आगन्तुक अधिकारी कक्ष, इन्टेरोगेशन रूम, महिला रेस्ट रूम, मीटिंग हाल, सम्पर्क/ स्वागत कक्ष, मनोरंजन कक्ष, गैराज, बैरक– क्षमता 54 जवान (मैस, डायनिंग हाल व टायलेट ब्लाक सहित) जो अधिक नियतन के लिए आवश्यकतानुसार बढ़ायी जा सकेगी, बाउण्ड्रीवाल ऊँचाई 2.40 मी०, लम्बाई आवश्यकतानुसार, सन्तरी पोस्ट, जलापूर्ति, सीवरेज, नाली एवं बाह्य विकास कार्य– भूमि की माप के आवश्यकतानुसार। |
| (2) | Fkkuk ¼v"Vdk.kh;½ नक्सल प्रभावित क्षेत्रो हेतु | 918.90 | शा०सं० 114/6–पु–7–2010–181/2009, दि० 28.4.2010 द्वारा नक्सल प्रभावित जनपदों में निर्मित किये जाने वाले थाना भवन/पुलिस चौकी के प्रशासनिक भवन एवं थाना भवन परिसर में 28 व्यक्तियों की बैरक के निर्माण कार्य का मानकीकरण किया गया है। थाना भवन/पुलिस चौकी के प्रशासनिक भवन के निर्माण हेतु कुर्सी क्षेत्रफल– 918.90 वर्ग मीटर एवं प्रशासनिक भवन के परिसर में रिर्जव बैरक(28 व्यक्तियों हेतु) 510.00 वर्गमीटर तथा भूमिगत पैसेज हेतु 37.63 वर्गमीटर कुल 510.00 37.63 =547.63 वर्गमीटर का क्षेत्रफल निर्धारित किया गया है।<br>नक्सल प्रभावित जनपदों के लिए प्रस्तावित थाना भवन का मानचित्र एवं कुर्सी क्षेत्रफल तथा पुलिस चौकी के लिए प्रस्तावित क्षेत्रफल व |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | मानचित्र एक समान है, परन्तु थाना परिसर भवन में 28 व्यक्तियों की रिजर्व बैरक का अतिरिक्त प्राविधान सम्मिलित है। कुर्सी की अतिरिक्त ऊँचाई, भूमिगत जल सर्वेक्षण, सी०सी० रोड, मृदा परीक्षण, जल निकासी हेतु नाली के कार्य स्थल की वास्तविक स्थिति के अनुसार भिन्न होगी। परिसर में 07 नग अतिरिक्त मोर्चे की स्थापना की जायेगी। नक्सल प्रभावित जनपदों में थाना भवन/पुलिस चौकी के प्रशासनिक भवन एवं 28 व्यक्तियों की बैरक के निर्माण हेतु एरिया स्टेटमेन्ट एवं मानचित्र की छायाप्रतियॉ संलग्न है (संलग्नक–2.3, 2.3.1, 2. 3.2, 2.3.3, 2.3.4) |
| (3) | महिला थाना | 331.15 | कार्यालय, मालखाना, पुरुष व महिला हवालात, आगन्तुक कक्ष (प्रसाधन सहित), थाना प्रभारी कक्ष, एस०आई० रूम, गैराज एवं बैरक– क्षमता 6 व्यक्ति तथा बाउण्ड्रीवाल ऊँचाई 2.40 मी०, लम्बाई आवश्यकतानुसार, सन्तरी पोस्ट, जलापूर्ति, सीवरेज, नाली एवं बाह्य विकास कार्य– भूमि की माप के आवश्यकतानुसार।<br>प्रत्येक भवन की माप से सम्बन्धित विवरण परिशिष्ट–2 पर संलग्न है। |
| (4) | रिर्पोटिंग पुलिस चौकी | 168.25 | कार्यालय, मालखाना, पुरुष व महिला हवालात, चौकी प्रभारी/एस० आई० रूम एवं बैरक– क्षमता 7 व्यक्ति तथा बाउण्ड्रीवाल ऊँचाई 2.40 मी०, लम्बाई आवश्यकतानुसार, सन्तरी पोस्ट, जलापूर्ति, सीवरेज, नाली एवं बाह्य विकास कार्य– भूमि की माप के आवश्यकतानुसार। |
| (5) | साधारण पुलिस चौकी (विशेष ग्रामीण पुलिस चौकी) | 107.75 | कार्यालय, मालखाना, चौकी प्रभारी/एस० आई० रूम एवं बैरक– क्षमता 5 व्यक्ति तथा बाउण्ड्रीवाल ऊँचाई 2.40 मी०, लम्बाई आवश्यकतानुसार, सन्तरी पोस्ट, जलापूर्ति, सीवरेज, नाली एवं बाह्य विकास कार्य– भूमि की माप के आवश्यकतानुसार। |

3. प्रशासनिक भवनों के सम्बन्ध में प्रमुख बिन्दु निम्नवत् हैं :–

| | |
|---|---|
| (1) | ड्राइंग में दर्शाया गया ले–आउट मार्गदर्शी है। भूमि की आकृति एवं आकार को देखते हुए अनुमोदित कुर्सी क्षेत्रफल के अन्तर्गत वास्तविक ले–आउट जनपद प्रभारी द्वारा अनुमोदित किया जाये। |
| (2) | बैरक / डारमेट्री थाने के नियतन को देखते हुए बनायी जायेगी। इसमें एक हेड कान्स० या कान्स० हेतु 5.57 वर्गमीटर (10 ग 6त्र60 वर्ग फीट ) स्थान निर्धारित होगा। भूमि की कमी के दृष्टिगत इसका निर्माण थाना भवन के ऊपर द्वितीय / तृतीय तल पर भी किया जा सकता है। |
| (3) | डायनिंग हाल का निर्माण ड्राइंग में 32 व्यक्तियों हेतु (9.42 ग 5ण्4त्र50ण्87 वर्ग मीटर ) प्रस्तावित किया गया है। नियतन के दृष्टिगत इसे इस प्रकार बनाया जायेगा कि कम से कम 40 व्यक्ति एक साथ भोजन कर सकें। |
| (3) | मैस (किचेन) तथा स्टोर / पैन्ट्री का निर्माण ड्राइंग में क्रमशः 16.20 वर्ग मीटर तथा 11.15 वर्ग मीटर रखा गया है। इसे भी नियतन के दृष्टिगत आवश्यकतानुसार बढ़ाया जा सकेगा। |
| (4) | बाउण्ड्रीवाल 2.4 मीटर ऊँची रखी जाये। गेट की चौड़ाई 4.5 मीटर रहेगी, ताकि भरी वाहन अन्दर जा सकें। |

# vkokl h; Hkou

| क्र. सं. | नाम | एक ब्लाक का प्रस्तावित कुर्सी क्षेत्रफल (वर्ग मीटर) | निर्मित किये जाने वाले भवनों का विवरण |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| (1) | श्रेणी–प्रथम (स्पेशल)<br>16 आवास–एक ब्लाक (1+3)<br>¼dkU lVcy rd d in /kkjdk gr½ | 785.60 | दो कमरे (24.59 वर्गमी०), लाबी (10.05 वर्गमी०), बरामदा (5.52 वर्गमी०), रसोईघर, स्नानगृह / शौचालय |
| (2) | श्रेणी–द्वितीय(स्पेशल)<br>08 आवास–एक ब्लाक (1+3)<br>¼gM dkUlVcy] ,å,lå | 529.63 | तीन कमरे (33.39 वर्गमी०), लाबी (10.34 वर्गमी०), बरामदा (4.38 वर्गमी०), रसोईघर / स्टोर |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | vkbå ¼,e½ rFkk led{k in /kkjdk gsrq½ | | (7.74 वर्गमी०), कमरों से सम्बद्ध स्नानगृह / शौचालय–2 |
| (3) | श्रेणी–तृतीय (स्पेशल)<br>08 आवास–एक ब्लाक (1+3)<br>¼fujh{kd] mi fujh{kd] ,låvkbå ¼,e½ rFkk led{k in /kkjdk gsrq½ | 703.13 | तीन कमरे (43.50 वर्गमी०), लाबी (13.80 वर्गमी०), बरामदा (4.38 वर्गमी०), रसोईघर / स्टोर (7.74 वर्गमी०), कमरों से सम्बद्ध स्नानगृह / शौचालय–2 |

4. अतएव अनुरोध है कि कृपया संलग्न मानचित्रों के अनुसार सामान्य थाना, महिला थाना, रिर्पोटिंग पुलिस चौकी, साधारण पुलिस चौकी के प्रशासनिक भवनों तथा आवासीय भवनों के अन्तर्गत श्रेणी–1 (स्पेशल टाइप), श्रेणी–2 (स्पेशल टाइप) व श्रेणी–3(स्पेशल टाइप) के भवनों का संलग्न मानचित्रों तथा प्रस्तावित क्षेत्रफल के अनुसार मानकीकरण शीघ्रातिशीघ्र कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

ह० / –

¼lqy[kku flag½

अपर पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय,

उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि पुलिस महानिरीक्षक एवं पुलिस महानिदेशक के सहायक, उ० प्र०, लखनऊ को कृपया पुलिस महानिदेशक महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

पुलिस मुख्यालय के पत्र संख्याः ग्यारह–3692(4)–2004, दिनांक जून 07, 2011 का संलग्नक

# ekudhdj.k& lkekU; Fkkuk Á'kklfud Hkou

| क्र.सं. | विवरण | माप (वर्गमी०) | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | थाना कार्यालय | 4.00 | x | 7.50 | 30.00 |
| 2 | थानाध्यक्ष कक्ष | 3.60 | x | 5.40 | 19.44 |
| 3 | उप निरीक्षक / विवेचक कक्ष–प्रथम | 6.04 | x | 4.50 | 27.18 |
| 4 | उप निरीक्षक / विवेचक कक्ष–द्वितीय | 8.40 | x | 3.64 | 30.58 |
| 5 | मालखाना–प्रथम | 8.40 | x | 3.65 | 30.66 |
| 6 | मालखाना–द्वितीय | 8.40 | x | 3.65 | 30.66 |
| 7 | पुरुष हवालात | 3.60 | x | 4.35 | 15.66 |
| 8 | महिला हवालात | 3.00 | x | 4.35 | 13.05 |
| 9 | कम्प्यूटर कक्ष | 5.40 | x | 3.60 | 19.44 |
| 10 | परिवादी / आगन्तुक कक्ष | 3.60 | x | 5.40 | 19.44 |
| 11 | आगन्तुक अधिकारी कक्ष | 3.60 | x | 5.40 | 19.44 |
| 12 | पूछताछ / साक्षात्कार कक्ष | 3.60 | x | 5.40 | 19.44 |
| 13 | महिला स्टाफ विश्राम कक्ष | 3.60 | x | 4.50 | 16.20 |
| 14 | संगोष्ठी कक्ष | 10.50 | x | 7.50 | 78.75 |
| 15 | सम्पर्क / स्वागत कक्ष | 3.60 | x | 5.40 | 19.44 |
| 16 | मनोरंजन कक्ष | 9.42 | x | 5.40 | 50.87 |
| 17 | गैराज | 2.70 | x | 5.00 | 13.50 |
| 18 | बैरक– क्षमता 54 जवान (मैस, डायनिंग हाल व टायलेट ब्लाक सहित) | प्रस्तावित बैरक न्यून्तम नियतन के दृष्टिगत है, जो अधिक नियतन के लिए आवश्यकतानुसार बढ़ायी जा सकेगी। | | | |

| | | |
|---|---|---|
| 19 | बाउण्ड्रीवाल | ऊँचाई 2.40 मी०, लम्बाई आवश्यकतानुसार |
| 20 | सन्तरी पोस्ट | आवश्यकतानुसार |
| 21 | जलापूर्ति व्यवस्था | आवश्यकतानुसार |
| 22 | सीवरेज एवं जल निकासी हेतु नाली | भूमि की माप के आवश्यकतानुसार |
| 23 | बाह्य विकास कार्य | भूमि की माप के आवश्यकतानुसार |

ह०/–

¼ l¦y[kku fl¦g½

अपर पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय,

उत्तर प्रदेश।

पुलिस मुख्यालय के पत्र संख्या: ग्यारह–3692(4)–2004, दिनांक जून 07, 2011 का संलग्नक

# ekudhdj.k&efgyk Fkkuk Á'kklfud Hkou

| क्र.सं. | विवरण | माप (वर्गमी०) | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | थाना कार्यालय | 5.83 | x | 3.60 | 20.99 |
| 2 | थानाध्यक्ष कक्ष | 3.00 | x | 3.60 | 10.80 |
| 3 | उप निरीक्षक / विवेचक कक्ष–प्रथम | 3.00 | x | 3.00 | 9.00 |
| 4 | मालखाना | 2.60 | x | 3.60 | 9.36 |
| 5 | पुरुष हवालात | 3.60 | x | 1.80 | 6.48 |
| 6 | महिला हवालात | 3.60 | x | 2.40 | 8.64 |
| 7 | आगन्तुक कक्ष (प्रसाधन सहित) | 2.90 | x | 3.60 | 10.44 |
| 8 | गैराज | 3.00 | x | 4.50 | 13.50 |
| 9 | बैरक– क्षमता 06 जवान (मैस, डायनिंग हाल व टायलेट ब्लाक सहित) | प्रस्तावित बैरक न्यूनतम नियतन के दृष्टिगत है, जो अधिक नियतन के लिए आवश्यकतानुसार बढ़ायी जा सकेगी। | | | |
| 10 | बाउण्ड्रीवाल | ऊँचाई 2.40 मी०, लम्बाई आवश्यकतानुसार | | | |
| 11 | सन्तरी पोस्ट | आवश्यकतानुसार | | | |
| 12 | जलापूर्ति व्यवस्था | आवश्यकतानुसार | | | |
| 13 | सीवरेज एवं जल निकासी हेतु नाली | भूमि की माप के आवश्यकतानुसार | | | |
| 14 | बाह्य विकास कार्य | भूमि की माप के आवश्यकतानुसार | | | |

ह०/–

¼ly[kku flg½

अपर पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय,

उत्तर प्रदेश।

पुलिस मुख्यालय के पत्र संख्याः ग्यारह–3692(4)–2004, दिनांक जून 07, 2011 का संलग्नक

# ekudhdj.k&fjikfVZx iqfyl pkSdh Á'kklfud Hkou

| क्र. सं. | विवरण | माप (वर्गमी०) | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | चौकी कार्यालय | 3.30 | x | 3.00 | 9.90 |
| 2 | चौकी प्रभारी/उप निरीक्षक कक्ष | 3.30 | x | 3.00 | 9.90 |
| 3 | मालखाना | 3.19 | x | 2.40 | 7.64 |
| 4 | पुरुष हवालात | 2.19 | x | 1.50 | 3.28 |
| 5 | महिला हवालात | 2.19 | x | 1.50 | 3.28 |
| 6 | बैरक– क्षमता 07 जवान (मैस, डायनिंग हाल व टायलेट ब्लाक सहित) | प्रस्तावित बैरक न्यूनतम नियतन के दृष्टिगत है, जो अधिक नियतन के लिए आवश्यकतानुसार बढ़ायी जा सकेगी। | | | |
| 7 | बाउण्ड्रीवाल | ऊँचाई 2.40 मी०, लम्बाई आवश्यकतानुसार | | | |
| 8 | सन्तरी पोस्ट | आवश्यकतानुसार | | | |
| 9 | जलापूर्ति व्यवस्था | आवश्यकतानुसार | | | |
| 10 | सीवरेज एवं जल निकासी हेतु नाली | भूमि की माप के आवश्यकतानुसार | | | |
| 11 | बाह्य विकास कार्य | भूमि की माप के आवश्यकतानुसार | | | |

ह०/–
¼lqy[kku flg½
अपर पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय,
उत्तर प्रदेश।

पुलिस मुख्यालय के पत्र संख्याः ग्यारह–3692(4)–2004, दिनांक जून 07, 2011 का संलग्नक

## ekudhdj.k&fo'k"k xkeh.k iqfyl pkdh Á'kklfud Hkou

| क्र. सं. | विवरण | माप (वर्गमी०) | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | चौकी कार्यालय | 4.00 | x | 3.00 | 12.00 |
| 2 | चौकी प्रभारी/उप निरीक्षक कक्ष | 2.40 | x | 3.00 | 7.20 |
| 3 | मालखाना | 2.40 | x | 3.00 | 7.20 |
| 4 | बैरक– क्षमता 05 जवान (मैस, डायनिंग हाल व टायलेट ब्लाक सहित) | प्रस्तावित बैरक न्यून्तम नियतन के दृष्टिगत है, जो अधिक नियतन के लिए आवश्यकतानुसार बढ़ायी जा सकेगी। | | | |
| 5 | बाउण्ड्रीवाल | ऊँचाई 2.40 मी०, लम्बाई आवश्यकतानुसार | | | |
| 6 | सन्तरी पोस्ट | आवश्यकतानुसार | | | |
| 7 | जलापूर्ति व्यवस्था | आवश्यकतानुसार | | | |
| 8 | सीवरेज एवं जल निकासी हेतु नाली | भूमि की माप के आवश्यकतानुसार | | | |
| 9 | बाह्य विकास कार्य | भूमि की माप के आवश्यकतानुसार | | | |

ह०/–

¼lqy[kku flg½

अपर पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय,

उत्तर प्रदेश।

# mRrj Án'k ifyl e[;ky;] bykgkckn&A

संख्या : ग्यारह–1068–2011, दिनांकः सितम्बर 17, 2011

सेवा में,

lfpo] xg]
mRrj Án'k 'kklu]
y[kuÅA

fo"k;& प्रदेश के विभिन्न थानों में 12, 24, 48 तथा 72 व्यक्तियों की क्षमता की विभिन्न बैरकों के मानकीकरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया पुलिस आवास निगम के पत्र संख्या–1060/ पुआनि/ 316/मानकीकरण/11 दिनांक 09.09.2011 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मुख्य अभियन्ता (भवन) लोक निर्माण विभाग, उ०प्र० लखनऊ के पत्र संख्या–5011–जी/5बी०बी० विंग/2011–12 दिनांक 07.9.2011 द्वारा अनुमोदित प्रदेश के विभिन्न थानों में 12, 24, 48 तथा 72 व्यक्तियों की क्षमता की बैरकों के अनुमोदित मानकीकृत आगणनों की प्रति प्रेषित की गई है।

2. ज्ञातव्य है कि उक्त भवनों की मुख्य अभियन्ता लोक निर्माण विभाग द्वारा अनुमोदित ड्राइंग की प्रतियाँ पुलिस आवास निगम के पत्र संख्या–977/पुआनि/ मानकीकरण/11 दिनांक 23.8.2011 द्वारा शासन को पूर्ववत प्रेषित की जा चुकी है।

3. अतएव अनुरोध है कि कृपया उक्त परिप्रेक्ष्य में प्रदेश के विभिन्न थानों में 12, 24, 48 तथा 72 व्यक्तियों की क्षमता की बैरकों के भवनों का मानकीकरण शीघ्रातिशीघ्र कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
ह०/–
¼lyy[kku flg½
vij ifyl egkfun'kd e[;ky;
mRrj Án'kA

प्रतिलिपि अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पुलिस आवास निगम लि०, विभूति खण्ड, व्यवसायिक परिसर, पार्ट–1 गोमती नगर, लखनऊ को उनके उक्त पत्र के सन्दर्भ में कृपया सूचनार्थ प्रेषित।

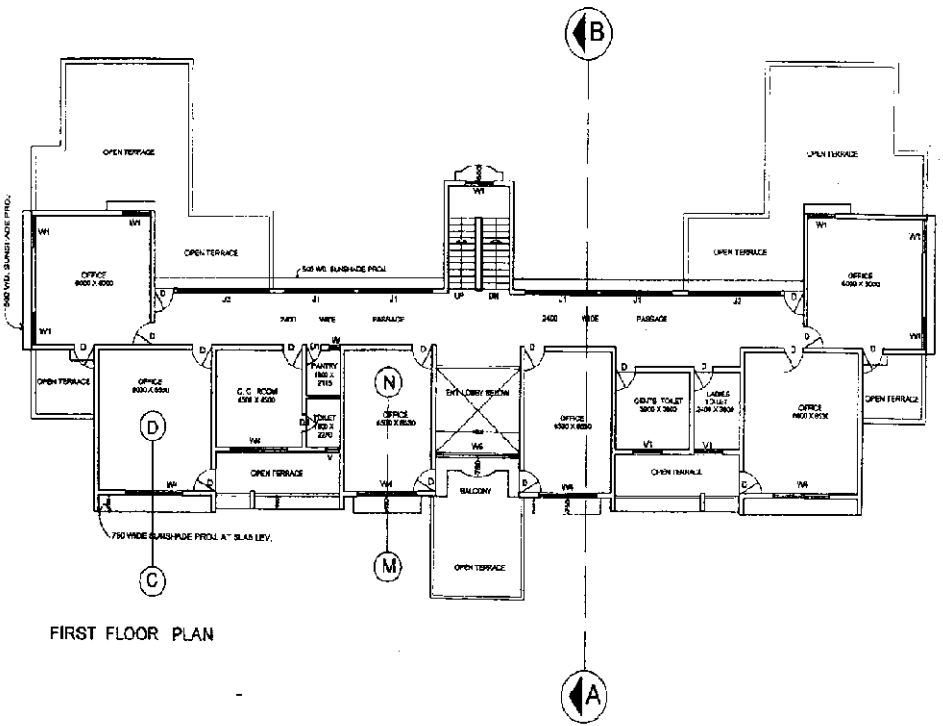

v/;k;&3 &lsyXud&3-1-1-8

iqfyl v/kh{kd] dk;kZy;

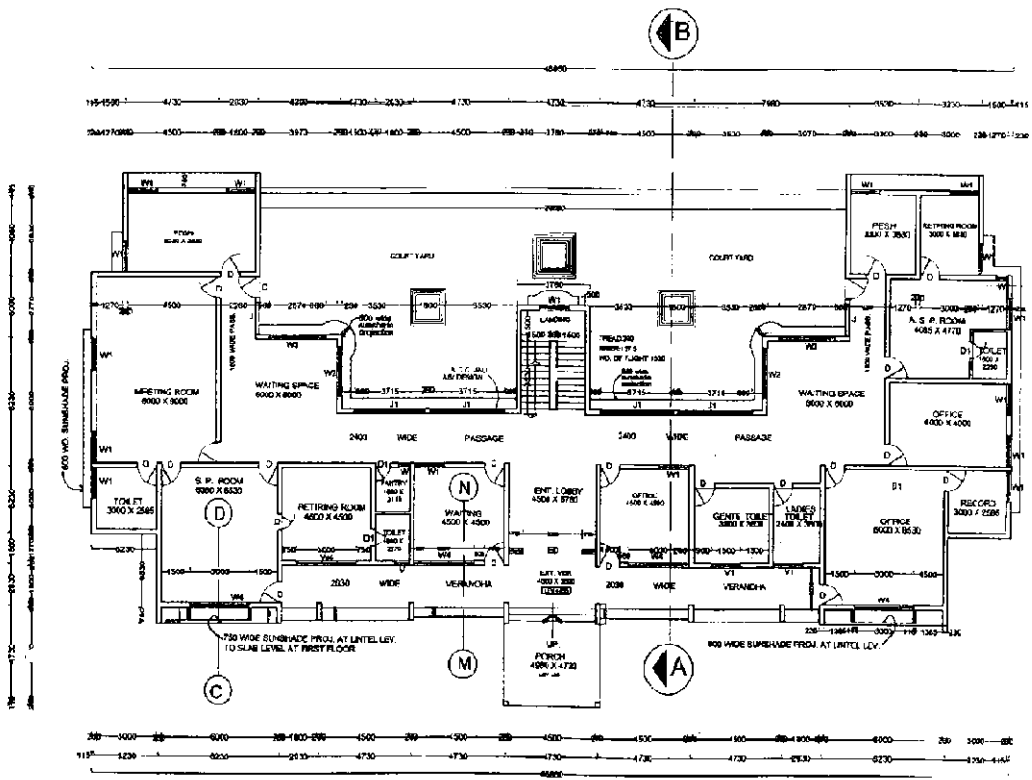

U. P. POLICE AVAS NIGAM LTD.
GOMTI NAGAR , LUCKNOW.
REVISIONS
PROPOSED S. P. OFFICE
GROUND FLOOR PLAN
AREA STATEMENT
U. P. POLICE AVAS NIGAM LTD
VIBHUTI KHAND , GOMTI NAGAR, LUCKNOW
COURT YARD
WAITING SPACE
PASSAGE
VERANDHA
ENT. LOBBY
PORCH
RETIRING ROOM
MEETING ROOM
OFFICE
RECORD
S. P. ROOM
TOILET

vkokl

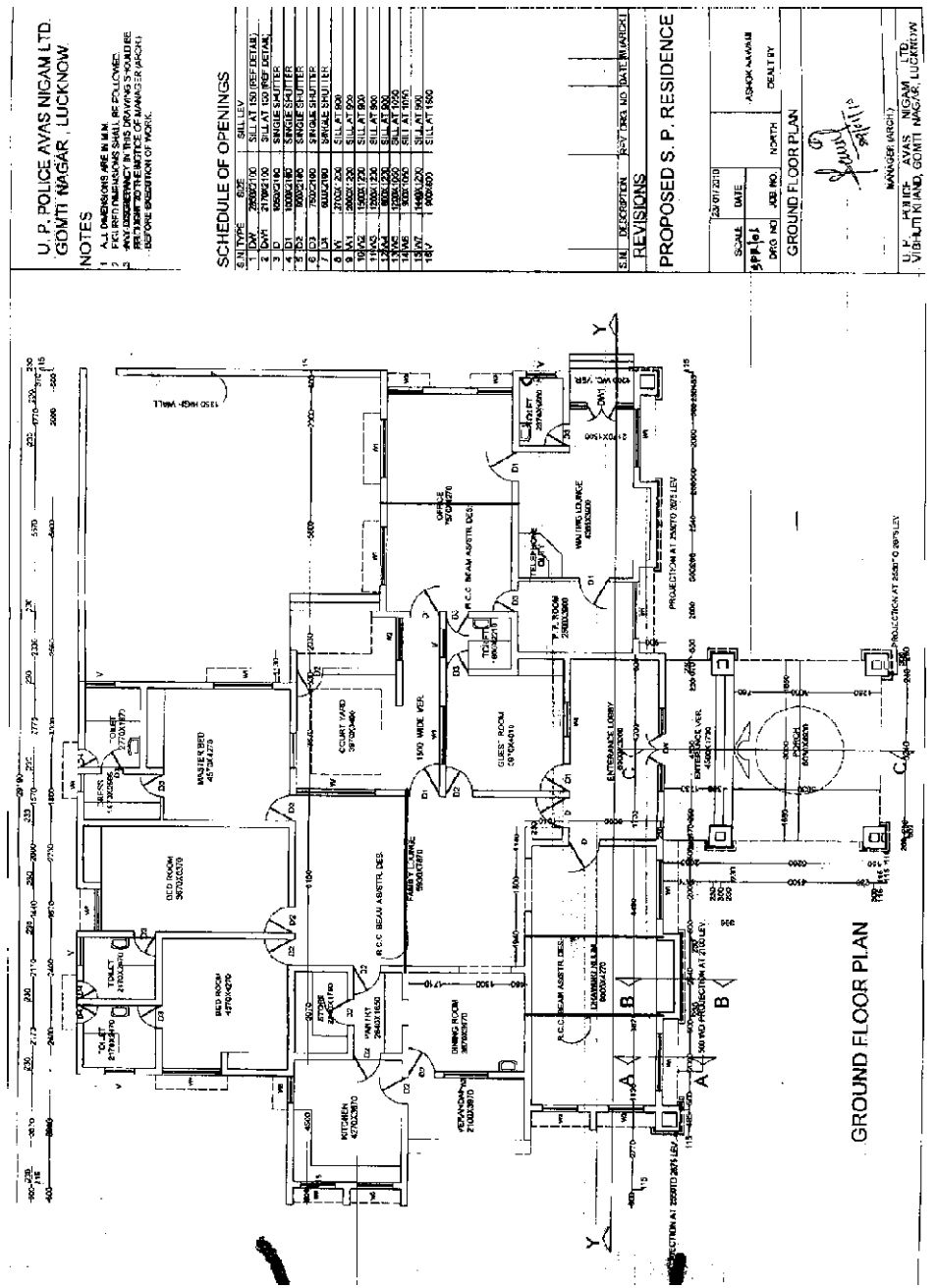


U. P. POLICE AVAS NIGAM LTD.
GOMTI NAGAR, LUCKNOW.
NOTES
1 ALL DIMENSIONS ARE IN M.M.
2 FIGURED DIMENSIONS SHALL BE FOLLOWED.
3 ANY DISCREPANCY IN THIS DRAWING SHOULD BE BROUGHT TO THE NOTICE OF MANAGER (ARCH.) BEFORE EXECUTION OF WORK.
SCHEDULE OF OPENINGS
S.N. TYPE SIZE SILL LEV
1 DW 2850X2100 SILL AT 150 (REF DETAIL)
2 DW1 2170X2100 SILL AT 150 (REF DETAIL)
3 D 1050X2100 SINGLE SHUTTER
4 D1 1000X2100 SINGLE SHUTTER
5 D2 900X2100 SINGLE SHUTTER
6 D3 750X2100 SINGLE SHUTTER
7 D4 600X2100 SINGLE SHUTTER
8 W 2700X1200 SILL AT 900
9 W1 2000X1200 SILL AT 900
10 W2 1500X1200 SILL AT 900
11 W3 1200X1200 SILL AT 900
12 W4 600X1200 SILL AT 900
13 W5 1200X1050 SILL AT 1050
14 W6 900X1050 SILL AT 1050
15 W7 1440X1200 SILL AT 900
16 V 900X600 SILL AT 1500
S.N. DESCRIPTION REV DRG NO DATE M.(ARCH.)
REVISIONS
PROPOSED S. P. RESIDENCE
SCALE 23/01/2010 DATE
DRG NO JOB NO. NORTH
ASHOK NARAIN
DEALT BY
GROUND FLOOR PLAN
MANAGER (ARCH.)
U. P. POLICE AVAS NIGAM LTD.
VIBHUTI KHAND, GOMTI NAGAR, LUCKNOW
TOILET 2170X2470
TOILET 2170X2470
BED ROOM 3670X6370
DRESS 1470X2565
TOILET 2770X1870
BED ROOM 4270X4270
MASTER BED 4570X4270
1850 HIGH WALL
KITCHEN 4270X3870
STORE
PANTRY 2640X1650
R.C.C. BEAM AS/STR. DES.
FAMILY LOUNGE 5930X7870
COURT YARD 3970X3400
1500 WIDE VER.
OFFICE 7570X4270
VERANDAH 2100X3970
DINING ROOM 3870X3470
GUEST ROOM 3970X4010
TELEPHONE DUTY
P.A. ROOM 2500X3900
WAITING LOUNGE 4365X3600
DRAWING ROOM 6600X4270
ENTERANCE LOBBY
ENTERANCE VER. 4500X1730
PORCH
PROJECTION AT 2550 TO 2675 LEV
500 WD PROJECTION AT 2100 LEV.
GROUND FLOOR PLAN

# vij ifyl v/kh{kd rFkk {k=kf/kdkjh vkokl h; Hkouk dk ekufp=

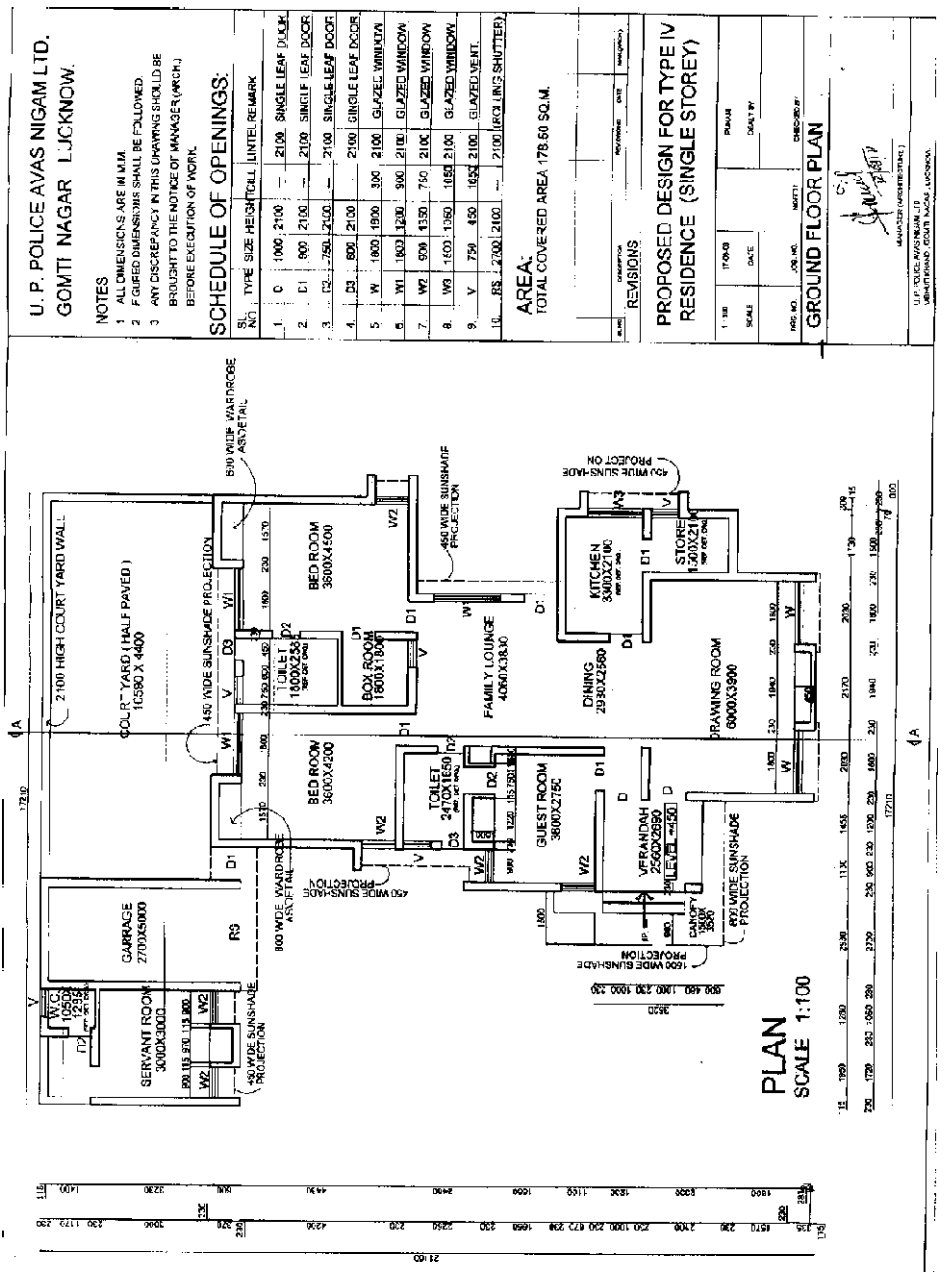

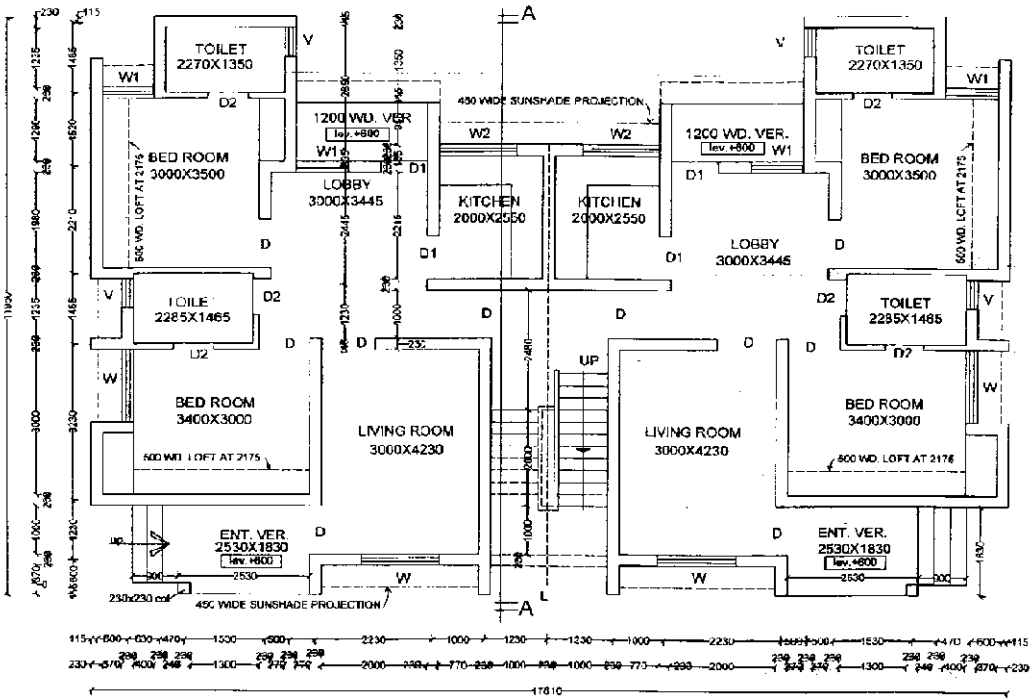

# U. P. POLICE AVAS NIGAM LTD.
## GOMTI NAGAR , LUCKNOW.

**NOTES**

1. ALL DIMENSIONS ARE IN M.M.
2. FIGURED DIMENSIONS SHALL BE FOLLOWED
3. ANY DESCRIPANCY IN THIS DRAWING SHOULD BE BROUGHT TO THE NOTICE OF MANAGER (ARCH.) BEFORE EXECUTION OF WORK

**SCHEDULE OF DOORS & WINDOWS**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | D | 1000 X 2100 | SINGLE SHUTTER |
| 2 | D1 | 900 X 2100 | SINGLE SHUTTER |
| 3 | D2 | 750 X 2100 | SINGLE SHUTTER |
| 4 | W | 1500 X 1350 | CILL AT 750 |
| 5 | W1 | 1000 X 1350 | CILL AT 750 |
| 6 | W2 | 1500 X 1050 | CILL AT 1050 |
| 7 | W3 | 2230 X 1350 | CILL AT 760 |
| 8 | V | 600 X 450 | CILL AT 1050 |

**AREA STATEMENT**

| | |
|---|---|
| UNIT AREA | 79.00 Sq. Mt. |
| STAIR CASE AREA PER UNIT | 08.50 Sq. Mt. |
| TOTAL UNIT AREA | 85.50 Sq. Mt. |

| SL. NO. | DESCRIPTION | REV. DRG. NO. | DATE | SIGN. |
|---|---|---|---|---|

**REVISIONS**

**PROPOSED BLOCK OF 6 NOS.**
**TYPE III RESIDENCES TRIPLE STORY**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 : 50 | NOV. 2010 | | ASHOK NAWANI |
| SCALE | DATE | | DEALT BY |
| DRG. NO. | JOB. NO. | NORTH | CHECKED BY |

**GROUND FLOOR PLAN**

MANAGER (ARCH.) G. M. (P. M.)

U. P. POLICE AVAS NIGAM LTD.
VIBHUTI KHAND , GOMTI NAGAR , LUCKNOW.

v/;k;&3 &lyXud&3-1-1-12

vij iqfyl v/kh{kd rFkk {ks=kf/kdkjh dk;kZy; Hkouksa dk ekufp=

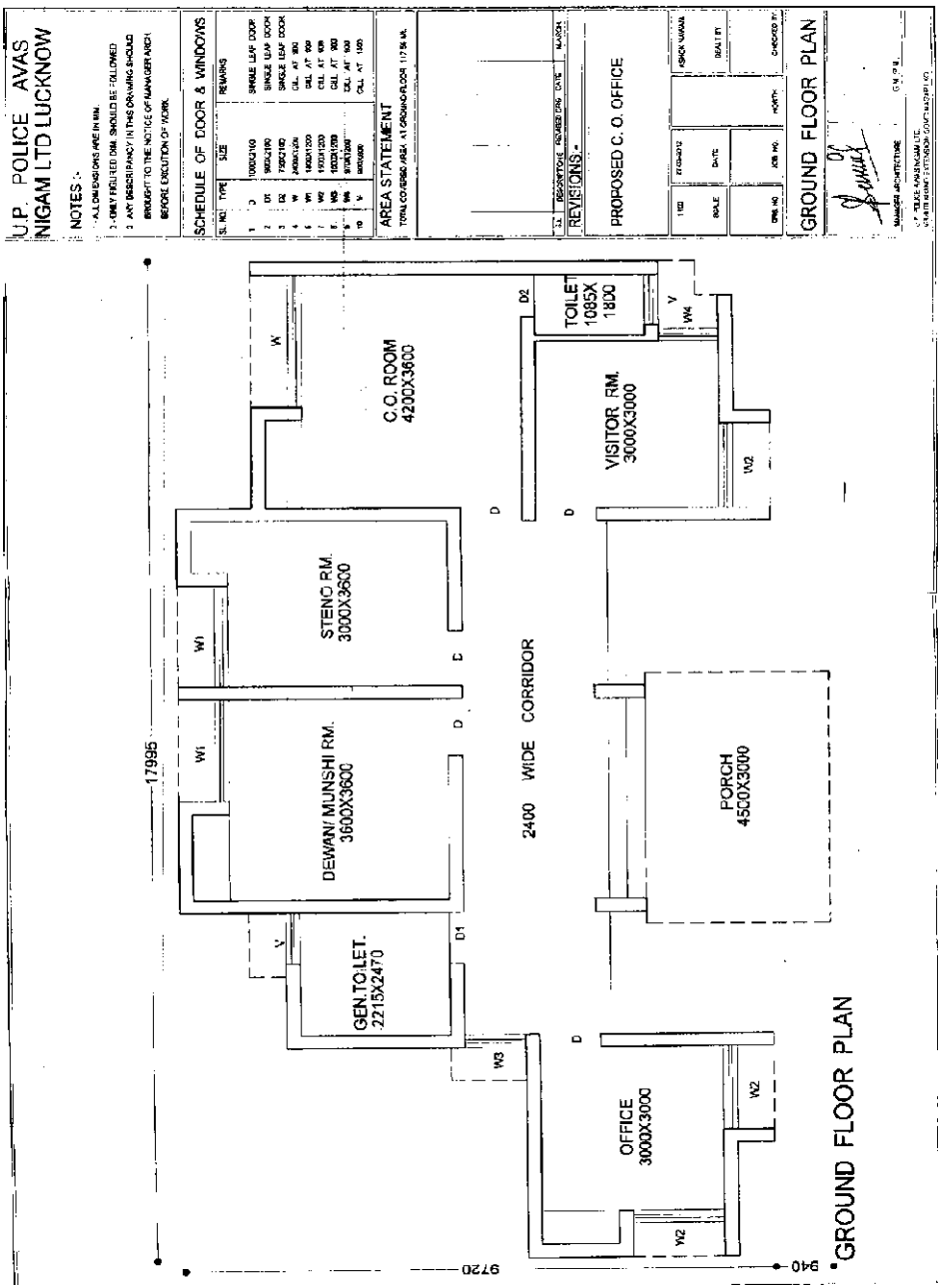

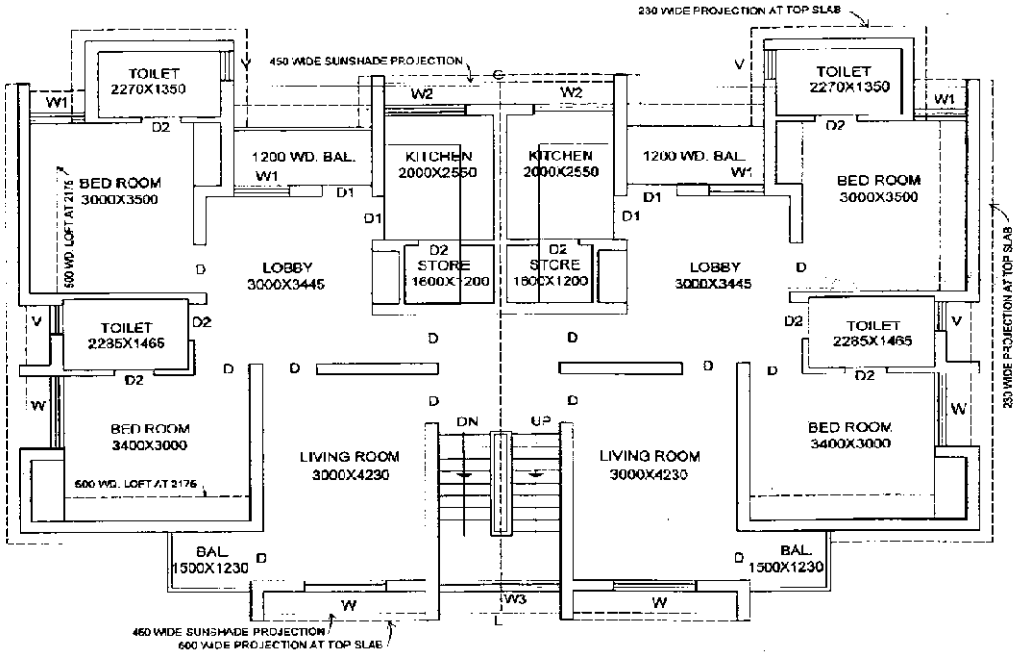

TYPICAL FLOOR PLAN

U. P. POLICE AVAS NIGAM LTD.
GOMTI NAGAR , LUCKNOW.

NOTES

1. ALL DIMENSIONS ARE IN M.M.
2. FIGURED DIMENSIONS SHALL BE FOLLOWED.
3. ANY DESCRIPANCY IN THIS DRAWING SHOULD BE BROUGHT TO THE NOTICE OF MANAGER (ARCH) BEFORE EXECUTION OF WORK.

AREA STATEMENT

| | |
|---|---|
| UNIT AREA | 79.00 Sq. Mt |
| STAIR CASE AREA PER UNIT | 06.50 Sq. Mt |
| TOTAL UNIT AREA | 85.50 Sq. Mt |

| SL. NO. | DESCRIPTION | REV DRG. NO. | DATE | [illegible] |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

REVISIONS

PROPOSED BLOCK OF 6 NOS.
TYPE III RESIDENCES TRIPLE STORY

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 : 50 | dec., 2010 | | ASHOK NAWANI |
| SCALE | DATE | | DEALT BY |
| DRG. NO. | JOB. NO. | NORTH | CHECKED BY |

TYPICAL FLOOR PLAN

MANAGER (ARCH) G. M. (P. M.)

U. P. POLICE AVAS NIGAM LTD.
VIBHUTI KHAND , GOMTI NAGAR , LUCKNOW.

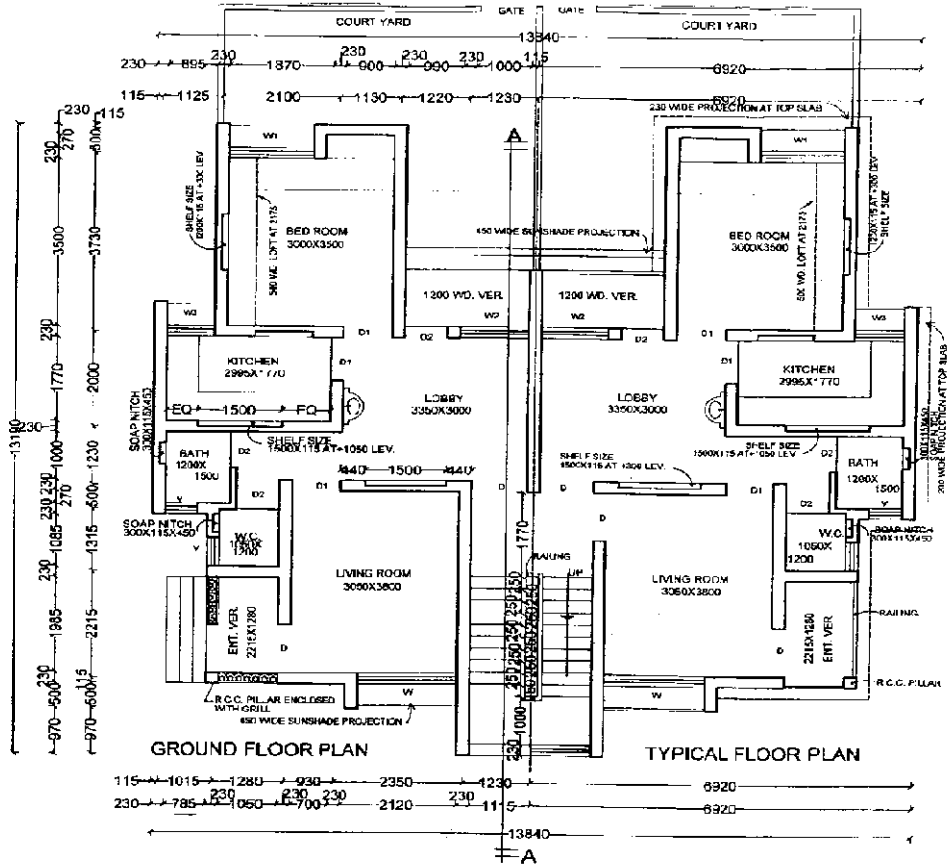

# U. P. POLICE AVAS NIGAM LTD.
## GOMTI NAGAR , LUCKNOW.

NOTES

1. ALL DIMENSIONS ARE IN M.M.
2. FIGURED DIMENSIONS SHALL BE FOLLOWED.
3. ANY DESCRIPANCY IN THIS DRAWING SHOULD BE BROUGHT TO THE NOTICE OF MANAGER (ARCH.) BEFORE EXECUTION OF WORK.

SCHEDULE OF DOORS & WINDOWS

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | D | 1000 X 2100 | SINGLE SHUTTER |
| 2 | D1 | 900 X 2100 | SINGLE SHUTTER |
| 3 | D2 | 750 X 2100 | SINGLE SHUTTER |
| 4 | W | 1800 X 1350 | CILL AT 750 |
| 5 | W1 | 1500 X 1350 | CILL AT 750 |
| 6 | W2 | 1240 X 1350 | CILL AT 750 |
| 7 | W3 | 895 X 1050 | CILL AT 1050 |
| 8 | W4 | 2230 X 1350 | CILL AT 750 |
| 9 | V | 600 X 450 | CILL AT 1650 |

AREA STATEMENT

| | |
|---|---|
| UNIT AREA | 57.70 Sq. Mt. |
| STAIR CASE AREA PER UNIT | 06.50 Sq. Mt. |
| TOTAL UNIT AREA | 64.20 Sq. Mt. |

| S. NO. | DESCRIPTION | REV DRG. NO. | DATE | MAN. (ARCH.) |
|---|---|---|---|---|

REVISIONS

PROPOSED BLOCK OF 6 NOS.
TYPE II RESIDENCES TRIPLE STORY

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 : 100 | dec.2010 | | ASHOK NAWANI |
| SCALE | DATE | | DEALT BY |
| DRG. NO. | JOB. NO. | NORTH | CHECKED BY |

GROUND FLOOR PLAN

MANAGER (ARCH.) G.M. (P.M.)

U. P. POLICE AVAS NIGAM LTD.
VIBHUTI KHAND , GOMTI NAGAR , LUCKNOW

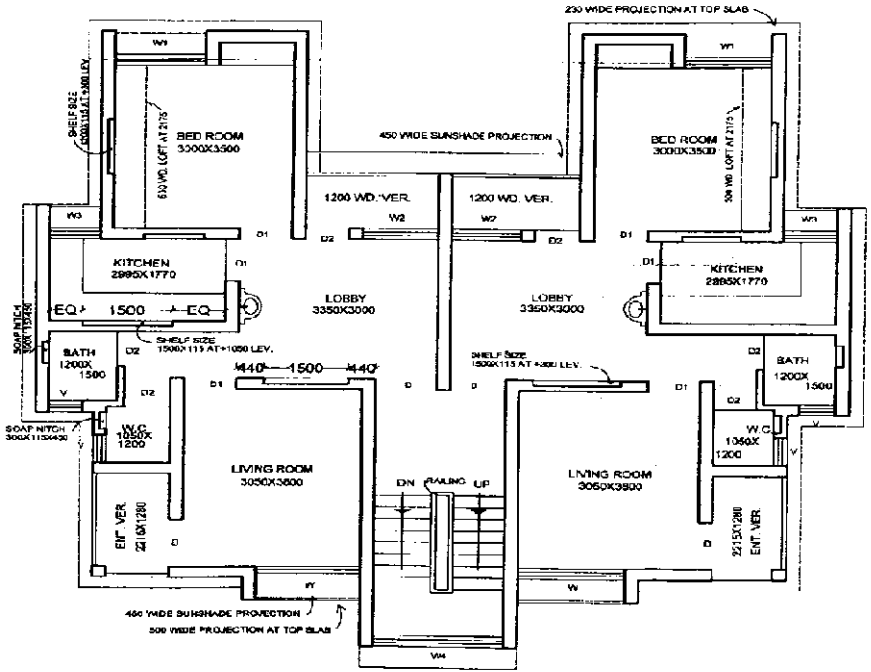

**U. P. POLICE AVAS NIGAM LTD.**
**GOMTI NAGAR , LUCKNOW.**

NOTES
1 ALL DIMENSIONS ARE IN M.M.
2 FIGURED DIMENSIONS SHALL BE FOLLOWED.
3 ANY DESCRIPANCY IN THIS DRAWING SHOULD BE BROUGHT TO THE NOTICE OF MANAGER (ARCH) BEFORE EXECUTION OF WORK.

| SL. NO | DESCRIPTION | REV. DRG. NO. | DATE | [illegible] |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

REVISIONS

PROPOSED BLOCK OF 6 NOS.
TYPE II RESIDENCES TRIPLE STORY

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 : 50<br>SCALE | dec 2010<br>DATE | | ASHOK NAWANI<br>DEALT BY |
| DRG. NO. | JOB. NO. | NORTH | CHECKED BY |

TYPICAL FLOOR PLAN

| | |
|---|---|
| MANAGER (ARCH) | G M (P M ) |

U. P. POLICE AVAS NIGAM LTD.
VIBHUTI KHAND , GOMTI NAGAR , LUCKNOW.

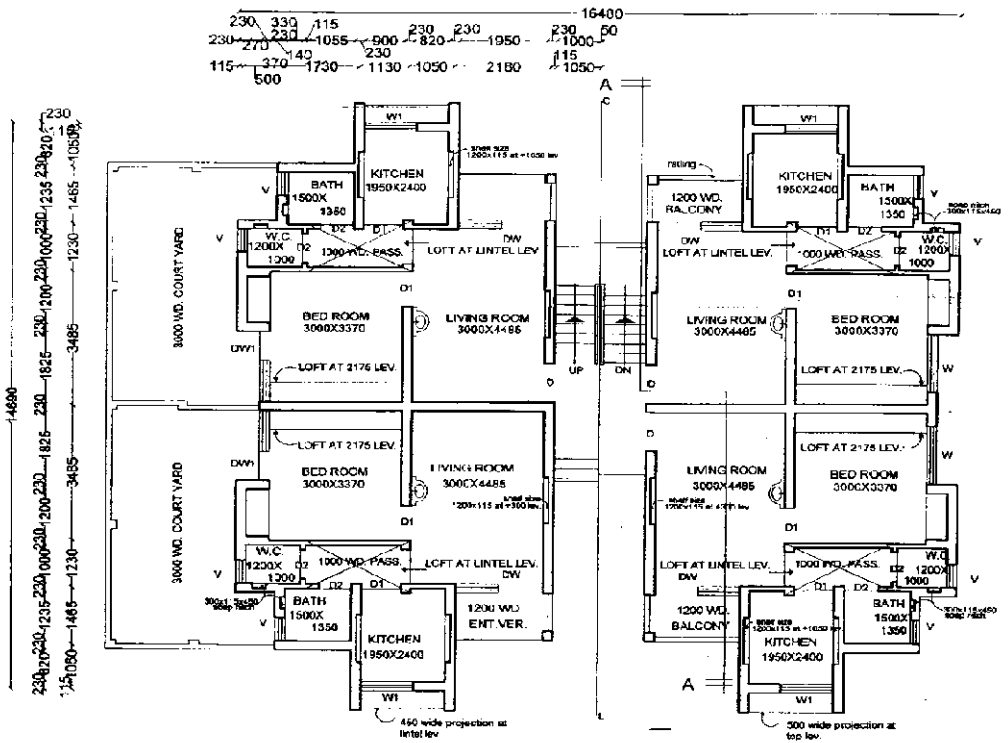

GROUND FLOOR PLAN

TYPICAL FLOOR PLAN

U. P. POLICE AVAS NIGAM LTD.
GOMTI NAGAR , LUCKNOW.

NOTES

1. ALL DIMENSIONS ARE IN M.M.
2. FIGURED DIMENSIONS SHALL BE FOLLOWED.
3. ANY DESCRIPANCY IN THIS DRAWING SHOULD BE BROUGHT TO THE NOTICE OF MANAGER (ARCH.) BEFORE EXECUTION OF WORK.

SCHEDULE OF DOORS & WINDOWS

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | D | 1000 X 2100 | SINGLE SHUTTER |
| 2 | D1 | 900 X 2100 | SINGLE SHUTTER |
| 3 | D2 | 750 X 2100 | SINGLE SHUTTER |
| 4 | DW | 1950 X 2100 | CILL AT 750 |
| 5 | DW1 | 1825 X 2100 | CILL AT 750 |
| 6 | W | 1500 X 1350 | CILL AT 750 |
| 7 | W1 | 1200 X 1050 | CILL AT 1050 |
| 8 | V | 600 X 450 | CILL AT 1650 |

AREA CHART

| | |
|---|---|
| UNIT AREA | 45.00 Sq. Mt. |
| AREA OF STAIR CASE PER UNIT | 03.25 Sq. Mt. |
| TOTAL AREA | 48.25 Sq. Mt. |

| SL. NO. | DESCRIPTION | REV. DRG. NO. | DATE | |
|---|---|---|---|---|

REVISIONS

PROPOSED BLOCK OF 12 NOS.
TYPE I (SPL.) CONSTABLE
RESIDENCES FOR U. P. POLICE

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1:25 | DEC 2010 | | ASHOK KAWANI |
| SCALE | DATE | | DEALT BY |
| DRG. NO. | JOB. NO. | NORTH | CHECKED BY |

PLAN

MANAGER (ARCH.) G. M. (P. M.)

U. P. POLICE AVAS NIGAM LTD.
VIBHUTI KHAND , GOMTI NAGAR , LUCKNOW.

# mRrj Án'k iqfyl eq[;ky;] bykgkckn&A

संख्या : ग्यारह–449–2006, दिनांक : सितम्बर 04, 2008

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,

पुलिस विभाग, उत्तर प्रदेश।

विषयः– निर्माण कार्यो के लिए प्राथमिक आगणन गठित कराने के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश।

---

अपर पुलिस महानिदेशक/प्रबन्ध निदेशक, उ० प्र० पुलिस आवास निगम, लखनऊ द्वारा अवगत कराया गया हे कि निगम मुख्यालय एवं निगम की निर्माण इकाईयों पर जनपदों/क्षेत्रीय पुलिस अधिकारियों द्वारा विभिन्न निर्माण कार्यो के लिए प्राथमिक आगणन गठित कर तुरन्त उपलब्ध कराये जाने हेतु लगातार सीधे पत्र प्राप्त होते रहते हैं। यह कार्यप्रणाली ठीक नहीं है।

2– जैसाकि आप जानते हैं, पुलिस विभाग के भवन पुलिस आवास निगम के अतिरिक्त कई और निर्माण इकाईयां भी बनाती हैं। यह निर्णय कि किस जगह के भवन कौन निर्माण इकाई बनाएगी, शासन से विचार–विमर्श करने के पश्चात लिया जाता है। अतः जिस निर्माण इकाई को कार्य आबंटित किया जाता है उसी से आगणन बनवाना नियमानुसार होगा।

3– उक्त परिप्रेक्ष्य में यह स्पष्ट किया जाता है कि पुलिस की विभिन्न इकाइयों/जनपदों के पुलिस अधीक्षकों/पीएसी सेनानायकों द्वारा निर्माण इकाईयों से सीधे आगणन बनाने हेतु पत्राचार करने के बजाय किसी भी निर्माण कार्य हेतु आगणन गठित कराये जाने के पूर्व भूमि के चयन हेतु 14 बिन्दुओं की चेकलिस्ट (छायाप्रति संलग्न) एवं उपलब्ध भूमि के क्षेत्रफल व अन्य सूचनाओं सहित औचित्यपूर्ण प्रस्ताव जोनल पुलिस महानिरीक्षक/विभागाध्यक्ष के माध्यम से पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध कराया जाय, ताकि पुलिस मुख्यालय द्वारा कार्यो को कार्ययोजना में सम्मिलित किया जा सके। जब कार्य किसी योजना में सम्मिलित/अनुमोदित हो जायेंगे और निर्माण इकाई नामित हो जायेगी, तो पुलिस मुख्यालय द्वारा अवगत करा दिया जायेगा। तदोपरान्त ही कार्यो के आगणन पुलिस आवास निगम या अन्य निर्माण इकाई, जिसे कार्य आबंटित होगा, द्वारा बनाये जायेंगे।

4— अतएव अनुरोध है कि कृपया इस सम्बन्ध में तद्नुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नकःयथोपरि।

ह०/—

¼ fnyhi f=onh ½

अपर पुलिस महानिदेशक, भवन/कल्याण,

उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि संलग्नक सहित निम्नलिखित को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— अपर पुलिस महानिदेशक/ प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पुलिस आवास निगम लि०, गोमती नगर लखनऊ को उनके पत्र संख्याः1958/पान/म.प्र.(आग), दिनांक 14.08.2008 के संदर्भ में।

2— प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राजकीय निर्माण निगम, विश्वेषवरैया भवन, गोमतीनगर, लखनऊ।

3— प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम लि०, गोमती नगर लखनऊ

4— प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लि० (पैकफेड), 19—ए, विधान सभा मार्ग, लखनऊ।

5— प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि० गोमती बैराज, वायाँ तट, गोमती नगर, लखनऊ।

6— निदेशक, कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उ०प्र० जल निगम, गोमतीनगर, लखनऊ

7— प्रबन्ध निदेशक, नेशनल प्रोजेक्ट कान्सट्रक्शन कारपोरेशन लि०, फरीदाबाद, हरियाणा।

# fuek.k dk;l gr Hkfe d p;u gr pd fyLV

| क्र. सं. | कार्य का नाम | | | भूमि निरीक्षण की तिथि |
|---|---|---|---|---|
| | जानकारी | हाँ | नहीं | टिप्पणी |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | सभी विवादों या पुराने निर्माणों से मुक्त भूमि, तुरन्त निर्माण हेतु आवश्यक क्षेत्रफल की, विभाग के कब्जे में है | | | |
| 2 | भूमि में किसी भराव की आवश्यकता है (यदि हाँ तो अनुमानित गहराइ) | | | |
| 3 | क्षेत्र में लोना (साल्ट–पीटर) तो नहीं दिखता? | | | |
| 4 | भूमि पर बरसात में जल भराव होता है? (यदि हाँ, तो अधिकतम कितना?) | | | |
| 5 | भूमि के सामने सड़क उपलब्ध है, (यदि नहीं तो निकटतम सड़क से दूरी मीटर में?) | | | |
| 6 | भवन पर पहुचने के लिये सड़क पर पुलिया (कलवर्ट) की आवश्यकता होगी? | | | |
| 7 | भवन के निवासियों की आवश्यकता के लिये जल उपलब्ध हे? (यदि नहं, तो प्रस्तावित आवश्यकता का प्रकार स्पष्ट रूप से टिप्पणी में लिखें) उदाहरणार्थ, ट्यूबवेल, इंडिया मार्क–टू, पम्प आदि | | | |
| 8 | भवन के लिये आवश्क विद्युत आपूर्ति व्यवस्था उपलब्ध है या इस के लिये अलग से प्राविधान करना होगा? (यदि नहीं, तो निकटस्थल एल०टी० लाइन से दूरी सूचित करें) | | | |
| 9 | क्षेत्र में सीवर लाइन उपलब्ध है (अलग से व्यवस्था की जानी है तो सूचित करें कि क्षेत्र में | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | सेप्टिक टैंक या सोकपिट सफल हे या नहीं?) | | | |
| 10 | क्षेत्र में पानी निकालने के लिये किसी नाली या बड़े नाले की आवश्यकता तो नहीं है? (यदि आवश्यकता है तो अनुमानित लम्बाई सूचित करें) | | | |
| 11 | शासनादेश संख्याः 4080/सा०नि०आ०–70–सी०बी०/74, दि0 14 मई 79 द्वारा जल व्यवस्था युक्त परिसरों में मात्र तीन मंजिला आवासीय निर्माण के प्राविधान के विषय में क्या कोई तकनीकी आपत्ति है– (यदि हाँ, तो शिथिलीकरण के लियेशासन से अनुमति प्राप्त करनी है/अनुमति प्राप्त करनी है तो पुलिस मुख्यालय को भेजे गये प्रस्ताव की प्रति संलगन करें) | | | |
| 12 | प्रस्तावित निर्माण की जनपद/तहसील मुख्यालय से मोटर वाहन योग्य मार्ग से दूरी | | | |
| (क) | पक्का मार्ग | | | |
| (ख) | कच्चा मार्ग | | | |
| 13 | भूमि पर से बिजली के एल०टी०/एच०टी० लाइन तो नहीं जाती है? | | | |
| 14 | अन्य कोई सूचना यदि हो तो? | | | |
| | | | | |
| | | | पुलिस अधिकारी के हस्ताक्षर | |
| | दिनांक | नाम– | | |
| | | पदनाम– | | |

# mRrj Án'k ifyl e[;ky;] bykgkckn&1

संख्याः ग्यारह–465–2007, दिनांकःमार्च 14, 2008

सेवा में,

leLr ofj"B@ifyl v/kh{kd]
ÁHkkjh tuin] mRrj Án'kA

विषयः स्थानीय निकायों (औद्योगिक विकास प्राधिकरणों, विकास प्राधिकरणों, आवास विकास परिषद, यू०पी०एस०आई०डी०सी० आदि) द्वारा विकसित की जा रही योजनाओं में सुरक्षा की दृष्टिकोण से फायर स्टेशनों, थानों एवं चौकियों हेतु व्यवस्था किया जाना।

कृपया प्रमुख सचिव, गृह, उत्तर प्रदेश शासन, गृह (पुलिस) अनुभाग–8, लखनऊ के अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त एवं प्रमुख सचिव/ प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग/पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश/महानिदेशक, उत्तर प्रदेश फायर सर्विस को सम्बोधित तथा समस्त जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश को पृष्ठांकित शासनादेश संख्याः2469/छः–पु०–8–07–33 (विविध)/07, दिनांक 24.10.2007 (सुलभ संदर्भ हेतु छायाप्रति संलग्न) का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मुख्य रूप से निम्नलिखित निर्देश निर्गत किये गये हैं :

(1) स्थानीय निकायों, औद्योगिक विकास प्राधिकरणों, विकास प्राधिकरणों, आवास विकास परिषद, यू०पी०एस०आई०डी०सी० आदि की योजनाओं में मानक के अनुरूप अग्निशमन केन्द्र, थानों एवं चौकी स्थापित करने के लिए उपरोक्त संस्थानों द्वारा आवासीय एवं अनावासीय भवनों को निर्मित कर भूमि एवं भवन गृह विभाग को निःशुल्क उपलब्ध कराया जायेगा।

(2) प्रत्येक 50000 की जनसंख्या में एक थाना एवं 15000 की जनसंख्या में एक चौकी के मानक के अनुरूप थाना परिसर के लिए आवासीय/अनावासीय भवनों हेतु 4000 वर्ग मीटर भूमि निर्मित क्षेत्र सहित एवं चौकी के लिए 1500 वर्ग मीटर यथावश्यकता निर्मित क्षेत्र सहित, की व्यवस्था की जानी है।

(3) अग्निशमन केन्द्र स्थापित करने के लिए श्रेणी–1 के जनपदों एवं महानगरों में 04

लाख की जनसंख्या व 10 वर्ग कि०मी० की आबादी में 07 यूनिट के फायर स्टेशन स्थापित करने के लिए 12400 वर्गमीटर भूमि जिसमें 5600 वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र होगा, की व्यवस्था की जानी है।

(4) बी–श्रेणी के जनपद/नगरों में 2.5 लाख की जनसंख्या एवं 10 वर्ग कि०मी० आबादी के लिए 04 यूनिट के फायर स्टेशन स्थापित करने के उद्देश्य से 10 हजार वर्गमीटर भूमि, जिसमें 4200 वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र होगा, की व्यवस्था की जानी है।

(5) सी–श्रेणी के जनपदों के लिए 02 लाख की जनसंख्या एवं 10 वर्ग कि०मी० के क्षेत्र में 03 यूनिट के फायर स्टेशन स्थापित करने के लिए 08 हजार वर्गमीटर भूमि, जिसमें निर्मित क्षेत्र 3500 वर्गमीटर होगा, की व्यवस्था की जानी है।

(6) तहसील एवं कस्बों के लिए 01 लाख की जनसंख्या एवं 300 वर्ग कि०मी० क्षेत्रफल के लिए 02 यूनिट के फायर स्टेशन स्थापित करने हेतु 06 हजार वर्गमीटर भूमि, जिसमें निर्मित क्षेत्र 2800 वर्ग मीटर होगा, की व्यवस्था की जानी है।

(7) उपरोक्त बिन्दुओं के अनुसार व्यवस्था किये जाने के साथ–साथ भविष्य में जनसंख्या बढ़ने के दृष्टिगत अतिरिक्त फायर स्टेशनों को स्थापित करने के लिए प्रति लाख जनसंख्या की वृद्धि पर 06 हजार वर्गमीटर भूमि जिसमें न्यूनतम 02 फायर यूनिट की क्षमता के अनुरूप आवासीय/अनावासीय भवन निर्मित कर आरक्षित रखा जाना है।

(8) उपरोक्त आवासीय/अनावासीय भवनों का निर्माण तत्समय लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित प्रचलित दरों के आधार पर किया जायेगा। भविष्य में लोक निर्माण विभाग द्वारा कुर्सी क्षेत्रफल के दरों में परिवर्तन होने की दशा में थाना/चौकियों तथा विभिन्न श्रेणी के अग्निशमन के भवनों की निर्माण लागत में भी उसी आधार पर परिवर्तन अनुमन्य होगा। उपरोक्त कार्यवाही में आने वाला व्यय विकसित किये जा रहे क्षेत्रों की योजनाओं के विक्रय मूल्य में शामिल कर लिया जायेगा।

(9) इस प्रकार की व्यवस्था हो जाने के उपरान्त गृह विभाग द्वारा वहाँ उपकरण यन्त्र, वाहन मानव संसाधन आदि आवर्तक एवं पूँजीगत व्यय वहन करते हुए उन्हें संचालित किया जायेगा।

2– इस सम्बन्ध में मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के अर्द्ध शासकीय पत्र संख्याः2499/छः–पु०–8–07–33(विविध)/07, दिनांक 13.11.2007 द्वारा भी प्रदेश की सामाजिक संरचना में ऊपर अंकित की जा रही व्यवस्था की अपरिहार्यता को देखते हुए गृह विभाग द्वारा जारी किये गये शासनादेश दिनांक 24.10.2007 का प्रत्येक दशा में

अनुपालन सुनिश्चित किये जाने और इस संबंध में योजनाओं में स्थान आदि के चिन्हीकरण में यथावश्यकता पुलिस एवं अग्निशमन विभाग के अधिकारियों की भी सहभागिता रखे जाने के निर्देश दिये गये हैं।

3— अतएव अनुरोध है कि कृपया प्रश्नगत विषय में शासन के उपरोक्त संदर्भित पत्रों में अंकित दिशा—निर्देशों के अनुपालन में फायर स्टेशन, थानों एवं चौकियों की व्यवस्था किये जाने के बारे में तद्नुसार अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नकःयथोपरि।

ह०/—

¼ v#.k dekj flg ½

पुलिस उपाधीक्षक, भवन/कल्याण,

नि० अपर पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय,

उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को संलग्नक सहित कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1— समस्त पुलिस महानिरीक्षक, जोन्स, उत्तर प्रदेश।

2— समस्त पुलिस उपमहानिरीक्षक, परिक्षेत्र, उत्तर प्रदेश।

3— पुलिस उपमहानिरीक्षक, फायर सर्विस मुख्यालय, उ० प्र०, लखनऊ।

संलग्नकःयथोपरि।

प्रतिलिपि पुलिस महानिरीक्षक (स्थापना), मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ० प्र०, लखनऊ को कृपया सूचनार्थ प्रेषित।

mRrj Án'k ifyl e[;ky;] bykgkckn&1

संख्याः ग्यारह–465–2007, दिनांकःनवम्बर 29, 2011

सेवा में,

leLr ifyl mi egkfujh{kd@ofj"B@ifyl v/kh{kd]
ÁHkkjh tuin] mRrj Án'kA

विषयः स्थानीय निकायों (औद्योगिक विकास प्राधिकरणों, विकास प्राधिकरणों, आवास विकास परिषद, यू०पी०एस०आई०डी०सी० आदि) द्वारा विकसित की जा रही योजनाओं में सुरक्षा की दृष्टिकोण से फायर स्टेशनों, थानों एवं चौकियों हेतु व्यवस्था किया जाना।

कृपया पुलिस मुख्यालय के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 14.03.2008 (सुलभ संदर्भ हेतु छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके साथ उपर्युक्त विषयक प्रमुख सचिव, गृह, उ० प्र० शासन, गृह (पुलिस) अनुभाग–8, लखनऊ के शासनादेश संख्या:2469/छः–पु०–8–07–33 (विविध)/ 07, दिनांक 24.10.2007 की छायाप्रति भेजी गयी है।

2– प्रमुख सचिव, गृह के उक्त पत्र में स्थानीय निकायों, औद्योगिक विकास प्राधिकरणों, विकास प्राधिकरणों, आवास विकास परिषद, यू०पी० एस०आई०डी०सी० आदि की योजनाओं में मानक के अनुरूप अग्निशमन केन्द्र, थानों एवं चौकी स्थापित करने के लिए इन संस्थानों द्वारा आवासीय/अनावासीय भवनों को निर्मित कर भूमि एवं भवन गृह विभाग को निःशुल्क उपलब्ध कराये जाने के निर्देश निर्गत किये गये हैं।

3– उक्त पत्र में थाना एवं चौकी के लिए तत्समय के नियतन एवं निर्माण को दृष्टिगत रखते हुए भूमि का आंकलन किया गया था, जो मानक से कम है। थानों, चौकियों तथा आवासीय भवनों के मानकीकरण हेतु प्रस्तावित डिजाइन के परिप्रेक्ष्य में भूमि की आवश्यकता अब निम्न प्रकार होगी :–

"थाना परिसर के लिए आवासीय/अनावासीय भवनों हेतु लगभग 10000 वर्ग मीटर भूमि निर्मित क्षेत्र सहित एवं चौकी के लिए 5000 वर्ग मीटर

यथावश्यकता निर्मित क्षेत्र सहित, की व्यवस्था की जानी है"

फायर स्टेशनों के लिए भूमि (निर्मित क्षेत्र सहित) का मानक सम्प्रति पूर्ववत् है।

4— ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त निर्देशों की जानकारी न होने के कारण जनपदों द्वारा स्थानीय निकायों (औद्योगिक विकास प्राधिकरणों, विकास प्राधिकरणों, आवास विकास परिषद, यू०पी०एस० आई०डी०सी० आदि) द्वारा विकसित की जा रही योजनाओं में थानों, चौकियों तथा फायर स्टेशनों के लिए निःशुल्क भूमि/भवन निर्मित कराकर पुलिस विभाग को उपलब्ध कराने की कार्यवाही नहीं की जा रही है।

5— अतएव अनुरोध है कि कृपया इस सम्बन्ध में निम्नवत् कार्यवाही सुनिश्चित करें :—

| | |
|---|---|
| (1) | पुलिस मुख्यालय के उक्त पत्र में उल्लिखित शासन के संदर्भित पत्रों में अंकित दिशा—निर्देशों तथा प्रस्तर—3 के परिप्रेक्ष्य में स्थानीय निकायों आदि से थानों, चौकियों एवं फायर स्टेशन के लिए आवासीय/ अनावासीय भवनों के लिए निःशुल्क भूमि एवं भवन निर्माण की व्यवस्था करायी जाय। |
| (2) | ऐसी योजनाओं का निरीक्षण करने हेतु अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी को नामित कर दें, ताकि वे उनका भ्रमण करके जहाँ—जहाँ भूमि नहीं छोड़ी गयी है, वहां के सम्बन्धित अधिकारियों से व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित करके तत्सम्बन्धी कार्यवाही सुनिश्चित करायें। |
| (3) | बड़े शहरों में प्राइवेट बिल्डर्स द्वारा भी बड़ी—बड़ी कालोनियां निर्मित की जा रही हैं, जहाँ पर भी सुरक्षा की दृष्टि से थाना या चौकी तथा फायर स्टेशन की स्थापना की आवश्यकता हो सकती है जिसके दृष्टिगत ऐसे प्राइवेट बिल्डर्स से भी निःशुल्क भूमि/भवन निर्मित करके पुलिस विभाग को उपलब्ध कराये जाने की कार्यवाही की जानी चाहिए। ज्ञातव्य है कि प्राइवेट बिल्डर्स द्वारा बनायी जाने वाली कालोनियों के मानचित्र स्थानीय निकायों/विकास प्राधिकरणों आदि द्वारा पास किये जाते हैं। |

संलग्नकःयथोपरि।

ह०/—

¼ chåihå tkxn.M ½

पुलिस महानिरीक्षक, भवन/कल्याण,

उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को संलग्नक सहित कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक, समस्त परिक्षेत्र, उत्तर प्रदेश।

2– पुलिस महानिरीक्षक, फायर सर्विस मुख्यालय, उ० प्र०, लखनऊ।

प्रतिलिपि पुलिस महानिरीक्षक एवं पुलिस महानिदेशक के सहायक, उ० प्र०, लखनऊ को कृपया पुलिस महानिदेशक महोदय के संज्ञान हेतु प्रेषित।

v/;k;&3& 3-1-6 d s l ayXud&15

mRrj Án s'k i qfy l e q[;ky;] byk gkckn&A

संख्या : ग्यारह–886–2007, दिनांक : अक्टूबर 15, 2011

सेवा में,

l eLr foHkkxk/;{k@dk;kZy;k/;{k]

i qfy l foHkkx] mRrj Án s'kA

fo"k;%& पुलिस विभाग के पुराने एवं जर्जर भवनों के ध्वस्तीकरण की अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

---

कृपया पुलिस मुख्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 27.08.2008 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा पुलिस विभाग के पुराने/जर्जर भवनों के ध्वस्तीकरण किये जाने हेतु प्रमुख सचिव, उ०प्र० शासन, लोक निर्माण अनुभाग–5, लखनऊ के परिपत्र संख्या:477/–सी०/23–5– 08–50(40) ई०जी०/ 2008, दिनांक 26.03.2008 में निहित निर्देशानुसार कार्यवाही कराने की अपेक्षा की गयी है।

2– प्रश्नगत विषय में प्रमुख सचिव, उ०प्र० शासन, लोक निर्माण अनुभाग–5, लखनऊ के परिपत्र संख्या:1419ईजी/23–5–11–50(40) ई०जी०/2008, दिनांक 26.09.2011 द्वारा mRrj Án s'k jkT; d s Hkouk s d s /oLrhdj.k fd;s tku s d s l Ecu/k e s u;h uhfr fu/kkZfjr dh x;h g S] ftl dh Nk;kÁfr layXu dj Áf"kr g SA

3– उपर्युक्त नीति में तकनीकी समिति के गठन के साथ–साथ भवन के ध्वस्तीकरण के बारे में संस्तुति किये जाने हेतु प्रस्तर–3 के उप प्रस्तर (क) के अनुसार ,s l s Hkouk s] tk s viuh vk;q i w.k Z dj pqd s g S] d s /oLrhdj.k d s fy;s mudh cqd oSY;w ,o a tgk¡ vfHky s[kk s a d s vHkko e sa cqd oSY;w miyC/k u gk s ogk¡ dEI;qVsM oSY;w #å 5-00 yk[k ¼#å ikp yk[k½ rd g S] d s /oLrhdj.k d s ckj s e sa l EcfU/kr ftykf/kdkjh }kjk fu.kZ; fy;k tk;xkA ,s l s Hkou ftudh cqd oSY;w ,o a tgk¡ vfHky s[kk s a d s vHkko e sa cqd oSY;w miyC/k u gk s ogk¡ dEI;qVsM oSY;w #å 5-00 yk[k ¼#å ikp yk[k½ l s vf/kd ,o a #å 10-00 yk[k ¼#å nl yk[k½ rd g S] d s /oLrhdj.k d s ckj s e sa l EcfU/kr foHkkxk/;{k }kjk fu.kZ; fy;k tk;xkA इससे

ऊपर की बुक वैल्यू/कम्प्यूटेड वैल्यू के प्रस्ताव शासन को भेजे जायेंगे। ifyl foHkkx d Hkouk d ckj e foHkkxk/;{k dk vk'k; ifyl egkfun'kd] måÁå ¼ifyl e[;ky;½ l gA

4– अतएव अनुरोध है कि कृपया पुलिस विभाग के भवनों के ध्वस्तीकरण के सम्बन्ध में लोक निर्माण के परिपत्र दिनांक 26.09.2011 में निहित निर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोपरि।

ह०/–

¼ ekå tkon v[rj ½

पुलिस महानिरीक्षक, भवन/कल्याण,

उत्तर प्रदेश।

v/;k;&3&3-1-6 d lyXud&15¼1½

संख्याः1419ईजी/23–7–11–50(40)/ई०जी०/08

प्रेषक,

रवीन्द्र सिंह,

प्रमुख सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,

उ०प्र० शासन।

2– समस्त विभागाध्यक्ष,

उत्तर प्रदेश।

लोक निर्माण विभाग–5 लखनऊ : दिनांक : 26 सितम्बर, 2011

विषयः उ०प्र० राज्य के स्वामित्व के भवनों के ध्वस्तीकरण की संशोधित नीति।

महोदय,

उ०प्र० शासन के विभिन्न विभागों द्वारा समय–समय पर कार्यालय, चिकित्सालय, स्कूल, कालेज एवं अन्य महत्वपूर्ण इमारतों तथा आवासीय भवनों का निर्माण कराया जाता है। इन भवनों के जीर्ण–शीर्ण होने, दैवीय आपदाओं अथवा भवनों के भौगोलिक परिस्थिति, सुनियोजित विकास, सुरक्षा एवं स्थानीय अपिरिहार्य आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुये उन्हें ध्वस्त कराया जाना जनहित में आवश्यक हो जाता है।

इसके अतिरिक्त राज्य सरकार की विशिष्ट परियोजनाओं/योजनाओं/ निर्माण के अन्तर्गत भी सुनियोजित विकास, सुरक्षा, सौन्दर्यीकरण अथवा किन्हीं अन्य विशिष्ट कारणों से निर्माण का ध्वस्तीकरण आवश्यक एवं अपरिहार्य हो जाता है।

उपरोक्त स्थितियों के दृष्टिगत प्रदेश सरकार के स्वामित्व के विभिन्न भवनों के ध्वस्तीकरण के संबंध में लोक निर्माण अनुभाग–5 के शासनादेश संख्याः477–सी०/23–5–08–50 (40)ई०जी०/2008, दिनांक 26.03.2008 के द्वारा नीति निर्धारित की गयी थी।

वर्तमान ध्वस्तीकरण की नीति में कुछ व्यवहारिक कठिनाईयां आ रही है, जैसे–कि जिला स्तर पर जो छोटे–छोटे भवन, जिनकी मूल्यांकित लागत रु० 5.00 लाख के आस–पास अथवा उससे कम होती है, हेतु वर्तमान नीति के अन्तर्गत विभागों को ऐसे

मामलों में भी विभागाध्यक्ष और शासन स्तर में आना पड़ता है तथा उच्चाधिकारियों से अनुमोदन प्राप्त करने में विलम्ब होता है और विभिन्न स्तरों पर कार्य में वृद्धि होती है, साथ ही असुरक्षित भवनों के ध्वस्तीकरण के निर्णय में विलम्ब होने के कारण जान–माल की हानि की सम्भावना रहती है।

नीति को अधिक सुगम बनाने हेतु जिलाधिकारी को रु० 5.00 लाख तक की बुक बैल्यू एवं जहाँ अभिलोखों के अभाव मं बुक बैल्यू उपलब्ध न हो वहाँ कम्प्यूटेड बैल्यू के भवनों के ध्वस्तीकरण के निर्णय लेने के अधिकार दिये जाने प्रस्तावित है।

इसके अतिरिक्त पुरानी नीति के अन्तर्गत ऐसे भवन जिनकी आयु पूर्ण नहीं हुई थी और मूल्यांकित लागत रु० 5.00 लाख से कम थी तथा श्रेणी–2ख के उल्लिखित भवनों में भी जिनकी मूल्यांकित लागत रु० 5.00 लाख से कम थी, के ध्वस्तीकरण के बारे में सक्षम स्तर की स्थिति स्पष्ट नहीं थी, जिसे अब वर्तमान नीति में और सुस्पष्ट किया जा रहा है।

अतः उपरोक्त स्थितियों के दृष्टिगत प्रदेश सरकार के स्वामित्व के विभिन्न भवनों के ध्वस्तीकरण के सम्बन्ध में निर्धारित नीति को संशोधित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

2– उ०प्र० सरकार के स्वामित्व के विभिन्न भवनों का ध्वस्तीकरण अब निम्न स्थितियों में अनुमन्य किया जायेः–

(क) भवनों की आयु पूरी हो जाने के कारण भवन के जीर्ण–शीर्ण होने,नींव के कमजोर होने, नींव के बैठनें, डत के कमजोर होने,संरचना में किसी अंग के 'फेल' होने अथवा अन्य कारणों से भवन अध्यासन के लिये असुरक्षित होने की स्थिति में आ गया हो अथवा भवन अनुपयोगी हो गया हो।

(ख) भवन की आयु पूर्ण न होने अथवा असुरक्षित न होने के बावजूद भी राज्य सरकार के विभिन्न विभागें की ऐसी विशिष्ट श्रेणी की परियोजनाओं/योजनाओं/निर्माण, जिनके अन्तर्गत किसी भवन अथवा निर्माण को ध्वस्त किया जाना सुनियोजित विकास, सुरक्षा,सौन्दर्यीकरण अथवा किन्हीं विशिष्ट कारणों से आवश्यक एवं अपरिहार्य हो गया हो।

3– इस सम्बन्ध में सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग द्वारा भवन के ध्वस्तीकरण पर विचार कर ध्वस्तीकरण के बारे में संस्तुति किये जाने हेतु तकनीकी अधिकारियों की एक समिति गठित की जायेगी। इस समिति में अन्य सदस्यों के अतिरिक्त सिविल अभियन्ताओं को निम्नप्रकार से रखा जायेगाः–

(1) ऐसे असुरक्षित, अनुपयोगी अथवा जीर्ण–शीर्ण आवासीय तथा अनावासीय

सार्वजनिक भवनों, जिनकी बुक वैल्यू एवं जहाँ अभिलेखों के अभाव में बुक वैल्यू उपलब्ध न हो वहां कम्प्यूटेड वैल्यू रु० 15.00 लाख(रु० पन्द्रह लाख) तक है, के बारे में गठित की जाने वाली समिति में कम से कम अधिशासी अभियन्ता(सिविल) के स्तर के एक अधिकारी को अवश्य रखा जाये।

(2) ऐसे असुरक्षित, अनुपयोगी अथवा जीर्ण–शीर्ण आवासीय तथा अनावासीय भवनों, जिनकी बुक वैल्यू एवं जहाँ अभिलेखों के अभाव में बुक वैल्यू उपलब्ध न हो वहां कम्प्यूटेड वैल्यू रु० 15.00 लाख (रु० पन्द्रह लाख) से अधिक हो, उनके ध्वस्तीकरण हेतु गठित की जाने वाली समिति में कम से कम अधीक्षण अभियन्ता (सिविल) के स्तर के एक अधिकारी को अवश्य रखा जाये।

(3) विशिष्ट श्रेणी की परियोजानाओं/निर्माण के अन्तर्गत सुनियोजित विकास/सुरक्षा,सौन्दर्यीकरण अथवा अन्य विशिष्ट कारणों से आवश्यक एवं अपरिहार्य ध्वस्तीकरण के प्रकरण में ध्वस्तीकरण पर विचार करने एवं संस्तुति हेतु गठित की जाने वाली समिति में कम से कम मुख्य अभियन्ता (सिविल) के एक अधिकारी को अवश्य रखा जाये। इसके साथ ही ऐसे विशिष्ट कार्यो के निर्माण से सम्बन्धित वास्तुविद् को भी समिति में रखा जाये।

4– प्रस्तर–3 के प्राविधानों के अनुसार गठित समिति द्वारा भवनों के सम्बन्ध में विस्तृत तकनीकी टिप्पणी एवं भवन का मूल्यांकन कर विस्तृत मूल्यांकन आख्या सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग को प्रस्तुत की जायेगी।

5– तकनीकी समिति की संस्तुतियों एवं विस्तृत मूल्यांकन आख्या प्राप्त होने पर सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग द्वारा भवन के ध्वस्तीकरण के विषय में निम्नवत् निर्णय लिया जायेगा।

(क) ÁLrj&2¼d½ e| mfYyf[kr ,l| Hkouk|] tk| viuh vk;| i.k| dj pqd| g|] d| /oLrhdj.k d| fo"k; e| fuEuor~ fu.k|; fy;k tkuk ÁLrkfor g|&

(1) ऐसे भवन जिनकी बुक वैल्यू एवं जहां अभिलेखों के अभाव में बुक वैल्यू उपलब्ध न हो वहां कम्प्यूटेड वैल्यू रु० 5.00 लाख (रु० पाँच लाख) तक है, के ध्वस्तीकरण के बारे में सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

(2) ऐसे भवन जिनकी बुक वैल्यू एवं जहां अभिलेखों के अभाव में

बुक वैल्यू उपलब्ध न हो वहां कम्प्यूटेड वैल्यू रु० 5.00 लाख (रु० पाँच लाख) से अधिक एवं रु० 10.00 लाख (रु० दस लाख) तक है, के ध्वस्तीकरण के बारे में सम्बन्धित विभागाध्यक्ष द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

(3) ऐसे भवन जिनकी बुक वैल्यू एवं जहां अभिलेखों के अभाव में बुक वैल्यू उपलब्ध न हो वहां कम्प्यूटेड वैल्यू रु० 10.00 लाख (रु० दस लाख) से अधिक एवं रु० 25.00 लाख(रु० पच्चीस लाख) तक है, के ध्वस्तीकरण के बारे में सम्बन्धित विभाग के सचिव/प्रमुख सचिव द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

(4) ऐसे भवन जिनकी बुक वैल्यू एवं जहां अभिलेखों के अभाव में बुक वैल्यू उपलब्ध न हो वहां कम्प्यूटेड वैल्यू रु० 25.00 लाख (रु० पच्चीस लाख) से अधिक है, के ध्वस्तीकरण के विषय में मा० मंत्रि परिषद के आदेश प्राप्त किये जायेगें।

(ख) ÁLrj&2¼d½ esa mfYyf[kr ,sls Hkouksa] tks viuh vk;q iw.kZ ugha gq;h gSa] ds /oLrhdj.k ds fo"k; esa fuEuor~ fu.kZ; fy;k tkuk ÁLrkfor gS%&

(1) ऐसे भवन जिनकी बुक वैल्यू एवं जहां अभिलेखों के अभाव में बुक वैल्यू उपलब्ध न हो वहां कम्प्यूटेड वैल्यू रु० 5.00 लाख (रु० पाँच लाख) तक है, के ध्वस्तीकरण के बारे में विभाग के सचिव/प्रमुख सचिव द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

(2) ऐसे भवन जिनकी बुक वैल्यू एवं जहां अभिलेखों के अभाव में बुक वैल्यू उपलब्ध न हो वहां कम्प्यूटेड वैल्यू रु० 5.00 लाख (रु० पाँच लाख) से अधिक है, के ध्वस्तीकरण के बारे में सम्बन्धित विभाग द्वारा मा० मंत्रि परिषद के आदेश प्राप्त किये जायेंगे।

(ग) ÁLrj&2¼[k½ esa mfYyf[kr Hkouksa ds /oLrhdj.k ds fo"k; esa fuEuor~ fu.kZ; fy;k tkuk ÁLrkfor gS%&

(1) ऐसे भवन जिनकी बुक वैल्यू एवं जहां अभिलेखों के अभाव में बुक वैल्यू उपलब्ध न हो वहां कम्प्यूटेड वैल्यू रु० 5.00 लाख (रु० पाँच लाख) तक है, के ध्वस्तीकरण के बारे में सम्बन्धित विभाग के सचिव/प्रमुख सचिव द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

(2) ऐसे भवन जिनकी बुक वैल्यू एवं जहां अभिलेखों के अभाव में

बुक वैल्यू उपलब्ध न हो वहां कम्प्यूटेड वैल्यू रु० 5.00 लाख (रु० पाँच लाख) से अधिक के है, के ध्वस्तीकरण के बारे में सम्बन्धित विभाग द्वारा मा० मंत्रि परिषद के आदेश प्राप्त किये जायेंगे।

6— जिन विभागों द्वारा ध्वस्तीकरण के कार्य कराये जायेंगे, उनके किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में उनके समाधान एवं निराकरण हेतु प्रशासकीय विभाग ही उत्तरदायी होगें।

7— शा०सं०—477सी/23—5—08—50(40)ई०जी०/2008, दि० 26.03.2008 में Net Present Value को मूल्यांकित लागत के अंग्रेजी पाठ के रूप में प्रयोग किया गया है, जिसे विलुप्त समझा जाय।

8— वित्तीय नियमों की व्यवस्था के अन्तर्गत वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड—5 के भाग—1 के पैरा 265 के प्रपत्र—28 पर भवन रजिस्टर मेन्टेन होना चाहिए और इसे सम्बन्धित विभाग के स्थानीय अधिकारी द्वारा अद्यावधिक किया जाना चाहिए, उस पर आधारित वैल्यू भवन की बुक वैल्यू होगी।

कुछ ऐसे मामले भी हो सकते है, जिनमें उक्त रजिस्टर मेन्टेन नहीं किया जा रहा हो। ऐसी स्थिति में प्रश्नगत रजिस्टर की अनुपलब्धता के कारण असुरक्षित भवनों का ध्वस्तीकरण जनहित में रोका नहीं जा सकता है। अतः ऐसे मामले में भवन की कम्प्यूटेड वैल्यू का आंकलन उ०प्र० लोक निर्माण विभाग मैन्टीनेन्स मैनुअल ऑफ बिल्डिंग वॉल्यूम—11 के प्राविधानों के अनुसार इस प्रस्ताव के प्रस्तर—3 में प्रस्तावित समिति द्वारा किया जायेगा।

9— ध्वस्तीकरण के फलस्वरूप बट्टे खाते में डाले जाने योग्य धनराशि का आंकलन भवन की बुक वैल्यू एवं जहाँ अभिलेखों के अभाव में बुक वैल्यू उपलब्ध नह हो वहां कम्प्यूटेड वैल्यू से भवन से भवन की शुद्ध सैलवेज वैल्यू को कम करके किया जायेगा। धनराशि को बट्टे खाते में डालने के लिये सम्बन्धित विभागों के अनुदानों के अन्तर्गत बजट प्राविधान किया जाना होगा।

10— बट्टे खाते में धनराशि डालने का अधिकार प्रस्तर—5 के अनुसार विभिन्न स्तरों में ध्वस्तीकरण का निर्णय लेने वाले अधिकारियों का ही होगा।

11— भवनों के ध्वस्तीकरण हेतु लोक निर्माण विभाग नोडल विभाग की भूमिका निभायेगा।

12— कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

ह०/—

(रवीन्द्र सिंह)

प्रमुख सचिव

संख्या— 1419(1)ईजी/23—5:2011—तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— महालेखाकार,उ०प्र० इलाहाबाद।

2— समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ०प्र०।

3— राज्य सम्पत्ति अधिकारी, उ०प्र० शासन।

4— मुख्य अभियन्ता(भवन), लो०नि०वि०, लखनऊ।

5— समस्त मुख्य अभियन्ताओं/अधीक्षण अभियन्ताओं को द्वारा मुख्य अभियन्ता (भवन), लो०नि०वि०,लखनऊ।

6— गार्ड—बुक ।

भवदीय,

(नरेश बहादुर)

संयुक्त सचिव

v/;k;&3& 3-2 dk lyXud&1

l[;k&bå&8&303@nl&06&89@2004

प्रेषक,

आर० रमणी,

मुख्य सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष,

उत्तर प्रदेश शासन,

वित्त (व्यय–नियंत्रक) अनुभाग–8

लखनऊः 02 मार्च, 2006

fo"k;%& शासकीय निर्माण कार्यो का सम्पादन।

महोदय,

शासकीय निर्माण कार्यो के सम्पादन के सम्बन्ध में नीति सम्बन्धी शासनादेश संख्या–ई०–8–215/दस–1998, दिनांक 09 मार्च, 1998 जारी किया गया था और निर्माण एजेन्सी के चयन हेतु विशिष्ट व्यवस्था निर्धारित की गयी थी। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए इस प्रकरण पर पुनर्विचार किया गया और कार्यहित में उक्त शासनादेश के कम में निम्नलिखित संशोधन करने का निर्णय लिया गया हैः–

'kkldh; fuek.k dk;Z gsrq fuek.k ,tsUlh dk p;u%&

1& ¼v½ ekudhd`r dk;Z

(क) रु० 10.00 करोड़ तक के भवन निर्माण कार्य किसी भी राजकीय निर्माण एजेन्सी से निक्षेप कार्य के रूप में कराये जा सकते है।

(ख) रु० 10.00 करोड़ से अधिक लागत के भवन लोक निर्माण विभाग उ०प्र०

राजकीय निर्माण निगम, कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज(जल निगम) तथा उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद द्वारा ही निक्षेप कार्य के रूप में सम्पादित कराये जायेगे।

¼c½ xj ekudhd`r dk;Z

(क) रु० 2.50 करोड़ तक की लागत के भवन निर्माण कार्य किसी भी राजकीय निर्माण एजेन्सी से निक्षेप कार्य के रूप कराये जा सकते है।

(ख) रु० 2.50 करोड़ से अधिक लागत के भवन निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग, उ०प्र० राजकीय निर्माण निगम, कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज (जल निगम) तथा उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद द्वारा ही निक्षेप कार्य के रूप में सम्पादित कराये जायेगे।

2– किसी भी प्रशासनिक विभाग की विभागीय एजेन्सी अपने विभाग के कार्यो को किसी सीमा मक कर सकने क लिये सक्षम होगी।

3– वित्तीय नियम संग्री खण्ड–6 के पैरा 318 में यह स्पष्ट किया गया है कि किसी निर्माण कार्य को प्रारम्भ करने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी की तकनीकी स्वीकृति आवश्यक है जो इस बात की गारण्टी है कि प्रस्ताव संरचनात्मक दृष्टि से (Structural aspect) से ठोस (sound) है और आगणन सही तैयार किये गये है। तकनीकी स्वीकृति प्रदान करकने के अधिकार राज्य सरकार के अभियन्त्रण विभागों के अधिकारियों के अलावा उ०प्र० राजकीय निर्माण निगम, उ०प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम तथा कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, जल निगम को प्राप्त है। इनके अतिरिक्त डिपाजिट कार्य के रूप में राजकीय निर्माण कार्यो के लिये तकनीकी स्वीकृति हेतु आवास विकास परिषद् को भी अधिकृत किया जाता है।

4– राजकीय निर्माण एजेन्सियों के द्वारा कार्य किये जाने से पूर्व एक कार्य योजना बनायी जायेगी और उनके द्वारा राज्य सरकार के निर्देशानुसार समयबद्ध तरीके से कार्य निष्पादन सुनिश्चित किया जायेगा, जिससे कास्ट ओवर–रन/टाइम ओवर–रन न हो तथा निर्माण कार्य की अपेक्षित गुणवत्ता भी सुनिश्चित हो सके।

5– ऐसा निर्माण कार्य जिसमें रु० 1.00 करोड़ या उससे अधिक की धनराशि राजकीय अनुदान से वहन की जानी है, अनुदान प्राप्त करने वाली सम्बन्धित संस्था द्वारा राजकीय निर्माण इकाई से ही कराया जायेगा।

6– निर्माण कार्य से भिन्न कार्यो यथा साज–सज्जा तथा फर्नीचर एवं अन्य bought out आइटम्स पर निर्माण एजेन्सी को कोई सेन्टेज देय न होगा।

7– उपरोक्त आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू माने जायेगे।

8– उपर्युक्त विषय पर पूर्व शासनादेश संख्या–ई–8–215/दस–1998 दिनांक 09 मार्च 1998 तद्नुसार संशोधित समझा जायेगा।

भवदीय

(आर० रमणी)
मुख्य सचिव

l[;k b&8&303¼1½@nl&2006&rnfnukdA

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उ०प्र०।
2–मुख्य अभियन्ता एवं निदेशक,ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा,उ०प्र०।
3–प्रबन्ध निदेशक,जल निगम उ०प्र०।
4–प्रबन्ध निदेशकउत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लि०।
5–आयुक्त, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद्।
6–प्रबन्ध निदेशक, समाज कल्याण निर्माण निगम लि०।
7–निदेशक, कान्स्ट्रक्शन एवं डिजाइन सर्विसेज, जल निगम, लखनऊ।

आज्ञा से

(महेश कुमार गुप्ता)
सचिव

v/;k;&3& 3-2 d lyXud&2

l[;k&bå&8&215@nl@1998

प्रेषक,

श्री रवीन्द्र शंकर माथुर,

मुख्य सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष,

उत्तर प्रदेश शासन,

वित्त (व्यय–नियंत्रक) अनुभाग–8

लखनऊः 09 मार्च, 1998

fo"k;% 'kkldh; fuekZ.k dk;kZ dk lEiknuA
&

महोदय,

शासकीय निर्माण कार्यो के सम्पादन के सम्बन्ध में नीति सम्बन्धी शासनादेश संख्या–ई०–8–1035/दस–1997–648/1994, दिनांक 25 जून, 1997 जारी किया गया था और निर्माण एजेन्सी के चयन हेतु विशिष्ट व्यवस्था निर्धारित की गयी थी। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए इस प्रकरण पर पुनः पुनर्विचार किया गया और कार्यहित में उक्त शासनादेश में निम्नलिखित संशोधन करने का निर्णय लिया गया है :–

'kkldh; fuekZ.k dk;Z gsrq fuekZ.k ,tsUlh dk p;u

(क) रु० 125.00 लाख लागत तक के सभी भवन निर्माण कार्य (मानकीकृत भवन तथा गैर मानकीकृत भवन) किसी भी निर्माण एजेन्सी से विभागों द्वारा किये गये कार्य के रूप में की जा सकेगी।

(ख) रु० 125.00 लाख से अधिक एवं रु० 500.00 लाख लागत तक के मानकीकृत भवन कार्य किसी भी निर्माण एजेन्सी से निक्षेप कार्य के रूप में कराये जा सकते हैं।

(ग) रु० 125.00 लाख से अधिक लागत के गैर मानकीकृत भन निर्माण कार्य एवं रु० 500.00 लाख से अधिक लागत के समस्त भवन निर्माण कार्य उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम तथा लोक निर्माण विभाग द्वारा ही निक्षेप कार्य के रूप में सम्पादित कराये जाएगें।

2. निर्माण कार्यो की लागत का आशय स्वीकृत परियोजना के अन्तर्गत एक स्थान पर प्रस्तावित भवन निर्माण कार्यो की कुल लागत होगी जिसमें एक या एक से अधिक भवन इकाइयों का निर्माण सम्मिलित होगा।

3. रु० 125.00 लाख लागत तक सभी भवन निर्माण कार्यो के लिए एजेन्सी का चयन सम्बन्धित विभाग के जिला स्तरीय द्वारा किया जा सकेगा। परन्तु रु० 125.00 लाख से अधिक लागत के मानकीकृत भवनों के निर्माण के लिए एजेन्सी का चयन सम्बन्धित विभाग के प्रशासकीय विभाग (शासन स्तर पर) द्वारा किया जाएगा।

निर्माण कार्य की लागत एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु यह आवश्यक है कि :–

1. निर्माण कार्य के लिए निर्माण एजेन्सीयों द्वारा तैयार किये गये आगणन पूर्णतः निर्माण विभाग की दरों पर आधारित हों।

2. मानकीकृत भवनों की विशिष्टयों (स्पेसिफिकेशन) यहां रखे जाने चाहिए जो लोक निर्माण विभाग द्वारा मानकीकृत भवनों के लिए निर्धारित किये गये हों।

3. मानकीकृत भवनों के मानचित्र लोक निर्माण विभाग द्वारा तैयार किये गये मानचित्र के होंगे।

4. निक्षेप कार्य के रूप में किये जाने वाले कार्यो पर नियमानुसार सेन्टेज चार्जेज देय होगा।

(III).(IV).(V) एवं प्रस्तर–3 की यथासंशोधित व्यवस्थाएं नियमानुसार लागू रहेगी :

## 2(II) ykd fuekZ.k foHkkx ls dk;Z djkus dh ÁfØ;k esa la'kks/ku

वर्तमान में नियमों के अन्तर्गत यह व्यवस्था है कि लोक निर्माण विभाग द्वारा जो शासन के निर्माण कार्य कराये जाएंगे उसके लिए धनराशि की व्यवस्था लोक निर्माण विभाग के आय–व्ययक में ही होगी। साथ ही साथ इस प्रकार के कार्यो के लिए लोक निर्माण विभाग के अधिष्ठान व्यय की पूर्ति हेतु परिव्यय से 20.23 प्रतिशत की कटौती भी की जाती है। चूॅकि धनराशि विभागीय आय–व्ययक में व्यवस्थित नहीं होती, अतः विभागीय स्तर पर नियंत्रण के अभाव का आभास होता है और साथ–साथ चूॅकि अन्य सरकारी एजेन्सीयां 12.05 प्रतिशत सेन्टेज लेती हैं, अतः लोक निर्माण विभाग से कार्य

कराये जाने पर विभाग के परिव्यय से अधिक कटौती अधिष्ठान के रूप में हो जाती है। उपरोक्त बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि लोक निर्माण विभाग शासकीय कार्यो को भी "डिपाजिट कार्य" के रूप में कर सके। ऐसा करने से कार्यो की व्यवस्था विभागीय आय–व्ययक में होगी और अधिष्ठान व्यय के लिए अन्य एजेन्सीयों की भांति लोक निर्माण विभाग द्वारा कराये गये कार्यो के लिए भी 12.05 प्रतिशत की कटौती करेगी।

## (III) fuek.k ,tUlh d foLrkj ij jkd

शासकीय निर्माण कार्यो के लिए निर्माण इकाईयों की आवश्यकता एवं वर्तमान में तकनीकी जनशक्ति की उपलब्धता को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि सभी निर्माण एजेन्सीयों में नई नियुक्ति पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाया जाए। इस सम्बन्ध में आरक्षण की पूर्ति के लिए की जाने वाली कार्यवाही प्रभावित नहीं होगी।

## (IV) fuek.k ,tUlh;k dk vfxe /kujkf'k miyC/k djk;k tkuk

वर्तमान में प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार कार्य प्रारम्भ होते समय ही निर्माण एजेन्सीयों को लगभग पूरी धनराशि "एडवांस" के रूप में उपलब्ध करा दी जाती है, जबकि धनराशि की आवश्यकता एवं निश्चित फैजिंग के अनुसार ही होती है। परिणाम स्वरूप एक बड़ी मात्रा में शासकीय धनराशि एजेन्सीयों के बैंक खाते में पड़ी रहती है जिससे राजकोष पर निर्रथक भार पड़ता है। अतः यह निर्णय लिया गया कि निर्माण एजेन्सीयों को पूरी धनराशि अग्रिम के रूप में दिये जाने की व्यवस्था को पुनरीक्षित किया जाए और तद्नुसार वित्त विभाग द्वारा कार्यवाही करते हुए समस्त विभागों को अवगत कराया जाए।

## (V) fuek.k ,tUlh;k dk lVt nu dh 0;oLFkk dk iujh{k.k

निर्माण एजेन्सीयों की वास्तविक लागत का 12.05 प्रतिशत सेंटेज अनुमन्य होगा। (शासनादेश संख्या–ढ–2–87/दस–97–17(4)/75, दिनांक 27 फरवरी, 1997) वर्तमान व्यवस्था के अनुसार समय–समय पर बढ़ने वाली लागत पर न केवल आगणन का पुनरीक्षण किया जाता है अपितु उसके ऊपर सेंटेज शुल्क भी अतिरिक्त प्राप्त होता है। वर्तमान व्यवस्था में निर्माण एजेन्सीयों को कोई "इन्सेटिव" नहीं है कि व निर्धारित अवधि में एवं निर्धारित लागत में कार्य सम्पन्न करायें। इस व्यवस्था पर पुनरीक्षण किया जाए ताकि सेंटेज की धनराशि मूल लागत के आधार पर स्थिर कर दी जाए एवं विशिष्ट परिस्थितियों में भी यदि प्रशासनिक विभाग के कारण विलम्ब होता है तो "केस टाई केस" आधार पर आगणनों में अतिरिक्त वृद्धि परसेन्टेज शुल्क दिया जाए। इस सम्बन्ध में वित्त

विभाग द्वारा प्रक्रिया को पुनः निर्धारित कर विस्तृत निर्देश अलग से निर्गत किये जाएगें।

3. निर्माण कार्य हेतु एजेन्सीयों के चयन सम्बन्धी आदेश शासनादेश की तिथि से प्रभावी होंगे अर्थात् ऐसे मामले पुनरीक्षित नहीं किये जाएगें जहां निर्माण एजेन्सीयों का निर्धारण हो सकता है।

4. विभिन्न एजेन्सीयों द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यो का अनुश्रवण भी अत्यंत आवश्यक है। इस हेतु सम्बन्धित निर्माण एजेन्सी नोडल अधिकारी मनोनीत करेगी एवं विभागीय सचिव के स्तर पर कम से कम त्रैमासिक समीक्षा बैठक अवश्य आहूत की जाएगी। निर्माण एजेन्सी के प्रबन्ध निदेशक यह सुनिश्चित करेगें कि विभागीय सचिव स्तर पर आहुत समीक्षा बैठक में समस्त उर्पयुक्त बिन्दुओं पर पर्याप्त सूचना के साथ नोडल अधिकारी प्रतिनिधित्व करें।

5. निर्गत किये जा रहे संशोधन कर किसी भी निर्माण एजेन्सी की दक्षता अथवा कार्य करने की क्षमता से सम्बन्ध नही है।

6. उक्त आदेशों की कडाई से अनुपालन सभी सम्बन्धित विभाग करेंगे।

भवदीय,

¼johUnz 'kadj ekFkqj½
मुख्य सचिव।

एम०ओ०यू०

***NON JUDICIAL STAMP OF Rs. 100/-***

**MEMORANDUM OF UNDERSTANDING**

This MEMODRADUM OF UNDERSTANDING is made between ..... at Allahabad on ..... (here in after called) Construction Agency, which expression shall unless repugnant of the context thereof include its successor -in-office and assigns) of the one part and GOVERNOR OF UTTAR PRADESH Hereinafter called "the Government" (which expression shall repugnant of the context thereof include its assigns) of the other part.

WHEREAS on the proposal of the Government the Construction Agency has agreed to

.....

.....

.....

.....

.....

NOW THIS MEMORANDUM OF UNDERSTANDING executed between the parties here to witness as follows:-

1. It is understood that the ceiling cost of the Project Shall be decided as per the existing Plinth Area "Rate" of Lok Nirman Vibhag of the Government subject to its revision from the time to time (Hereinafter called the Plinth Area Rates").

   It is understood that Construction Agency shall start actual construction work only after the Uttar Pradesh Police Head Quarters Allahabad (herein after referred to "P.H.Q.") had (1) communicated in writing to (Construction Agency its Administrative and financial Sanction of the

Preliminary Detailed Estimates Based on the Plinth Area Rates:- (2) delivered clear possession of the Land Within Seven (7) days from the issue of 'Letter of intent' by the Government and transfer of advance being not less then 10% of the sanctioned Cost. The last one amongst the above 3 dates stall be termed as zero date and the Construction Agency shall start the Construction work within Seven days with effect from zero date

2. It is understood that the time of allotment of work. How of Funds shall be mutually decided in accordance with the expected/desired work.

3. The issue of 'Letter of Intent' to the Construction Agency will be deemed to be the allotment of work to Construction Agency.

4. It is understood that the Home Department of Government or P.H.Q. may get the construction works inspected from time to time in order to satisfy itself that the sewer is being laid by the Construction Agency as per drawing and satisfaction as provided in the sanctioned estimates. If any defects or variation are noticed during the inspection they will have to be rectified by the Construction Agency at its own cost on getting written notice to the effect Rectification will be affected within 30 days from the date of notice.

5. It is understood that the Construction Agency shall remain liable to all losses. Damages or compensation arising out of any accident or injury, sustained by any workman in the employment of the Construction Agency while in upon the said works or the same arising out of any act. Default or negligence, error in judgment on the part of Construction Agency, its employees or agents to the determination compensation or damages by the Competent Authority as defined in the relevant laws. Construction Agency shall indemnity the Government against any loss, damages caused to the Government arising out of any act, omission, negligence error of judgments of Construction Agency.

6. It is understood that any disputes or difference arising out of this memorandum of Understanding shall be settled in accordance with the provisions of Government order No. 2518(1)/6-iq-7-08/2007 date 18-

July-2007.

7. An order bond shall be kept at the site of work in which instructions and orders shall be recorded by the supervision officers authorized by P.H.Q. The Construction Agency or his authorized agents shall be required to signs the order book daily in acknowledgement of the instruction and shall comply with the orders and instruction given in that book.

8. The structural and other drawing for the work shall at all time be properly correlated before executing any work and will be subject to inspection by the officers by Government or P.H.Q.

9. The Construction Agency shall be fully responsible for safe custody of all Construction materials supplied by it to the Construction site in case of any loss to the measured quantity of material, the Construction Agency shall make the same good at own cost.

10. Any recovery order by the Technical Approval Committee or Government or P.H.Q. shall be recovered from the Construction Agency. Without prejudice to any other remedy provided by law, the Government may recover all dues from the Construction Agency as may occur.

11. In case of material, the tests will be conducted for minimum desirable frequencies prescribed under the relevant specification. The same shall be binding on the Construction Agency. The cost of such tests is supposed to be inclusive in the rate approved for the particular no separate payment will be make to the Construction Agency on the account. If the Government or P.H.Q. wants to get requisite test done through any other Agency the cost there of will be payable by the Construction Agency.

12 If any item of the work is not found to be in conformity with the prescribed specification, the same shall be rejected and got rectified at the risk, and expenses of the Construction Agency.

13. All the works shall be carried out as per Lok Nirman Vibhag's relevant specification, no addition or alteration shall be carried out without the written permission of the Government.

14. Quantities of works may be varied by the Government In the event of

variation in quantity of work the Construction Agency shall not be entitled for any compensation and the rates accepted shall be applicable for the varied quantity also.

15. During the progress of the work the Construction Agency shall keep site reasonable free from unnecessary dumping on material and shall store only the machinery/material required for Construction work on site.

16. Time allowed for carrying out work as fixed by government shall be strictly observed by the Construction Agency and shall be reckoned from the date on which the order to commence the work is given to Construction agency the work shall be completed through the stipulated period of the MEMORANDUM OF UNDERSTANDING, be proceeded with all due diligence, and the Construction Agency shall complete one-forth of the whole work within two month, one-half the work with four month full work within 11 Month from the zero date. In the event of Construction Agency failing to comply with this condition shall be liable to pay as compensation an amount equal to one percent.

17. It is understood that if the Construction Agency seeks extension of the time limit for completion of the work on reasonable grounds, the within request will be make to the Government through P.H.Q. and decision of the Government in this regard shall be final.

18. It is understood that on completion of the work Construction Agency shall inform the P.H.Q. who will give a completion certificate only after due inspection and after satisfying themselves that the work have been executed in accordance with the design and specifications approved by the Government. Construction Agency shall remove from the site all scaffolding, surplus material, rubbish and temporary work of every kind and clear off the dirt from wood work, doors, windows, walls, floors or other parts of any building in, upon or about which the work is to be executed. Or of which it may have possession for the purpose of the execution thereof, and has filled up the pits. If the Construction Agency shall fail to comply with the requirements of this clause as to removal of scaffolding surplus material and rubbish and cleaning off dirt and filling

of pits on or before the date fixed for completion of the work, the P.H.Q. may at the expenses of the Construction Agency get such scaffolding surplus material and the rubbish remove and disposed off as per orders of Government and clear off such dirt and fill the pits aforesaid and the Construction Agency shall forth-with pay for all expenses so incurred and shall have no claim in respect of any such scaffolding of surplus material as aforesaid except sum actually realized by the sale thereof the inspection by the officers authorized by P.H.Q. shall be binding and conclusive Provided that is subsequent to the such in inspection by authorized officer, the Government or P.H.Q. has reason to believe that the inspection so conducted are not correct, they shall have the power to the conduct and other inspection giving seven days notice to the Construction Agency and such re-inspections shall be binding on the construction Agency.

19. It is Understood that the Construction Agency shall execute the whole and every part of the work in the most cost effective manner conforming with exactly part of the work in the most cost effective manner conforming with exactly to the designs, drawings and instruction communicate by Government or P.H.Q. in writing.

20. If any alteration in, omission from addition to or substitution for the original specification, drawing, designs and instruction are deemed necessary during the progress of the work the Construction Agency shall effect them only after obtaining the orders of the Government in this regard. This will also be subjected to the following conditions-

(I) If the altered, addition or substituted work include any work for which no rates are specified in the sanction for the work or can not be derived for the similar class of work in the sanction then work shall be carried out at the rates entered in the Schedule of rate fixed by the Lok Nirman Vibhag of Government for the relevant District duly adjusted for admissible variation.

(II) If the rate for the altered, additional or substituted work can not be determined in the manner specified in sub-clause (i) above the rate of

such work shall be worded out on the basis of the Schedule of rate fixed by the Lok Nirman Vibhag of Government of District specified above the minus/plus the percentage which the total sanctioned amount bears, to estimated cost of the entire work put for approved project, Provided always that if the rate for a particular part of the item is not in the Schedule of rate fixed by the Lok Nirman Vibhag of Government the rates of the basis of the prevailing market rates when the work was done.

(III) if the Rate for altered additional of substituted work cannot be determined in, the manner specified in sub-clause (i) and (ii) the Government approval and sanction may be obtained. But under no circumstances, the Construction Agency shall suspend the work on the plea of non settlement of rates of items, failing under this clause.

21. It is understood that if any time alter commencement of the work the Government or the officer in charge shall for reason whatsoever not require the whole work as specified in sanction to be carried out, the officer in charge shall for reason whatsoever not require the officer in charge shall give in writing of the fact to the Government Agency who abide by the instruction in this regard and shall have no claim to any payment or compensation whatsoever on account of any profit or advantages, which Construction Agency might have been derived from the execution of the work in full, but could not be derived due to the full work not having been carried lout, nor shall they claim any compensation, drawings and designs, instruction. which may badly curtailment of the work as originally contemplated nor shall they have any claim to compensation for having purchased/procured full material with a view to executing total work as stipulated in the original sanction.

22. It is understood that if it shall appear to officer in charge or his subordinate in charge of the work, that any work has been executed with unsound, imperfect or unskilled workmanship or the execution of the work is of unsound or of a quality inferior to the specification or not in accordance with the sanction of the officer in charge, he shall issue a notice in writing to Construction Agency to take remedial steps, who

shall forthwith rectify or remove and reconstruct the work so specified in whole or in part as case may be, remove unnecessary materials or article at their own cost. And provide other proper and suitable materials or article at their own cost, and in the event or failure to do so with in a period to be specified by the officers in charge in his notice aforesaid the Construction Agency shall be liable to pay compensation at the rate of one percent over amount of the sanction for per month.



23. It is understood that Government may accept at reduced rate substandard or defective work after audit and technical examination of the works and after suitable reducing the sanctioned Financial Provision Budget for the project. If on inspection/audit it is found that full sanctioned work or any work claimed to have done by the Construction Agency as per sanction but not actually executed, the Constructed Agency shall be liable to refund the amount of the over payment and it shall be lawful for the Government to recover the dues on this count. If however it is found that the Construction Agency were paid less than what was due to them under the sanction in respect of any work, the differential amount due will be sanctioned by the Government.

24 Detail estimates of the building, detailed plan, elevation, sectional drawings, roof plan, plumbing details, electrical & drainage details etc will be prepared by Construction Agency and shall be submitted along with Memorandum of Understanding to P.H.Q.

25 Building plans which are not approved as yet will be got approved by P.H.Q, before start of the work.

26. It is understood that all works covered by this MOMORANDUM OF UNDERSTANDING in the course of execution or executed in pursuance of the sanction, shall at all items be open to the inspection and supervision of the officers authorized by the Government or P.H.Q. and the Construction Agency shall at all times during the usual. working hours, and at all other times, for which reasonable notice for program of inspection given, shall ensure presence of a competent officer to receive order and instructions, or will have a responsible agent duly accredited in

writing present for that purpose of receiving orders given to the Construction Agency and the orders so given to the agent will be considered to have the same force as if they had been given to the Construction Agency itself.

27. It is understood that the Construction Agency shall comply with all labour laws as applicable at the site of the work.

28. It is understood that no earth for filling or for any other purpose shall be excavated within the site of work except with the written permission of the officer-in-charge and only with the Construction Agency at then own expense in accordance with the instruction of the officer in charge and in such manner as to prevent the formation or pools of stagnant water.

29. It the Construction Agency fails to comply with the condition mentioned in clause-28 above the officer in charge may cause to be leveled and dressed by other workmen and deduct the expense from any sums which any be due, or may at any time thereafter become due to the Construction Agency, of sale thereafter obtaining the approval of competent authority in this regard.

30. Construction Agency will have to execute the laying of sewer within sanctioned amount by the Government on the basis of preliminary estimate. Any change/demand for the fund will not be considered.

31. Stamp duty shall be "borne by the Construction Agency".

32 Detailed milestones for the projects as agreed to by both the parties and indicated hereunder.

## MILESTONE

(i) Zero date will be the date of Financial Sanction or release of advance to the Construction Agency and handing over of on the possession of the land for project or issue of Letter of intent which ever is later.

(ii) The Construction Agency will start the work within one week from the zero date.

(iii) The Construction Agency will complete 25 percent of the work with in First Quarter of eleven month from the zero date.

(iv). The Construction Agency will complete 50 percent of the work within second quarter eleven months from the zero date.

(v) The Construction Agency will complete whole work within eleven months from the zero date.

33. This MEMORANDUM OF UNDERSTANDING is valid for a period till completion of work in witness whereof the parties here to have set their hands though their authorized representative on this deed and affixed their seals on date, month and year above written.

| | |
|---|---|
| **For and on behalf of Government of Uttar Pradesh** | **For and on behalf of Construction Agency** |
| **Add. Director General of Police P.H.Q. Allahabad** | **Name of Agency** |
| **In the presence of witness** | **In the presence of witness** |
| **1.** | **1.** |
| **2.** | **2.** |

v/;k;&3& 3&10 d lyXud&17

# mRrj Án'k ifyl e[;ky;] bykgkckn&1

संख्याःग्यारह–1061–2006, दिनांकःमार्च 06, 2007

सेवा में,

lelLr foHkkxk/;{k@dk;ky;k/;{k]

ifyl foHkkx] mRrj Án'k

विषयः– जनपद /इकाईयों में शतप्रतिशत पूर्ण हो चुके निर्माण कार्यो को हस्तगत किये जाने हेतु नीति निर्धारण।

निमार्ण कार्यो की समीक्षा बैठको के दौरान निर्माण इकाईयों के प्रतिनिधियों द्वारा यह बात उठायी गयी है कि जनपदों/इकाईयों में पूर्ण हो चुके निर्माण कार्यो में इन्वेन्ट्री प्रेषित करने के बावजूद जनपद/इकाई द्वारा उनके हस्तान्तरण की कार्यवाही समय से नहीं की जाती है और निर्माण कार्यो में कमियां बताते हुये व्यवधान उत्पन्न किये जाते है।

2– इस सम्बन्ध में निर्माण इाकईयों के महाप्रबन्धकों के साथ पूर्व में बैठक आहूत करके निर्माण इकाई द्वारा शतप्रतिशत पूर्ण किये गये आवासीय/अनावासीय भवन निर्माण कार्यो को पुलिस विभाग को हस्तानान्तरित करने के सम्बन्ध में वर्ष 1999 में एक नीति का निर्धारण किया गया था, जिसके प्रमुख बिन्दु निम्न्वत् हैः–

| | |
|---|---|
| (1) | जनपद/इकाई के प्रभारी को निर्माण इकाई से इन्वेन्ट्री प्राप्त होने पर उस पर तुरन्त कार्यवाही करते हुये पूर्ण भवनों को एक माह के अन्दर हस्तान्तरण (देने एवं प्राप्त करने) की प्रक्रिया पूर्ण की जानी चाहिए। |
| (2) | पूर्ण भवनों के हस्तान्तरण के समय कार्य का विस्तृत आगणन एवं समस्त ड्राइंग कार्यस्थल पर उपलब्ध होने चाहिए। |
| (3) | जनपद/इकाई के प्रभारी अधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जायेगा, जिसमें पुलिस उपाधीक्षक, भवन, परिक्षेत्रीय अवर अभियन्ता एवं निर्माण इकाई के अधिशासी अभियन्ता/सक्षम स्तर के अधिकारी सदस्य रहेगें। इस समिति द्वारा इन्वेन्ट्री के अनुसार भवन को हस्तगत/प्राप्त करने की कार्यवाही को पूर्व निर्धारित तिथि को अन्तिम रूप दिया जायेगा और जनपद/इकाई के प्रभारी अधिकारी से उसका अनुमोदन प्राप्त करके भवन को हस्तगत/प्राप्त करने की कार्यवाही सम्पादित की जायेगी। इसके पश्चात् जनपद/इकाई के प्रभारी अधिकारी भवन हस्तान्तरण की कार्यवाही आदि की |

| | |
|---|---|
| | सूचना तत्काल पुलिस मुख्यालय को देगें। |
| (4) | यदि किनही गम्भीर प्रकृति की कमियों (जिससे जान माल का खतरा हो) के कारण भवन को हस्तगत एवं प्राप्त करने की कार्यवाही पूर्ण नहीं हो पाती है, तो उससे तुरन्त पुलिस मुख्यालय को अवगत कराया जाय। यदि कमियाँ साधारण किस्म की है तो यह कार्यवाही इन्चेन्ट्री पर उन साधारण कमियों को अंकित करते हुये कन्डीशनल रूप से पूर्ण की जाय। |
| (5) | पूर्ण भवनों में जहाँ पानी/बिजली या वाह्य विकास आदि की व्यवस्था नहीं है, उसके प्रस्ताव प्राथमिकता के आधार पर जनपद/इकाई के प्रभारी अधिकारी द्वारा तुरन्त पुलिस मुख्यालय भेजे जायें। |

3& अनुरोध है कि कृपया भवनों के हस्तान्तरण के सम्बन्ध में उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

ह०/–

¼ eydh;r flag½

अपर पुलिस महानिदेशक भ०/क०,

उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पुलिस आवास निगम लि० लखनऊ।

2– प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राजकीय निर्माण निगम लि० लखनऊ।

3– प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम लि० लखनऊ।

4– प्रबन्ध निदेशक,प्रोसेसिंग एण्ड कोल्ड स्टोरेज फेडरेशन लि०, पैक्सफेड, लखनऊ।

5– निदेशक,कन्सट्रक्शन एवं डिजाइन सर्विसेज, उ०प्र० जल निगम लखनऊ।

6– महाप्रबन्धक, ए०प्र० प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि० लखनऊ।

7– प्रबन्ध निदेशक, नेशनल प्रोजेक्ट कान्सट्रक्शन कारपोरेशन लि० फरीदाबाद, हरियाणा।

## mRrj Án'k ifyl e[;ky;] bykgkckn&1

संख्याःग्यारह–1061–2006, दिनांकःफरवरी 11, 2008

सेवा में,

lelLr foHkkxk/;{k@dk;kZy;k/;{k]
ifyl foHkkx] mRrj Án'k

विषयः– जनपद /इकाईयों में शतप्रतिशत पूर्ण हो चुके निर्माण कार्यो को हस्तगत किये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अपर पुलिस महानिदेशक/प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पुलिस आवास निगम,लखनऊ के पत्र दिनांक 25.01.2008 द्वारा अवगत कराया गया है कि विभाग के लिये आवासीय एवं अनावसीय भवनों के निर्माण कार्य पूर्ण कराने के उपरान्त भवनों को हस्तान्तरित करने की समीक्षा करने पर पाया गया कि बहुत से कार्यो पर पुलिस अधीक्षक/सेनानाायक इन्चेन्ट्री प्राप्त होने के उपरान्त परिक्षेत्रीय अवर अभियन्ता के हस्तक्षेप से अकारण भवनों के हस्तान्तरण में अत्यधिक समय लग रहा है, जिस कारण भवन का निर्माण पूर्ण होने के उपरान्त भी उसका प्रयोग विभाग द्वारा नहीं हो पाता है। जैसे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,शाहजहाँपुर का कार्यालय तथा जनपद कानपुर देहात में थाना मंगलपुर, रसूलाबाद व रूरा के भवनों (जिनका प्रयोग विभाग द्वारा गत वर्ष से किया जा रहा है) के हस्ताान्तरण की औपचारिकता अभी तक पूर्ण नहीं की गयी है। कुछ ऐसे भी पूर्ण भवन है, जिनके अस्वीकृत मदों की शासन से मांग के आधार पर भी हस्तान्तरण में विलम्ब किया जाता है। जैसे– 10वीं वाहिनी पीएसी बाराबंकी के निर्मित आवासों को वाहिनी में अलग से विद्युत ट्रान्सफार्मर न होने के आधार पर भवनों में विद्युत आपूर्ति की समस्या के कारण अधिग्रहण नहीं किया जा रहा है।

2– पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि कदाचित पुलिस अधीक्षक/सेनानायकों के मन में यह भ्रान्ति हो सकती है कि इन्चेन्ट्री पर हस्ताक्षर करने के उपरान्त भवनों की गुणवत्ता इत्यादि की जिम्मेदारी उन पर हो जायेगी। वास्तव में इन्चेन्ट्री में केवल ऐसे सामानों की सूची होती है, जिनकी मात्र गिनती करके चार्ज लिया जाना होता है, जिसे बाद में भवनों से हटाया जा सकता है। जैसे–ट्यूब लाइट फिटिंग, पंखे, सेनेटरी फिटिंग एवं पानी की टंकी इत्यादि।

*Hkou dk vf/kxg.k djus ds mijkUr Hkh fuekZ.k dh leLr ftEesnkjh fuxe dh gh gksrh gS o fdlh =qfV dk N% ekg ds vUnj lafpr fd;s tkus ij mlds fujkdj.k ds fy;s fuxe lnso ÁLrqr jgsxkA ;fn vki pkgsa rks] tks dfe;ka vkidks ifjyf{kr gks jgh gSa] mudk fooj.k Hkh vki gLrkUrfjr djus okys ukWe es vafdr dj ldrs gSaA*

3& ज्ञातव्य है कि इस सम्बन्ध में पुलिस मुख्यालय के परिपत्र संख्याःग्यारह–1061–2006, दिनांक 06.03.2007 द्वारा निर्देश पूर्ववत् निर्गत किये गये है। अतएव अनुरोध है कि कृपया उक्त परिप्रेक्ष्य में पूर्ण हो चुके भवनों के हस्तान्तरण की कार्यवाही तदनुसार सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

¼ ,lå ihå JhokLro ½

अपर पुलिस महानिदेशक मुख्यालय,

उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– अपर पुलिस महानिदेशक/प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पुलिस आवास निगम लि० लखनऊ।

2– प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राजकीय निर्माण निगम लि० लखनऊ।

3– प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम लि० लखनऊ।

4– प्रबन्ध निदेशक,प्रोसेसिंग एण्ड कोल्ड स्टोरेज फेडरेशन लि०, पैक्सफेड, लखनऊ।

5– निदेशक,कन्सट्रक्शन एवं डिजाइन सर्विसेज, उ०प्र० जल निगम लखनऊ।

6– महाप्रबन्धक, उ०प्र० प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि० लखनऊ।

7– प्रबन्ध निदेशक, नेशनल प्रोजेक्ट कान्सट्रक्शन कारपोरेशन लि० फरीदाबाद, हरियाणा

## mRrj Án'k ifyl e[;ky;] bykgkckn&A

संख्याःग्यारह–1061–2006, दिनांकःनवम्बर 02, 2010

सेवा में,

leLr foHkkxk/;{k@dk;ky;k/;{k]
ifyl foHkkx] mRrj Án'kA

विषयः– जनपद/इकाइयों में शत–प्रतिशत पूर्ण हो चुके निर्माण कार्यों को हस्तगत किये जाने हेतु नीति निर्धारण के सम्बन्ध में।

कृपया पुलिस मुख्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 06.03.2007 (सुलभ संदर्भ हेतु छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा पुलिस विभाग के पूर्ण हो चुके कार्यों को हस्तान्तरित किये जाने हेतु निर्देश निर्गत किये गये हैं।

2– प्रश्नगत विषय में निर्माण इकाइयों द्वारा पुलिस मुख्यालय के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि जनपदों/इकाइयों के अधिक संख्या में निर्माण कार्य पूर्ण करके उनकी इन्वेन्ट्री पुलिस विभाग को हस्तान्तरण हेतु प्रेषित की जा चुकी है, किन्तु भवन अभी तक हस्तगत नहीं हो सके हैं। इसका मुख्य कारण यह बताया गया है कि परिक्षेत्रीय अभियन्ताओं की व्यस्तता अन्य कार्यों में होने के कारण वे बृहद् निर्माण कार्यों के हस्तान्तरण हेतु समय नहीं दे पा रहे हैं, जिससे अनेकानेक कार्य बिना हस्तान्तरण के पड़े हैं।

3– उक्त परिप्रेक्ष्य में यह स्पष्ट किया जाता है कि *tuin@bdkb Lrj ij Hkouk d gLrkUrj.k gr xfBr dh tku okyh lfefr e ifj{k=h; lgk;d@voj vfHk;Urk dh O;Lrrk vFkok miyC/k u gku dh n'kk e vioknLo:i mud LFkku ij LFkkuh; lkotfud fuek.k foHkkx d lgk;d@voj vfHk;Urk dk ukfer djr g; gLrkUrj.k dh dk;okgh dh tk ldrh gA* यह भी स्पष्ट किया जाता है कि हस्तान्तरण के समय जो कमियाँ पायी जायें, उनका उल्लेख हस्तान्तरण नोट में स्पष्ट रूप से कर दिया जाय। यह आवश्यक नहीं है कि समिति के अन्य सदस्य सहायक/अवर अभियन्ता द्वारा दिये गये अभिमत से सहमत होने के लिए बाध्य हों। इस सम्बन्ध में वे परिलक्षित कमियों आदि के बारे में

अपनी स्पष्ट राय भी हस्तान्तरण नोट में अंकित करने के लिए स्वतन्त्र होंगे।

4— इस तरह की हस्तान्तरण की कार्यवाही से परिक्षेत्रीय सहायक/अवर अभियन्ताओं द्वारा परिक्षेत्र में प्रचलित बृहद निर्माण कार्यों के पर्यवेक्षण में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अपितु यह कार्य वे पूर्व की भांति करते रहेंगे।

lyXud%;FkkifjA

ह०/—

¼ fnyhi f=osnh ½

अपर पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय,

उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— अध्यक्ष सह प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पुलिस आवास निगम लि०, गोमती नगर लखनऊ।

2— प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राजकीय निर्माण निगम, विश्वेषवरैया भवन, गोमतीनगर, लखनऊ।

3— प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम लि०, गोमती नगर लखनऊ

4— प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लि० (पैकफेड), 19—ए, विधान सभा मार्ग, लखनऊ।

5— प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि० गोमती बैराज, वायाँ तट, गोमती नगर, लखनऊ।

6— निदेशक, कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उ०प्र० जल निगम, गोमतीनगर, लखनऊ

7— निदेशक, ग्लोबल कन्सट्रक्शन एण्ड कन्सलटेन्सी सेल, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, इन्दिरा नगर,लखनऊ।

mRrj Án'k ifyl e[;ky;] bykgkckn&1

संख्याः ग्यारह–907–2010, दिनांकःसितम्बर 07, 2010

सेवा में,

leLr ifyl egkfujh{kd@
ifyl miegkfujh{kd] ifj{k=]
mRrj Án'kA

विषयः आधुनिकीकरण व अन्य योजनाओं एवं सामान्य बजट के अन्तर्गत स्वीकृत भवन निर्माण कार्यो की मासिक प्रगति आख्या भेजे जाने के सम्बन्ध में।

यह देखने में आ रहा है कि जनपदों से आधुनिकीकरण व अन्य योजनाओं एवं सामान्य बजट के अन्तर्गत स्वीकृत वृहद निर्माण कार्यो की मासिक प्रगति आख्यायें पुलिस मुख्यालय को समय से उपलब्ध नहीं करायी जा रही हैं। जो आख्यायें प्राप्त हो रही हैं, उनकी सूचनायें मौके के भौतिक निरीक्षण के बाद सही–सही नहीं भेजे जाती हैं। किसी–किसी जनपद से तो मासिक आख्या प्राप्त ही नहीं होती है। फलस्वरूप पुलिस मुख्यालय स्तर पर निर्माण इकाइयों के प्रतिनिधियों के साथ आहूत मासिक समीक्षा बैठकों में निर्माणाधीन कार्यो की सही स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाती है।

2. इस सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत सभी प्रारूपों को निरस्त करते हुए मासिक प्रगति आख्या भेजने हेतु नया प्रारूप निर्धारित किया गया है, जो संलग्न है। आपके अधीनस्थ जनपदों में अब तक स्वीकृत एवं प्रचलित वृहद निर्माण कार्यो का विवरण इस प्रारूप में अंकित कर दिया गया है। भविष्य में जब कोई नया कार्य स्वीकृत हो तो उसे प्रगति आख्या में बढ़ा लिया जाय।

3. अतएव अनुरोध है कि कृपया अपने परिक्षेत्र के जनपदों में समस्त निर्माणाधीन कार्यो की माह अगस्त, 2010 का मासिक प्रगति आख्या (दिनांक 31.08.2010 की स्थिति के अनुसार) संलग्न प्रारूप में दिनांक 15.09.2010 तक प्रत्येक दशा में पुलिस मुख्यालय को भिजवाने का कष्ट करें। इसके उपरान्त उक्त मासिक आख्या प्रत्येक माह की 10 तारीख तक पुलिस मुख्यालय को फैक्स अथवा विशेष वाहक के माध्यम से अवश्य

भिजवाना सुनिश्चित करें।

संलग्नकः यथोपरि।

gå@&

¼ chå , lå fl )। ½

अपर पुलिस महानिदेशक, भवन/कल्याण,

उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि समस्त पुलिस उप महानिरीक्षक/वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, प्रभारी जनपद, उत्तर प्रदेश को संलग्नक सहित उपरोक्तानुसार समयबद्ध अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु।

# mRrj Án'k ifyl e[;ky;] bykgkckn&1

संख्याः ग्यारह–907–2010, दिनांकःसितम्बर 07, 2010

सेवा में,

1– पुलिस महानिदेशक,
पी०ए०सी०/प्रशिक्षण/तकनीकी सेवायें, उ० प्र०, लखनऊ।

2– अपर पुलिस महानिदेशक,
अभिसूचना/सुरक्षा/फायर सर्विस/दूरसंचार/ सी०आई०डी०/ भ्रष्टाचार निवारण संगठन/आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन, उ० प्र०, लखनऊ।

3– पुलिस महानिरीक्षक, एस०टी०एफ०/ए०टी०एस०, उ० प्र०, लखनऊ।

विषयः आधुनिकीकरण व अन्य योजनाओं एवं सामान्य बजट के अन्तर्गत स्वीकृत भवन निर्माण कार्यो की मासिक प्रगति आख्या भेजे जाने के सम्बन्ध में।

यह देखने में आ रहा है कि आपकी अधीनस्थ इकाइयों में आधुनिकीकरण व अन्य योजनाओं एवं सामान्य बजट के अन्तर्गत स्वीकृत वृहद निर्माण कार्यो की मासिक प्रगति आख्यायें पुलिस मुख्यालय को समय से उपलब्ध नहीं करायी जा रही हैं। जो आख्यायें प्राप्त हो रही हैं, उनकी सूचनायें मौके के भौतिक निरीक्षण के बाद सही–सही नहीं भेजे जाती हैं। किसी–किसी इकाई से तो मासिक आख्या प्राप्त ही नहीं होती है। फलस्वरूप पुलिस मुख्यालय स्तर पर निर्माण इकाइयों के प्रतिनिधियों के साथ आहूत मासिक समीक्षा बैठकों में निर्माणाधीन कार्यो की सही स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाती है।

2. इस सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत सभी प्रारूपों को निरस्त करते हुए मासिक प्रगति आख्या भेजने हेतु नया प्रारूप निर्धारित किया गया है, जो संलग्न है। आपकी अधीनस्थ इकाइयों में अब तक स्वीकृत एवं प्रचलित वृहद निर्माण कार्यो का विवरण इस प्रारूप में अंकित कर दिया गया है। भविष्य में जब कोई नया कार्य स्वीकृत हो तो उसे प्रगति आख्या में बढा़ लिया जाय।

3. अतएव अनुरोध है कि कृपया अपनी इकाइयों के समस्त निर्माणाधीन कार्यो की माह अगस्त, 2010 का मासिक संकलित आख्या (दिनांक 31.08.2010 की स्थिति के अनुसार) संलग्न प्रारूप में दिनांक 15.09.2010 तक प्रत्येक दशा में पुलिस मुख्यालय को भिजवाने का कष्ट करें। इसके उपरान्त उक्त मासिक आख्या प्रत्येक माह की 10 तारीख

तक पुलिस मुख्यालय को फैक्स अथवा विशेष वाहक के माध्यम से अवश्य भिजवाने की व्यवस्था करें।

संलग्नकः यथोपरि।

gå@&

¼ chå , lå fl )। ½

अपर पुलिस महानिदेशक, भवन/कल्याण,

उत्तर प्रदेश।

## okf"kd :i l Hkouk d j[k&j[kko gr l>kokRed ekg@i{k okj dk; ;kt uk %

| | माह का नाम | अवधि | रखरखाव हेतु आवश्यक कार्य |
|---|---|---|---|
| 1 | मार्च | 01 मार्च से 15 मार्च<br><br>16 मार्च से 31 मार्च | • चालू वित्तीय वर्ष के रख–रखाव, विशेष मरम्मत व छुद्र/लघु निर्माण के कार्यों को पूर्ण कराना तथा उनके बीजकों का भुगतान।<br>• निर्दिष्ट अनुदान के अन्तर्गत आगामी वित्तीय वर्ष के सामान्य रख–रखाव एवं विशेष मरम्मत के कार्यों की प्राथमिकता का निर्धारण व योजना का गठन करके सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करना। |
| 2 | अप्रैल | 01 अप्रैल से 15 अप्रैल<br><br>16 अप्रैल से 30 अप्रैल | • निर्दिष्ट अनुदान के अन्तर्गत आगामी वित्तीय वर्ष के सामान्य रख–रखाव एवं विशेष मरम्मत के कार्यों की प्राथमिकता का निर्धारण व योजना का गठन करके सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करना।<br>• वित्तीय वर्ष के लिये अनुरक्षण के कार्यों के लिये आगणन गठित करना।<br>• सामान्य मरम्मत एवं विशेष मरम्मत के लिये आवश्यक रख–रखाव के कार्यों का सम्पादन तथा रंगाई–पुताई से सम्बन्धित कार्य (बाह्य दीवारों हेतु अक्टूबर – नवम्बर में कार्य कराना उचित होगा)। |
| 3 | मई | 01 मई से 15 मई | प्रतिरक्षात्मक रखरखाव के लिये आवश्यक कार्यों का सम्पादन तथा तद्नुसार सम्भावित कार्यों का सत्यापन एवं निरीक्षण जैसे–<br>1– छत पर पड़ी दरारों की मरम्मत |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | 2– वर्टिकल ड्रेन पाइप में कोई बाह्य वस्तु फंसी/भरी पड़ी न रह जायें इनके क्लैम्प ढीले न हों। इनके जोड़ों से कोई लीकेज हुआ हो तो उसे ठीक करायें। सीवर पाइप व जनापूर्ति पाइप भी उपरोक्तानुसार लीक प्रूफ हों तथा प्रवाह निर्बाध हो। |
| 4 | | 16 मई से 31 मई | तदैव |
| 5 | जून | 01 जून से 15 जून | तदैव |
| 6 | | 16 जून से 30 जून | • मानसून की वर्षा के कारण उत्पन्न समस्यायें एवं उनकी गम्भीरता के क्रम में आवश्यक व्यवस्था सुधार, अवरुद्ध नालियों को यथाशीघ्र सही स्थिति में लाना। आवासीय परिसर के बाह्य क्षेत्र में जल–जमाव की यथाशीघ्र निकासी। |
| 7 | जुलाई | 01 जुलाई से 15 जुलाई | तदैव |
| 8 | | 16 जुलाई से 31 जुलाई | तदैव |
| 9 | अगस्त | 01 अगस्त से 15 अगस्त | तदैव |
| 10 | | 16 अगस्त से 31 अगस्त | तदैव |
| 11 | सितम्बर | 01 सितम्बर से 15 सितम्बर | तदैव |
| 12 | | 16 सितम्बर से 30 सितम्बर | • वर्षा काल की समाप्ति के बाद उत्पन्न सेवाओं में अवरोध व क्षतियों का आकलन तथा अति–आवश्यक कार्यो से प्रारम्भ कर भवनों हेतु आवश्यक सुविधा बरकरार कराना। इसके साथ आँधी तूफान अतिवृष्टि से उत्पन्न दीर्घ क्षतियों को सही हालत में यथाशीघ्र लाने हेतु सामान्य व विशेष मरम्मत मद व तत्सम्बन्धी बचत का उपयोग करने हेतु स्वीकृति व काग्र सम्पादन योजना का गठन– |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 13 | अक्टूबर | 01 अक्टूबर से 15 अक्टूबर | • वर्षा ऋतु के पश्चात आवश्यक सामान्य रखरखाव के साथ–2 सफेदी/कलर वाशिंग, डिस्टेम्परिंग पेण्टिंग के कार्यो का कराया जाना। |
| 14 | | 16 अक्टूबर से 31 अक्टूबर | • तदैव के साथ शीतकालीन वर्षा के लिये अप्रैल मई में प्रारम्भ प्रतिरक्षात्मक कार्यो को पुनः कराया जाना। |
| 15 | नवम्बर | 01 नवम्बर से 15 नवम्बर | |
| 16 | | 16 नवम्बर से 30 नवम्बर | |
| 17 | दिसम्बर | 01 दिसम्बर से 15 दिसम्बर | • जुलाई–अगस्त में प्रस्तावित कार्यो के साथ–2 सामान्य/विशेष मरम्मत के कार्यो का सम्पादन– |
| 18 | | 16 दिसम्बर से 31 दिसम्बर | तदैव |
| 19 | जनवरी | 01 जनवरी से 15 जनवरी | तदैव |
| 20 | | 16 जनवरी से 31 जनवरी | तदैव |
| 21 | फरवरी | 01 फरवरी से 14 फरवरी | तदैव |
| 22 | | 15 फरवरी से 28/29 फरवरी | तदैव |

नोट– थाना परिसर में थाना प्रभारी तथा जनपद की पुलिस लाईन परिसर में प्रतिसार निरीक्षक प्रति सप्ताह अपने अधीन आवासीय/अनावासीय भवनों का निरीक्षण एवं तद्नुसार रिर्पोट का संकलन पंजिका में आवश्यक अंकन करेंगे।

उपरोक्त के साथ–2 दैनिक अनुरक्षण के प्रस्तावित कार्य का सम्पादन मौसम की अनुमन्यता के अनुसार सुनिश्चित किया जायेगा।

## fo'k"k ejEer dk dk;Z

भवनों की बढ़ती उम्र के साथ उनके विभिन्न भागों एवं उसमें पूर्व प्रदत्त सेवाओं में क्षति का अंश सामान्य मरम्मत की सीमा से अधिक हो जाता है। इस मरम्मत से भवन का उपयोगी जीवन काल बढ़ाया जाता है।

इस कारण विस्तृत मरम्मत एवं विभिन्न संरचनाओं को बदलना आवश्यक हो जाता है जिससे भवन की उपयोगिता निर्माण के समय उपलब्ध सुविधा के समकक्ष को जाय तथा उत्तोतर अन्य भवनांश क्षति ग्रस्त होने से बचाया जा सके।

(1) भवनों की छतों को वाटर प्रूफिंग ट्रीटमेंण्ट कराने का कार्य। पूर्व में प्रदान की गयी वाटर प्रूफिंग सुविधा की संतोषजनक सेवा अवधि 10 वर्ष है।

(2) भवन के अन्दर फर्श, स्कर्टिग, डैडो एवं प्लास्टर की मरम्मत।

(3) भवन के विभिन्न अंशो पर पुराने पेण्ट को हटाकर उनके स्थान पर नई पेटिंग का कार्य।

(4) आवासीय/अनावासीय भवन परिसर में आन्तरिक सम्पर्क मार्ग एवं मुख्य मार्गो की मरम्मत का कार्य।

(5) पुराने जीर्ण–शीर्ण हो गये दरवाजें, खिड़कियों के फ्रेम व शटर्स को बदलना।

(6) पुरानी एवं अत्यन्त जीर्ण7शीर्ण स्थिति के पेयजल वितरण प्रणाली तथा स्वास्थ्य सम्बन्धित संरचनाओं जैसे जलाशय, डब्लू० सी० सिस्टम, वाशवेशिन किचन सिंक, पाइप को बदलकर नया करना।

(7) भवनों के क्षतिग्रस्त अंशो छत/दीवार आदि के स्थान पर नये कार्य करना तथा तदोपरान्त सफेदी, रंगाई–पुताई डिस्टेम्परिंग आदि कार्य।

(8) भवनों के अन्दर प्रदत्त क्षतिग्रस्त विद्युत वायरिंग को ठीक करना।

(9) भवनों के लिये पूर्व प्रदत्त अर्थिंग के नवीनीकरण।

(10) अन्य विविध आवश्यक कार्य जैसे फर्श आदि के दोषपूर्ण ढाल का सुधार।

vukoklh; Hkou ¼xLV gkml½ ekfld fujh{k.k gsrq vko';d dk;Z%

1– सब स्टेशन के उपकरणों का निरीक्षण।

2– जनरेटर सेट का निरीक्षण।

3– सर्विस कनेक्शन का निरीक्षण।

4– ए०सी० प्लान्ट्स का निरीक्षण।

5– लिफ्टस का निरीक्षण।

6– वाटर सप्लाई पम्पस् का निरीक्षण।

7– फिल्टर प्लान्ट्स का निरीक्षण।

8– वेट राइजर का निरीक्षण।

9– फायर अलार्म का निरीक्षण।

10– पब्लिक ऐड्रेश सिस्टम का निरीक्षण।

11– सी०सी०टी०वी० नेटवर्क का निरीक्षण।

12– केवल टी०वी० कनेक्शन का निरीक्षण।

13– लॉन्ड्री का निरीक्षण।

14– किचन का निरीक्षण।

15– विभिन्न अन्य उपकरणों का निरीक्षण।

16– इन्सिनरेटर का निरीक्षण।

# Hkfe Hkou dk vfHkys[k

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–5 भाग–1 के प्रस्तर 265 द्वारा विभागीय इमारतों के सन्दर्भ में निम्नलिखित अभिलेख रखे जायें तथा स्थानीय अधिकारी अद्यतन रूप में उन्हें रखने के लिये दायित्वाधीन हो:–

(ए) xj vkoklh; rFkk fdjk;k eDr bekjr jktLo ys[kk rFkk iwth ij 0;Rikfnr ugh gkxh&

(अ) भूमि योजना को सम्मिलित करते हुये अभिलेख योजना।

(ब) प्रारूप सं० 26 में भूमि का रजिस्टर।

(स) प्रारूप सं० 28 में इमारत का रजिस्टर।

(बी) vkoklh; bekjr jktLo ys[kk rFkk iwth ij 0;RiUu gkxh&

(अ) भूमि योजना को सम्मिलित करते हुये अभिलेख योजना।

(ब) प्रारूप सं० 26 में भूमि का रजिस्टर

(स) प्रारूप सं० 28 में इमारत का रजिस्टर

(द) मंजूरी किराया कथन (Statement)

(य) प्रारूप संख्या 27 में पूँजी तथा राजस्व लेखा

(सी) vkoklh; bekjr tk fd iwth rFkk jktLo ys[kk ij 0;RiUu u gk fdUrq tk fdjk;s ;kX; gk&

(अ) भूमि योजना को सम्मिलित करते हुये अभिलेख योजना।

(ब) प्रारूप सं० 26 में भूमि का रजिस्टर।

(स) प्रारूप सं० 28 में इमारत का रजिस्टर।

(द) किराया मंजूरी कथन (Statement)

टिप्पणी– शुल्क मुक्त आवासों के सम्बन्ध में भी– किराया कथन तैयार होना चाहिए जहाँ इमारत पर म्युनसिपल कर अभिनिर्धारित हो तथा इस वाल्यूम के परिशिष्ट 10 के नियम 30 (सी) की टिप्पणी 2–3 में विहित प्रक्रिया के तदनुसार किरायेदार से किराया वसूला जाय।

(ब) सफाई स्थापन, जल आपूर्ति तथा विद्युत स्थापन से सम्बन्धित सूचना स्वयं परामर्श के साथ इमारत के रजिस्टर में निविष्ट की जायेगी मंजूर किराया कथन, पूँजी तथा राज्स्व लेखा भी निविष्ट किये जायें।

fVIi.kh– जहाँ पर अभिलेख की योजना ऐसे इमारतों के लिये जो कि विभाग के कब्जे में हैं अस्तित्वाधीन न हो तब (लाइन प्लान) सेवा योजन प्रत्युद्धरित की जाये तथा इमारत के रिमार्क स्तंभ के रजिस्टर में अभिलिखित किया जाय।

## Ák:i l[;k&26

( अध्याय xiii पैरा 265)

भूमि का रजिस्टर

| प्रयोजन जो अपेक्षित है तथा प्राधिकार जिसके अधीन वह ली गयी है। | | | विनियोग तथा भुगतान किये गये प्रतिभार का वर्णन | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (अ) मन्जूर मदों की संख्या | | | | (अ) माह जिसमें समायोजन हुआ | | | |
| (ब) मन्जूरी प्राधिकारी की तिथि तथा संख्या लाल स्याही में दी जाय | | | | ब) भूमि के कब्जे के लिये कलेक्ट के पत्र में संख्या तथा तिथि | अधिनिर्णय कथन की संख्या तथा तिथि | रजिस्टर के प्लान में दर्शित प्लान की संख्य | कार्यालय में पेश की गयी अनुप्रमाणित प्रति के प्लान संख्या..... के साथ निविष्टि तथा प्रारम्भिकी की तिथि |
| (स) सड़क या इमारत या अन्य अपेक्षित कार्य का नाम(काली स्याही में) | गजट की तिथि तथा अधिसूचना की संख्या | हक्टेयर में क्षेत्र | वास्तविक नकद भुगतान प्रतिकर की | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

# Ák:i I[;k&27

( अध्याय xiii पैरा 265 )

वर्ष..... की सहायक सेवाओं तथा आवासों के राजस्व खाते तथा पूँजी

| | | | | | प्रति माह मानक किराया | | वर्ष के दौरान वसूला गया किराया | | | रिमार्क |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| लोकलटी | क्रम संख्या | इमारत की विशिष्ट | शुद्ध पूँजी मूल्य जिसपर किराया जोड़ा गया | सुधार पर किया गया वास्तविक खर्च | तिथि जिससे यह क्रियाशील हुआ | राशि | मासिक किराया | माह की संख्या | राशि | (i) लघु वसूली का स्पष्टीकरण (ii) निर्धारित विशेष किराये के निर्देश (iii) अनुज्ञात राशि की अधिकता में अधिकमर झटका |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

टिप्पणी– (i) पट्टा इमारत के मामले में कम भुगतान योग्य किराया स्तम्भ 4 में दर्शित करना चाहिए यदि मरम्मत शुल्क सरकार द्वारा ब्युत्पन्न हो तो इस स्तम्भ 6 में दर्शित करना चाहिए।

(ii) अपेक्षित मरम्मत पर किया गया मूल खर्च दर्शित करना चाहिए।

संलग्नक–24

प्रारूप संख्या–28

**(v/;k; xiii ijk 265)**

# इमारत के रजिस्टर

| इमारत की क्रम संख्या | सहायक मौलिकताओं की संख्या | इमारत की संख्या | जोड़ या क्रम की तिथि (यदि क्रय निर्माण की तिथि के निकटता में निविष्ट हो) | अभिलिखित मूल्य | जिसके द्वारा अधिभोग किया गया | इमारत की प्रकृति | | | स्टोरी की संख्या | रिमार्क |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | दीवाल | छत | फर्श | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | | | | | |

## Ák:i l[;k&29

( अध्याय xiii पैरा 281 )

आवासीय इमारतों की अतिरिक्तताओं तथा संपरिवर्तन की लागत के रजिस्टर

| इमारत का नाम | पूँजी मूल्य जैसा कि दिये गये इसके निर्देश के अन्तिम किराया कथन मंजूरी में अभिलिखित हो | मानक किराया तथा इसके प्रभाव की तिथि | पूँजी के विरुद्ध वर्ष के दौरान निष्पादित संपरिवर्तन या अतिरिक्तताओं पर लागत | | | | स्तम्भों का योग 4 से 8 | | स्तम्भो का योग 2 तथा 9 | तिथि से नया मानक किराया | रिमार्क |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | |

# mRrj Án'k ifyl e[;ky;] bykgkckn&1

संख्या–बारह–27–2011 दिनांक अगस्त, 2011

सेवा में,

1– समस्त विभागाध्यक्ष, पुलिस विभाग, उ० प्र० ।

2– समस्त कार्यालयाध्यक्ष, पुलिस विभाग, उ० प्र० ।

विषयः– पुलिस विभाग के भवनों पर गृहकर, जलकर इत्यादि के सम्बन्ध में।

प्रायः देखने में आया है कि पुलिस विभाग के भवनों के किराया, उपशुल्क एवं कर स्वामित्व तथा जलकर/जलप्रभार की मदों के अन्तर्गत प्रदेश के नगर निगमों/जलसंस्थानों से प्राप्त बिलों को ही आधार मानकर जनपदो/इकाइयों व्दारा लम्बित दायित्व के रूप में पुलिस मुख्यालय से अनुदान की माँग की जाती है। नगर निगमों/जल संस्थानों से प्राप्त बिल प्रायः विभाग के अधिकारियों से बिना सम्पर्क किये ही आवासीय/अनावासीय भवनों की आंकलित पैमाइस करके वार्षिक मूल्यांकन निर्धारित कर बिल विभाग को भेज दिये जाते हैं, जिसे विभाग द्वारा बिना परीक्षण किये ही सही मानकर अनुदान की माँग की जाती है। विभागीय स्तर से बिना परीक्षण किये ही बिलों का भुगतान किये जाने की स्थिति में शासकीय धन का अपव्यय होने की सम्भावना प्रबल रहती है। इस सम्बन्ध में पुलिस मुख्यालय के पत्र संख्या (1) बारह–27–2011 दिनांक 26–4–2011, (2)बारह–110–2011 दिनांक 26–4–2011 एवं (3) बारह–110–2011/27–2011 दिनांक 5–5–2011 व्दारा भी पूर्ववत निर्देश निर्गत किये गये हैं ।

2– इस विषय में यह आवश्यक है कि माँग/कर निर्धारण एवं बिलों का सम्यक परीक्षण/जाँच करके ही भुगतान किया जाये। स्थानीय निकायों व्दारा करारोपण के विषय में निम्न प्रावधान विशेष रूप से ध्यान देने योग्य हैंः–

(क) उ० प्र० नगर निगम अधिनियम 1959 के अध्याय–9 विशेष कर धारा 173, 174 एवं 175 में गृहकर एवं जलकर के निर्धारण के सम्बन्ध में प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है (छायाप्रति संलग्न)

(ख) जिन जनपदों में नगरपालिकायें हैं वहाँ के लिये उ० प्र० नगरपालिका अधिनियम 1916 के अध्याय 5 की धारा 128 में गृहकर एवं जलकर के

निर्धारण के सम्बन्ध में प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है (छायाप्रति संलग्न) ।

(ग) इसी प्रकार नगर पंचायतों/जिला पंचायतों के क्षेत्रों में भी सुसंगत अधिनियमों का अध्ययन कर जलकर एवं गृहकर निर्धारण का परीक्षण कर लिया जाये ।

2— अतएव कृपया जनपद के किसी वरिष्ठ अधिकारी को नगर निगम/जल संस्थान के अधिकारियों से व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित करके अध्यारोपित कर की धनराशि का परीक्षण करने हेतु निदेशित कर दें। स्थानीय नगर निगम के नियमों/उपनियमों/शासनादेशों की प्रतियाँ प्राप्त करके उसके आधार पर सही–सही गणना कराकर मूल्यांकन कराया जाय। इस सम्बनध में उचित होगा कि नगर निगमों/जलसंस्थानों से प्राप्त पुराने बिलों का भी परीक्षण कर लिया जाय। परीक्षणोपरान्त सही निर्धारित कराये गये मूल्यांकन के आधार पर ही किराया उपशुल्क एवं कर स्वामित्व तथा जलकर/जलप्रभार की मदों से सम्बन्धित बिलों का भुगतान सुनिश्चित किया जाय । अभिलेखों का भलीभाँति परीक्षण कराकर यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि किराया उपशुल्क एवं कर स्वामित्व तथा जलकर/जलप्रभार से सम्बन्धित बिलों के सापेक्ष किसी भी स्थिति में दोहरा भुगतान न हो जाय ।

3— कृपया यह कार्यवाही अगले एक माह में करा लें और संतोषजनक कार्यवाही सम्पन्न करने का प्रमाण–पत्र दिनांक 10–09–2011 तक पुलिस मुख्यालय को प्रेषित करें। इसके उपरान्त ही उपर्युक्त मदों में अतिरिक्त अनुदान जारी किया जायेगा ।

4— कृपया यह प्रक्रिया भविष्य में भी जारी रखी जाये ।

संलग्नकः— यथोपरि ।

ह०/—

( सुलखान सिंह )

अपर पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय,

उत्तर प्रदेश ।

'kklukns'k la[;k&,&2&1092@nl&2011&24¼7½@95] fnukad 25 uoEcj] 2011 dk vuqyXud

foo j.k i=&111&edku dk fdjk;k

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | अनावासिक प्रयोजनों (गोदामों को छोड़कर) के लिये किराये पर लिये गये भवनों का किराया स्वीकृत करना। | 1–विभागाध्यक्ष एवं मण्डलायुक्त | (1) गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, कानपुर, लखनऊ में–<br>रु० 20.00 प्रति वर्गफुट कारपेट एरिया तक, इस शर्त के अधीन कि प्रत्येक मामले में किराया स्वीकृत करने की अधिकतम सीमा 50,000 रुपयें प्रतिमास होगी।<br>(2) मण्डल मुख्यालयों के जनपदों में (उपर्युक्त क्रमांक–(1) में सम्मिलित जनपदों को डोड़कर)<br>रुपयें 10.00 प्रति वर्मफुट कारपेट एरिया तक, इस शर्त के अधीन कि प्रत्येक मामले में किराया स्वीकृत करने की अधिकतम सीमा 40,000 रुपयें प्रतिमास होगी।<br>(3) एक लाख जनसंख्या से ऊपर के अन्य नगरों में:–<br>रुपयें 8.00 प्रति वर्गफुट कारपेट एरिया तक, इस शर्त के अधीन कि प्रत्येक मामम्ले में किराया स्वीकृत करने की अधिकतम सीमा 25,000 रुपये प्रतिमास होगी।<br>(4) एक लाख जनसंख्या से ऊपर के नगरों में:–<br>रुपयें 6.00 प्रति वर्गफुट कारपेट एरिया तक, इस शर्त के अधीन कि प्रत्येक मामले में किराया स्वीकृत करने की अधिकतम सीमा 15,000 रुपये प्रतिमास होगी।<br>(5) ग्प्रमीण क्षेत्रों में:–<br>रुपये 2.00 प्रति वर्गफुट कारपेट एरिया तक।<br>प्रतिबन्ध प्रत्येक दशा में यह है कि कार्यालय के लिये जगह वित्त विभाग के शासनादेश सं०–सी–2299/दस–एच–639–61, दिनांक 08 जून, 1965 में निर्धारित मानक नमूने के |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | अनुसार ली जाये।<br>fVIi.kh&1& उपरोक्त सीमा अधिकतम सीमा है और विभागाध्यक्ष एवं मण्डलायुक्त द्वारा अधिक से अधिक सस्ता स्थान प्राप्त करने के लिये प्रयास किये जाने चाहिए।<br>fVIi.kh&2 ''कारपेट एरिया'' का तात्पर्य भवन के ''फलोर एरिया'' से है जिसमें किचेन, बाथरूम, मोटर गैरेज, गैलरी तथा पैसेज के फलोर एरिया शमिल नहीं होगें।<br>fVIi.kh&3 जनपद व मण्डल स्तर के कार्यालय अपना किराया निर्धारण मण्डलायुक्त के स्तर पर करायेगें।<br>fVIi.kh&4 शेष कार्यालय जिसमें मुख्यतः विभागाध्यक्ष स्तर के कार्यालय होगें, विभागाध्यक्ष से अपना किराया निर्धारित करायेगें।<br>fVIi.kh&5 विभागाध्यक्ष एवं मण्डलायुक्त को प्रतिनिहित वित्तीय अधिकारों की सीमा से अधिक के मामले शासन के प्रशासकीय विभाग को सन्दर्भित किये जायेगें।<br>पूर्ण अधिकार, निम्नलिखित शर्तों के अधीनः–<br>(1) रेण्ट कण्ट्रोल एक्ट के अधीन निर्धारित अथवा स्थानीय नगर पालिका द्वारा निर्धारित किराये से जैसी भी स्थिति हो,किराया अधिक न हो। जहाँ इस प्रकार का भवन किराये पर उपलब्ध न हो, वहाँ किराया उस किरायें से अधिक नहीं होना चाहिए । |
| | | 3–प्रशासनिक विभाग | जिलाधिकारी द्वारा उचित प्रमाणित किया गया हो और संबंधित स्थानीय निकाय को सूचित किया गया हो।<br>(2) जहाँ कि भवन कार्यालय के उपयोगार्थ लिया जा रहा हो, वित्त (सी) विभाग के शासनादेश संः सी–2229/दस–एच–639–61, दिनांक 06 जून, 1955 में निर्धारित मानक नमूनों का |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | यथेष्ठ ध्यान रखना चाहिए और अन्य मामलों में जगह औचित्यपूर्ण आवाश्यकताओं से अधिक नहीं होना चाहिए।<br>टिप्पणी– 1 सरकारी कार्यालयों के लिए प्राइवेट भवन किराये पर लेने के लिए निम्न प्रक्रिया अपनायी जायेगी।<br>(1) ऐसे भवन जो रेन्ट कन्ट्रोल ऐक्ट की परिधि के बाहर हैं को किराये पर लेने के लिए विभाग को स्थानीय रूप से अधिक पढ़े जाने वाले तीन प्रमुख एवं लोकप्रिय दैनिक समाचार पत्रों में दो बार लगातार कार्यालय प्रयोजन हेतु भवन की आवश्यकता का पूर्ण एवं स्पष्ट विज्ञापन कराना चाहिए। विज्ञापन सूचना विभाग के माध्यम से कराना आवश्यक न होगा।<br>(2) विभाग तीन अधिकारियों एक कमेटी गठित करेगा जो विज्ञापन के फलस्वरूप प्राप्त आवेदनों (Offer) पर विचार करके एवं उपलब्ध भवनों का निरीक्षण करके उपयुक्त भवन का चयन करेगी और जिलाधिकारी से किराये के औचित्य का प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा जिसके उपरान्त ही सक्षम अधिकारी द्वारा भवन का किराया कमेटी की संस्तुति पर स्वीकृत किया जा सकेगा।<br>(3) किराये के औचित्य का प्रमाण–पत्र जिलाधिकारी स्वयं अपने हस्ताक्षर से जारी करेंगे।<br>तहसीलदार या रेन्ट कन्ट्रोल आफीसर्स द्वारा दिया गया प्रमाण–पत्र इस निमित्त मान्य नहीं होगा। टाउन एरिया/नोटीफाइड एरिया/ग्रामीण क्षेत्रों में किरोय की दर का अनुमोदन जिलाधिकारी का होगा, परन्तु किराये का औचित्य प्रमाण–पत्र जारी करने के लिए परगना अधिकारी अधिकृत होंगे।<br>टिप्पणी–2– सरकारी कार्यालयों के लिए किराये पर लिये गये जो भवन रेन्ट कन्ट्रोल एक्ट के अन्तर्गत आ गये हैं उन भवनों के |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | किराये में वृद्धि के सम्बन्ध में निम्न प्रक्रिया अपनायी जायेगी–<br>सरकारी कार्यालयों के लिए किराये पर लिये गये जो भवन "उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने किराये तथा बेदखली का विनियमन) अधिनियम–1972" के प्राविधानों के अन्तर्गत आ गये हैं यदि उनका किराया बढ़ाने की मांग मकानदार द्वारा की जाती है तो उसे उसके लिए उक्त अधिनियम की धारा–21(8) के प्राविधानों का पालन करना होगा, जिसके अनुसार किसी भी भवन की स्थिति में जिला मजिस्ट्रेट, माकानदार के आवेदनपत्र पर उसके लिए देय मासिक किराया उतनी धनराशि तक बढ़ा सकता है जो किरायादार के अधीन भवन के बाजार मूल्य के 10 प्रतिशत के 12वें भाग के बराबर होगा और इस प्रकार बढ़ाया गया किराया आवेदन पत्र के दिनांक ठीक बाद पड़ने वाले किरायेदारी के मास के प्रारम्भ से देय होगा किन्तु अग्रेत्तर वृद्धि करने के लिए इस प्रकार का आवेदन पत्र वृद्धि के अन्तिम आदेश के दिनांक से 5 वर्ष के अवधि की समाप्ति के पश्चात ही दिया जा सकेगा। यदि उभयपक्षों के बीच किसी निर्धारित अवधि तक किराया न बढ़ाने की शर्ते तय हो चुकी हो तो उस अवधि तक किराये की वृद्धि सम्भव नही होगी। |

# mRrj Án'k uxj fuxe vf/kfu;e] 1959

## lifRr& dj

173& lEifRr&dj yxk;k tk ldxk—(1) धारा 172 की उपधारा (1) के पयोजनों के लिये संपत्ति–कर में निम्नलिखित कर सम्मिलित होंगे, जो आगे व्यवस्थित उपवादों,परिसीमाओं और शर्तों के अधीन रहते हुये नगर में भवनों या भूमियों पर लगाये जायेगें।

(क) सामान्य–कर, जो यदि (निगम) ऐसा निर्धारित करे, आंनुक्रमिक मद (graduated scale) से अरोपित किया जा सकता है।

(ख) जल–कर जो उन क्षेत्रों में लगाया जा सकेगा जहाँ निगम द्वारा जल की आपूर्ति की जाती हो।

(ग) जल निस्सारण कर (drainage tax) tk mu {ks=k e yxk;k tk ldxk tgk fuxe u ukyk (sewer) की प्रणाली की व्यवस्था की हो,

(घ) ऐसे क्षेत्रों में स्वच्छता कर (conservancy tax) जहाँ (निगम) संडासों, मूत्रालयों और नलकूपों में मलमूत्र और दूषित पदार्थ इकट्ठा करने, हटाने तथा उनका निस्तारण करने का कार्यभार वहन करती है।

(2) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाई गयी नियमावली में स्पष्ट रूप से की अन्य व्यवस्था को छोड़कर ये कर यथास्थिति भवनया भूमि के वार्षिक मूल्य (annual value) पर लगाये जायेंगे,

3{'' किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि सम्पत्ति–करों कायोग, किसी भी दशा में भवन या भूमि या दोनों ही, जिस पर उक्त कर निर्धारित किये गये हों, के वार्षिक मूल्य के बाईस प्रतिशत से कम और बत्तीस प्रतिशत से अधिक न होगा, किन्तु इस प्रकार कि सामान्य कर, वार्षिक मूल्य के दस प्रतिशत से कम और पन्द्रह प्रतिशत से अधिक न होगा, जल–कर, वार्षिक मूल्य के साढ़े दस प्रतिशत से कम और साढ़े बारह प्रतिशत से अधिक न होगा, जल–निस्तारण–कर, वार्षिक मूल्य के ढाईप्रतिशत से कम और पाँच प्रतिशत से अधिक न होगा और स्वच्छता–कर, वार्षिक मूल्य के दो प्रतिशत से अधिक न होगा।''

174. okf"kd eY; dh ifjHkk"kk– 4{(1) वार्षिक मूल्य से तात्पर्य है–

1. उ०प्र० अधिनियम सं० 9, 1991 द्वारा निकाल दिया गया।

1{''(क) रेलवे स्टेशनों, कालेजों स्कूलों, होटलों, कारखानों, वाणिज्यक भवनों और अन्य अनावासिक भवनों की दशा में नियम द्वारा निश्चित की गयी यथास्थिति, भवन क आच्छादित क्षेत्र या भूमि के खुले क्षेत्र या दोनों के साथ खण्ड (ख) के अधीन यित आवासिक भवनों के प्रति वर्गफुट किराये की मासिक दर में गुणांक से गुणा करने पर प्राप्त का 12 गुना मूल्य।''

2{''(ख) ऐसे भवन या भूमि की दशा में, जो खण्ड (क) के उपबन्धों के अन्तर्गत न आती हों, भवन के कारपेट एरिया या भूमि के क्षेत्र पर, याथास्थिति, भवन के मामले में कारपेट एरिया का प्रति वर्गफिट पर किराये की प्रयोज्य न्यनतम मासिक दर से या भूमि के मामले में क्षेत्र का प्रति वर्गफीट पर किराये की प्रयोज्य न्यूनतम मासिक दर से गुणा करने पर प्राप्त मूल्य का बारह गुना, और इस प्रयोजन के लिये प्रति वर्गफुट किराये की न्यूनतम माकि दर ऐसी होगी जैसी * नगर आयुक्त द्वारा प्रत्येक दो वर्ष में एक बार भवन या भूमि की अवस्थिति, भवन के निर्माण की प्रकृति, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के प्रयोजन के लिये कलेक्टर द्वारा निर्धारित सर्किल रेट और ऐसे भवन या भूमि के लिये उस क्षेत्र में किराये की वर्तमान न्यूनतम दर और ऐसे अन्य कारणों के आधार पर, और ऐसी रीति से, जो विहित की जायें, निर्धारित की जा सकती है :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि उपर्युक्त रीति से हिसाब लगाने पर निगम की राय में, किसी असाधारण परिस्थिति के कारण किसी भवन का वार्षिक मूल्य अत्यधिक होता हो तो निगम वार्षिक मूल्य के रूप में कोई ऐसी कम धनराशि को निश्चित कर सकती है जो न्याय संगत प्रतीत हो।

Li"Vhdj.k&,d& वार्षिक मूल्य की गणना के प्रयोजन के लिये कारपेट एरिया की गणन निम्न प्रकार से की जायेगी–

(एक) कमरे –आन्तरिक आयाम की पूर्ण माप,

(दो) अच्छादित बरामदा–आन्तरिक आयाम की पूर्ण माप,

(तीन) बालकनी, कारीडोर–आन्तरिक आयाम की पचास प्रतिशत माप, रसोई और भण्डार गृह

(चार) गैराज–आन्तरिक आयाम की एक चौथाई माप,

(पाँच) स्नानगृह, शौचालय, पोर्टिको और जीने से आच्छादित क्षेत्र कारपेट एरिया का भाग नहीं होगा।

Li"Vhdj.k&nk& किसी भवन के मानक किराया या रीजनेबुल एनुअल रेन्ट की, जो उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियम) अधिनियम, 1972 के प्रयोजन के लिये हैं, गणना उस भवन के वार्षिक मूल्य की गणना

करते समय, नहीं की जायेगी।

3½2½ यदि निगम ऐसा संकल्प करे तो वार्षिक मूल्य, सम्पत्ति कर के निर्धारण के प्रयोजनार्थ, निम्न प्रकार होगा&

(क) भूमि और स्वामी द्वारा अध्यासित आवासिक भवन के मामले में उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन अवधारित वार्षिक मूल्य से, यदि भवन दस वर्ष से अधिक पुराना नहीं है तो 25 प्रतिशत कम, और यदि वह दस वर्ष से अधिक किन्तु बीस वर्ष से कम पुराना है तो 32.5 प्रतिशत कम और यदि वह बीस वर्ष से अधिक पुराना है तो चालीस प्रतिशत कम, समझा जायेगा, और

(ख) किराये पर उठाये गये आवासिक भवन के मामले में उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन अवधारित वार्षिक मूल्य से, यदि भवन दस वर्ष से अधिक पुराना है तो 25 प्रतिशत और यदि वह दस वर्ष से अधिक किन्तु बीस वर्ष से कम पुराना है तो 12.5 प्रतिशत, अधिक समझा जायेगा और यदि वह बीस वर्ष से अधिक पुराना है तो उसका वार्षिक मूल्य उपधारा(1) के खण्ड(ख) के अधीन अवधारित वार्षिक मूल्य के बराबर समढा जायेगा।

[ 175- जल–कर लगाने पर प्रतिबन्ध– धारा 173 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन कर इस निर्बन्धन के अधीन रहते हुये लगाया लायेगा कि निम्नलिखित परऐसा कर न लगाया जाये&

½1½ किसी ऐसी भूमि पर जिसका उपयोग एकमात्र कृषि प्रयोजनों के लिये किया जाता हो,जब तक कि निगम द्वारा ऐसे प्रयोजनो के लिये जल सम्भरित न किया जाये, या

(2) किसी ऐसे भू–खण्ड या भवन पर जिसका वार्षिक मूल्य तीन सौ आठ रुपये से अधिक न हो और जिसे निगम द्वारा जल सम्भरित न किया जाता हो, या

(3) किसी ऐसे भू–खण्ड या भवन पर जिसका कोई भाग निकटतम बम्बा या अन्य जल कल से जहाँ पर जनता को निगम द्वारा जल उपलब्ध कराया जाता हो, उस नगर के लिये विहित अर्ध व्यास के भीतर न हो।

Li"Vhdj.k& इस धारा के प्रयोजनों के लिये–

(क) 'भवन' में उसका अहाता (यदि कोई हो), और जहाँ तक ही सामान्य अहाते में अनेक भवन हों, वहाँ ऐसे समस्त भवन और सामान्य अहाता भी सम्मिलित है,

(ख) 'भू–खण्ड' का तात्पर्य किसी ऐसे भूमि के खण्ड से है जो किसी एकल

अध्यासी द्वारा या अनेक अध्यासियों द्वारा सामान्य रूप से धृत हो जिसका कोई भी भाग किसी दूसरे भाग से किसी अन्य अध्यासी या अध्यासियों की भूमि या सार्वजनिक सम्पत्ति के द्वारा पूर्णतया पृथक–कृत न हो।,

176- ty&dyk vkj ty&fuLrkj.k d fuek.k &dk;k l gku okyh vk; dk ,d= djuk–

जल–कर, जल–निस्तारण कर और स्वच्छता कर से होने वाली आय तथा ऐसी अन्य समस्त आये को, जो जल–कलों, जल–निस्तारण कार्यों, नालियों तथा संडासों, मूत्रालयों और नलकूपों से इकट्ठा किये गये मल इत्यादि और दूषित पदार्थों और ऐसे पदार्थों के निस्तारण से तथा ''सलेज फार्मों'' से होती हो, एकत्र किया जायेगा और उसे उक्त जल–कलों और जल–निस्तारण निर्माण कार्यों के निर्माण, संधारण, विस्तार और सुधार के संबंध में और संडासों, मूत्रालयों तथा नलकूपों से मल इत्यादि और दूषित पदार्थ इकट्ठा करने, हटने और उनका निस्तारण करने के संबंध में, जिसके अन्तर्गत सलेज फार्मों का संधारण भी है, होने वाले व्ययों का पूरा करने के लिये खर्च किया जायेगा।

177- fdu Hk&xgkfn ij lkekU; dj vkjksfir fd;k tk;xk& lkekU; dj uxj e fLFkr lHkh Hkouk vkj Hkfe;k ij yxk;k tk;xk] flok;–

(क) उन भवनों और भूमियों के, जो एकमात्र मृतकों के निस्तारण के सम्बद्ध प्रयोजनों के लिये प्रयुक्त होती हो,

उ०प्र० अधिनियम सं०10सन् 1978 की धारा 6 द्वारा प्रतिस्थापित।

## v/;k;&5

## uxjikfydk djk/kku] djk dk vf/kjk.k vkj ifjorZu

128- dj tk vf/kjkfir fd; tk ldr g–(1) इस निमित्त राज्य सरकार के किसी सामान्य नियम या विशेष आदेश के अधीन रहते हुये ऐसे कर, जिन्हें [1][नगरपालिका] सम्पूर्ण नगरपालिका या उसके किसी भाग में अधिरोपित कर सकती है, निम्नलिखित है–

(i) भवन या भूमि या दोनों के वार्षिक मूल्य पर कर,

(ii) व्यापार और आजीविका पर कर, जो नगरपालिका की सीमा के भातर की ताजी हो और जिसे नगरपालिका सेवाओं से विशेष लाभ हो रहा हो, या जिससे उस पर विशेष भार पड़ रहा हो,

(ii) व्यापार, आजीविका और व्यवसाय पर कर जिसमें ऐसे सभी सेवायोजन भी सम्मिलित है, जिनमें वेतन या फीस के रूप में पारिश्रमिक दिया जाता है,

[2](iii-क) नाट्यशाला–कर, जिसका तात्पर्य विनोद या अमोद पर कर से है,

(iv) नगरपालिका के भीतर किराये पर चलायी या रखी जाने वाली गाड़ी या अन्य सवारी पर या उसमें बाँधी जाने वाली नावों पर कर,

(v) नगरपालिका के भीतर रखे गये कुत्तों पर कर,

(vi) ऐसे पशुओं पर कर, जिनका उपयोग जब उन्हें नगरपालिका के भीतर रखा जाय, सवारी करने, चलाने, खींचने या बोझा ढोंने के लिये किया जाता है,

(vii) [3][* * *]

(viii) [4][* * *]

(ix) निवासियों पर उनकी परिस्थिति और सम्पत्ति के अनुसार निर्धारित कर, भवन या भूमि या दोनों के वार्षिक मूल्य पर जल–कर

[5](x-क) भवन के वार्षिक मूल्य पर जल निकास कर, जो ऐसे भवन पर उद्ग्रहणीय हो, जो निकटतम सीवर लाइन से प्रत्येक नगरपालिका के

---

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 सन् 1994 द्वारा प्रतिस्थापित
[2] उ0प्र0 अधिनियम सं0 27 सन् 1964 द्वारा जोड़ा गया
[3] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9 सन् 1991 द्वारा निरसित
[4] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9 सन् 1991 द्वारा निरसित
[5] उ0प्र0 अधिनियम सं0 27 सन् 1964 द्वारा जोड़ा गया

लिये इस निमित्त नियम निर्धारित दूरी के भीतर स्थिति हो,

(xi) समार्जन–कर

[6](xii) संण्डासों, मूत्रालयों और नलकूपों से मलादि और प्रदूषित पदार्थों का संग्री करने, हटाने और निस्तारण करने के लिये सफाई कर,

(xiii) [7][* * *]

(xiii-क) [* * *]

[8](xiii-ख) नगर पालिका की सीमा में स्थित स्थावर सम्पत्ति के अन्तरण विलेख पर कर

[9](xiv) [* * *]

(2) प्रतिबन्ध उपधारा (1) के खण्ड (iii) और (ix) के अधीन कर एक साथ उद्ग्रहणीय नहीं होगे [10][* * *] [11][ और न ही उपधारा (1) के खण्ड (x-क) और (xii) के अधीन कर एक साथ उद्ग्रहणीय होगें

प्रतिबन्ध यह भी है कि उपधारा (1) के खण्ड (iv) के अधीन कोई कर किसी मोटर गाड़ी के सम्बन्ध में उद्ग्रहणीय न होगा।

(3) इस धारा की कोई बात किसी ऐसे कर के अधिरोपण का प्राधिकार न देगी जिसके लिये राज्य विधान मंडल को संविधान के अधीन राज्य में अधिरोपित करने की शक्ति न हों

प्रतिबन्ध यह है [12][नगरपालिका] जो संविधान के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व, तत्समय प्रवृत्त इस धारा के अधीन कोई ऐसा कर विधिपूर्वक उद्ग्रहीत कर रही थी उस कर का उद्ग्रहण जारी रख सकती है जब तक कि संसद इसके प्रतिकूल कोई उपबन्ध न बनायें।

## l{ki

*1. विधायी परिवर्तन (Legislative changes)* *के अधीन नगरपालिकाओं द्वारा विवेकाधिकार के प्रयो के लिये कोई वासतविक मार्ग दर्शन उपबन्धित करता है?*

---

[6] उ0प्र0 अधिनियम सं0 27 सन् 1964 द्वारा जोड़ा गया
[7] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9 सन् 1991 द्वारा निरसित
[8] संशोधन आदेश 1937 द्वारा निरसित
[9] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9 सन् 1991 द्वारा निरसित
[10] संशोधन आदेश 1937 द्वारा निरसित
[11] उ0प्र0 अधिनियम सं0 27 सन् 1964 द्वारा जोड़ा गया
[12] उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 सन् 1994 द्वारा प्रतिस्थापित

*2. धारा 128 का उद्देश्य एवं विस्तार* *5. फीस और कर में अन्तर*

*3. सम्पूर्ण नगरपालिका या उसके किसी भाग में शब्दों का अभिप्राय* *6. उपधारा (1) का खण्ड (x)*

*4.क्या नगरपालिका अधिनियम धारा 128(1)*

1- fo/kk;h ifjorZu **(Legislative changes)** – इस धारा में अब कुल तीन बार संशोधन किये जा चुके है। इन संशोधनों को क्रमशः निम्नवत् प्रस्तुत किया जा सकता है–

(क) सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 27, सन् 1964 द्वारा इस धारा की उपधारा (1) में खण्ड (iii-क) एवं (x–ख) जोड़ा गया। इसके अलावा उपधारा (2) का अन्तिम वाक्यांश और प्रथम परन्तुक भी इसी संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़े गये है।

(ख) तत्पश्चात् उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या, 9 सन् 1991 द्वारा इस धारा की उपधारा (1) के खण्ड (vii), (viii) एवं (xiv) को निरसित कर दिया गया। निरसन से पूर्व ये खण्ड क्रमशः निम्नवत् थे–

(vii) यात्रियों के ग्रहोपयोगी वस्तुओं से भिन्न अन्य वस्तुओं से लदे मोटर वाहन एवं अन्य सवारियों, पशुओं और कुलियों जो कि नगरपालिका की सीमाओं मं प्रवेश करते है और ऐसी वस्तुओं या उसके किसी भाग को ऐसी सीमाओं में उतारते है, पर कर

(viii) उपभोग, उपयोग या विक्रय के लिये नगरपालिका की सीमाओं में लागयी गयी वस्तुओं या आये गये पशुओं पर चुंगी।

* * *

(xiv) किसी एक नगरपालिका से दूसरी नगरपालिका को निर्यात तथा अयात की जाने वाली वस्तुओं, जिन पर छः जुलाई 1917 को चुंगी लागू थी, पर कर या केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति से कर,

* * *

(xiv) कोई अन्य कर जो राज्य विधान मंडल द्वारा संविधान के अन्तर्गत राज्य में अधिरोपित कर सकता है।

इसके अलावा इस संशोधन अधिनियम द्वारा उपधारा (2) में प्रयुक्त शब्दों उपधारा (1) के खण्ड (viii) के अधीन वस्तुओं पर चुंगी और उपधारा (1) के खण्ड (xiii) के अधीन कर एक साथ उद्ग्रहणीय नहीं

होगे, का निरसित कर दिया गया है।

(ग) उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 1994 द्वारा उपधारा (3) में 'बोर्ड शब्द के स्थगन पर 'नगरपालिका' शब्द को प्रतिस्थापित कर दिया गया।

2. /kkjk 128 dk mnn'; ,oa foLrkj& उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1916 धारा 128 नगरपालिका को नगरपालिका सीमा में या उसके किसी भाग में उपधारा (1) में वर्णित करों को अधिरोपित करने की शक्ति प्रदान करती है। नगरपालिका की यह शक्ति राज्य सरकार द्वारा जारी किसी सामान्य नियम या विशेष आदेश के अधीन है। इसके अलावा उपधारा (2) एवं (3) के उपबन्धों और प्रतिबन्धों के अनुसार ही ये कर अधिरोपित किये जा सकते है। उपधार (2) निम्नलिखित करों को एक साथ अधिरोपित और उद्ग्रहीत किये जाने पर प्रतिबन्ध लगाती है–

(1) उपधारा (1) के खण्ड (iii) के अधीन व्यापार, आजीविका और व्यवसाय पर कर जिसमें ऐसे सभी सेवायोजन भी सम्मिलित है, जिसमें वेतन या फीस के रूप में परिश्रमिक दिया जाता है, एवं खण्ड (ix) निवासियों पर उनकी परिस्थितियाँ और सम्पत्ति के अनुसार निर्धारित कर।

(2) उपधारा (1) के खण्ड (x-क) के अधीन भवन के वार्षिक मूल्य पर जल निकास कर जो ऐसे भवन पर उद्ग्रहणीय हो, जो निकटतम सीवर लाइन से प्रत्येक नगरपालिका के लिये इस निमित्त नियम द्वारा निर्धारित दूरी के भीतर स्थिति हो, एवं खण्ड (xii) के अधीन सण्डासों, मूत्रालयों और नलकूपों से मलादि और प्रदूषित पदार्थो का संग्रह करने, हटाना और निस्तारण करने के लिये सफाई कर।

उत्तर प्रदेश अधिनिययम संख्या 9, सन् 1991 द्वारा इस धारा मं संशोधन किये जाने से पूर्व उपधारा (1) खण्ड (viii) के अधीन उपभोग, उपयोग का विक्रय के लिये नगरपालिका की सीमाओं में लायी गयी वस्तुओं या लाये गये पशुओं पर चुंगी एवं खण्ड (xiii) के अधीन एक नगरपालिका से दूसरी नगरपालिका में आयात–निर्यात की जाने वाली वस्तुओं पर चुंगी भी एक साथ अधिरोपित एवं उद्ग्रहीत नहीं की सकती थी।

उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की इस धारा के अन्तर्गत नगरपालिका किसी ऐसी भूमि पर करारोपण नहीं कर सकती है जिसका उपयोग कृषि कार्यों के लिये होता है। 1

*एम०टी०रंजीत सिंह ब० म्यूनिसिपल बोर्ड, लखनऊ, आई०एएल०आर० (1958) 1 इलाहाबाद 646 : ए०आई०आर० 1958 इलाहाबाद 430 : 1958 ए०एल०जे० 66 : 1958 ए०डब्लू०आर० 250*

धारा 128 के अन्तर्गत कोई भी कर इस अधिनियम की धारा 131 से 135 तक मं दी गयी प्रक्रिया के पश्चात् ही अधिरोपित और वसूल किया जा सकता है।

3- ^lEi.k uxjikfydk ;k mlds fdlh Hkkx esa* 'kCnksa dk vfHkÁk;– उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 128 की उपधारा (1) के अनुसार कोई नगरपालिका सम्पूर्ण नगरपालिका या उसके किसी भाग में इस उपधारा के विभिन्न खण्डों में उल्लिखित करों में से कोई कर अधिरोपित कर सकती है। यदि नगरपालिका सीमा के भीतर स्थिति दो स्थानों की भौगोलिक स्थिति और स्थानीय व्ययवस्था में अन्तर है, तो दोनों स्थानों के लिये करों की मात्रा और स्वरूप भिन्न–भिन्न हो सकती है।इस वाद में नगरपालिका बरेली के सिविल लाइन्स क्षेत्र में भूमि अधिग्रहीत कर सड़को का निर्माण किया। अच्छे भवनों का निर्माण किया एवं उसके लिये भूमि उपलब्ध करायी, पार्क बाग आदि की व्यवस्था की, पानी और बिजली की विशेष व्यवस्था की, सफाई आदि की समुचित व्यवस्था की। हय सम्पूर्ण व्यवस्था निश्चित रूप से शहर के अन्य भागों की व्यवस्था से काफी अच्छी है। ऐसी स्थिति में नगरपालिका द्वारा सिविल लाइन्स क्षेत्र में इन सुविधाओं के लिये शहर के अन्य भागों से अधिक कर लगाना अनुचित और अवैध नहीं है। इससे न तो नगरपालिका अधिनियम के किसी उपबन्ध का उल्लंघन होता है, और न ही संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होता है।

4- D;k uxjikfydk vf/kfu;e /kkjk 128 ¼1½ ds v/khu uxjikfydkvksa }kjk foodkf/kdkj ds Á;ksx ds fy;s dksbZ okLrfod ekxZ n'kZu micfU/kr djrk gS\– उच्चतम न्यायालय ने इस प्रश्न पर *गोपाल नारायण वाद*[3] में विस्तार से विचार किया। न्यायालय ने अभिधारित किया कि उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य में प्रचलित नगरपालिका विधियों को संशोधित एवं समेकित करने हेतु बनाया गया। इस अधिनियम की धारा 7 नगरपालिका के कर्तव्यों क बारे में उल्लेख करती है। यह धारा नगरपालिका को नगरपालिका सीमा में स्वास्थ्य एवं सफाई, जल निकासी जलापूर्ति, स्कूल, सड़क, हास्पिटल, जच्चा–बच्चा केन्द्रो आदि की व्यवस्था और निर्माण करने हेतु निर्देशित करती है। धारा 18 उपबन्धित करती है कि नगरपालिका स्वविवेक से विशेष स्वास्थ्य सेवाओं और ऐसे अन्य कर्तव्यों को अपने हाथ में ले सकती है, जिसमें अधिक खर्च निहित है।

नगरपालिका उपर्युक्त कर्तव्यों का निस्पादन तबतक नहीं कर सकती है जब तक कि उसे कर के रूप में धन वसूलने का अधिकार प्रदान न किया जाय। धारा 128 नगरपालिका को ऐसे ही शक्ति एवं अधिकार प्रदान करती है। यह धारा उपबन्धित करती है कि नगरपालिका सम्पूर्ण नगरपालिका क्षेत्र या उसके किसी भाग पर कोई कर अधिरोपित कर सकती है। इस प्रकार इन धाराओं को एक साथ पढ़ने पर स्पष्ट हो जाता

है कि नगरपालिका को कर अधिरोपित करने और वसूलने की शक्ति मात्र उसे अपने कर्तव्यों का निष्पादन करने में सक्षम बनाने हेतु प्रदान किया गया है, किन्तु प्रश्न यह है कि नगरपालिका कर अधिरोपित करने हेतु किसी भाग का चयन किस आधार पर करेगी। धारा 128 में इसके बारे में कोई स्पष्ट उपबन्ध नहीं है। न्यायालय ने इस प्रश्न पर विचारोपरान्त संप्रेक्षित किया कि नगरपालिका अधिनियम की धारा 7 एवं 8 नगरपालिका के जिन कर्तव्यों का उल्लेख करती है उनका अनुपालन एवं निष्पादन सम्पूर्ण नगरपालिका क्षेत्र में एक साथ करना आवश्यक नहीं है। उनका प्रारंभ किस विशेष क्षेत्र में किया जा सकता है जिसका विस्तार सामान्य क्रम में अन्य क्षेत्रों में भी किया जायेगा। कुछ सुविधायें जो नगरपालिका के किसी क्षेत्र में आवश्यक है, अन्य क्षेत्रों में आवश्यक नहीं हो सकती है या उनका स्वरूप भिन्न हो सकता है। किसी स्थान की दूरी और भौगोलिक स्थिति के कारण एक ही प्रकार की सुविधाओं के लिये खर्च में भिन्नता आ सकती है। इन भिन्नताओं के आधार पर कर अधिरोपित करने हेतु नगरपालिका द्वारा कर अधिरोपित करने हेतु क्षेत्रों का चयन किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में यह कहना उचित नहीं है कि उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम के अन्तर्गत नगरपालिका द्वारा करारोपण करने और क्षेत्रों का चयन करने हेतु कोई मार्ग निर्देशन नहीं किया गया है।

5. Qhl vkj dj e vUrj& फीस और कर में कोई व्यापक अन्तर नहीं है। दोनों जनता से धन वसूने की रीति है, किन्तु जहाँ कर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अधिरोपित किया जाता है, और किसी सेवा के बदले में नहीं लगाया जाता है, फीस प्रदान की गई सेवा के बदले में अधिरोपित और वसूल की जाती है।[1]

फीस उसी अनुपालन में होनी चाहिए जिस अनुपात में सेवायें प्रदान की गई है, किन्तु इसके लिये यह आवश्यक नहीं है कि ऐसे अनुपात में गणितीय शुद्धता हो।[2]

धारा 110 की उपधारा (1) के खण्ड–(X) के अधीन अधिरोपित जलकर नहीं है अपितु कर है।[3]

6. mi/kkjk ¼1½ dk [k.M&(X) उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम की धारा 128 की उपधारा (1) के खण्ड–(X) के अन्तर्गत नगरपालिका को भवनकर और जलकर दोनों अधिरोपित करने की शक्ति प्राप्त है, किन्तु इस अधिनियम की धारा 141 से 144 तक के उपबन्धों का अनुसरण मात्र भवन कर के निर्धारण के प्रयोजनार्थ ही आवश्यक है न कि जलकर के निर्धारण किये जाने के लिए।[4]

128&d¼1½ यदि किसी नगरपालिका ने धारा 128 की उपधारा (1) के खण्ड–(xiii–ख) अभिदिष्ट कर अधिरोपित किया हो तो अचल सम्पत्ति के किसी हस्तान्तरण पर विलेख भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 द्वारा आरोपित शुल्क ऐसी नगरपालिका की सीमाओं के भीतर स्थित अचल सम्पत्ति दशा में, प्रतिफल की धनराशि

या मूल्य पर, जिसके अभिदेश में उक्त अधिनियम के अधीन शुल्क की गणना की जाये, दो प्रतिशत बढ़ दिया जायेगा।

प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से 5[नगरपालिका] विशेष संकल्प द्वारा शुल्क में वृद्धि के उपर्युक्त प्रतिशत को पाँच प्रतिशत तक बढ़ सकती है।

(2) उक्त वृद्धि के परिणामस्वरूप समस्त संग्रहित धनराशि अनुषंगिक व्यय की, यदि कोई हो, कटौती करने, पश्चात राज्य सरकार द्वारा ऐसी रीति से जिसे विहित किया जाय सम्बन्ध 6[नगरपालिका] को भुगतान की जायेगी।

(3) इस उपधारा के प्रयोजनों के लिये भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 27 इस प्रकार पढ़ी जायेगी और उसका अर्थ इस प्रकार लगाया जायेगा मानों विनिर्दिष्ट रूप से यह अपेक्षित है कि उसमें निर्दिष्ट विशिष्टियों का निम्नलिखित के सम्बन्ध में प्रथक–प्रथक उल्लेख किया जायेगा।

(क) सम्पत्ति जो नगरपालिका की सीमा के भीतर स्थित है, और

(ख) सम्पत्ति जो नगरपालिका की सीमा के बाहर स्थित है।

(4) इस धारा के प्रयोजनों के लिये भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 64 में सरकार को किये गये समस्त निर्देशों से यह समझा जायेगा कि उसमें नगरपालिका भी सम्मिलित है।

# mRrj Án'k ifyl e[;ky;] bykgkcknA

संख्या : बारह–14–69, दिनांकः जुलाई, 2011

सेवा में,

1– समस्त विभागाध्यक्ष, पुलिस विभाग, उत्तर प्रदेश ।

2– समस्त कार्यालयाध्यक्ष, पुलिस विभाग, उत्तर प्रदेश ।

विषयः– पुलिस एवं पी०ए०सी० के सरकारी आवासीय एवं अनावासीय भवनों में अलग–अलग कनेक्शन (संयोजन) कराये जाने के सम्बन्ध में ।

———

उपर्युक्त विषयक कृपया पुलिस मुख्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांकित 28–8–2006 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके व्दारा शासन के पत्र संख्या–6150/6–पु–7–05–198/2000, दिनांक 21–12–2005 के परिप्रेक्ष्य में आय–व्ययक के अनुदान–26 (पुलिस) के अधीन लेखाशीर्षक ''2055–पुलिस आयोजनेत्तर'' के मानक मद –09–विद्युत देय की मद में धन की उपलब्धता की स्थिति में आवंटित अनुदान से विद्युत मीटर रहित आवासों में विद्युत मीटर लगवाये जाने हेतु पूर्ववत् निदेशित किया गया है ।

2– अवगत कराना है कि आवासीय एवं अनावासीय की विद्युत दरें अलग–अलग होती हैं। अतः इनका अलग– अलग विद्युत कनेक्शन (संयोजन) होना आवश्यक है। पुलिस मुख्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांकित 28–8–2006 के सन्दर्भ में जनपदों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि स्थानीय पावर कार्पोरेशनों व्दारा आवासीय एवं अनावासीय भवनों में अलग–अलग विद्युत कनेक्शन नहीं किये जा रहे हैं। अतः निदेशक (वाणिज्य), उ०प्र० पावर कार्पोरेशन, लिमिटेड, शक्ति भवन विस्तार(चतुर्थ तल), 14–अशोक मार्ग, लखनऊ को इस आशय का प्रस्ताव प्रेषित कर उनसे अनुरोध किया गया ।

3– इस सम्बन्ध में निदेशक (वाणिज्य), उ०प्र० पावर कार्पोरेशन, लिमिटेड, शक्ति भवन विस्तार (चतुर्थ तल), 14–अशोक मार्ग, लखनऊ ने अपने पत्र संख्या–143/मु०अ० (वा०एवं ऊ०ले०)/ वा०–1 दिनांक 25–6–2011 (छायाप्रति संलग्न) के माध्यम से प्रदेश के समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण) विद्युत वितरण क्षेत्रों को जनपद में स्थित पुलिस एवं पी०ए०सी० के सरकारी आवासीय एवं अनावासीय परिसरों में अलग–अलग विद्युत कनेक्शन (संयोजन) लगाने हेतु निदेशित किया गया है।

4– पुलिस/पीएसी० के आवासीय एवं अनावासीय परिसरों में पृथक– पृथक विद्युत कनेक्शन(संयोजन) की व्यवस्था कराने हेतु शासन द्वारा भी पत्र संख्या–2015/6–पु–7–11–5 बजट/2011, दिनांक 29–4–2011 द्वारा निदेशित किया गया है ।

5– वर्तमान में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन द्वारा एलएमवी–1, एलएमवी–4 व एलएमवी–5 के अनुसार आवासीय एवं अनावासीय भवनों/स्ट्रीट लाइट/ट्यूबवेल हेतु दरें निर्धारित हैं, जिसमें आवासीय भवनों के विद्युत दर सबसे कम हैं।

6– समय–समय पर पावर कारपोरेशन के स्थानीय अधिकारियों से प्रचलित दरों का विवरण लेकर प्राप्त बिलों की चेकिंग की जाये कि बिलों में सही दरें ही अंकित की गई हैं। यह भी सुनिश्चित किया जाय कि किसी भी अवधि का दोहरा/दोबारा बिल न भुगतान कर दिया जाये ।

7– अतः कृपया स्थानीय विद्युत विभाग के अधिकारियों से सम्पर्क कर अपने समस्त आवासीय एवं अनावासीय परिसरों हेतु अलग–अलग विद्युत कनेक्शन(संयोजन) कराया जाना सुनिश्चित करें।

8– आवासीय परिसर का अलग कनेक्शन होने पर इस मीटर के आधार पर व्यय का भुगतान किया जाय । पूर्व में भी आवासीय भवनों में मीटर/सब मीटर लगवाये जाने के निर्देश निर्गत किये गये हैं । अतः प्रत्येक आवासीय भवनों में एक–एक सब मीटर लगवाया जाये।

9– विद्युत व्यय वसूली हेतु एक रजिस्टर बनाया जाय, जिसमें प्रत्येक आवास हेतु एक पृष्ठ आवंटित किया जाय । आवासों में लगवाये गये सब–मीटर की रीडिंग के आधार पर आवासियों से विद्युत देयों की वसूली की जाय। वसूल की गई धनराशि विद्युत विभाग से प्राप्त होने वाले विद्युत बिल के सापेक्ष पावर कारपोंरेशन को भुगतान किया जाय। स्ट्रीट लाइट का व्यय सरकारी/आवंटित बजट से किया जाय।

संलग्नकः

1— निदेशक (वाणिज्य) का पत्र संख्या—143/
मु०अ०(वा०एवं ऊ०ले०)/वा०—1
दिनांक 25—6—2011

2— शासन का पत्र दिनांकित 29—4—2011

भवदीय,
ह०/—
( सुलखान सिंह )
अपर पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय,
उत्तर प्रदेश।

संख्या तथा दिनांक वही ।

1— प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषितः—

(1) पुलिस महानिदेशक के सहायक मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ० प्र० लखनऊ।

(2) गोपनीय सहायकः— अपर पुलिस महानिदेशक, भवन एवं कल्याण/अपर पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय/पुलिस महानिरीक्षक, प्रो० एवं बजट/पुलिस उप महानिरीक्षक, मुख्यालय/पुलिस अधीक्षक/कार्मिक''/अपर पुलिस अधीक्षक, मुख्यालय/भवन एवं कल्याण/पुलिस उपाधीक्षक, मुख्यालय/कार्मिक एवं भवन कल्याण, उ० प्र० पु० मुख्यालय ।

(3) कार्यालय अधीक्षक, मुख्यालय/कार्मिक/भवन एवं कल्याण, उ०प्र० पुलिस मुख्यालय।

2— प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

अनुभाग अधिकारीः—अनुभाग— 3/ख, 11, एवं 13 पु० मु० इलाहाबाद ।

## mRrj Án'k iqfyl eq[;ky;] bykgkckn

la[;k%ckjg&14&69] fnukd% fnlEcj] 2011

सेवा में,

1– समस्त विभागाध्यक्ष, पुलिस विभाग, उत्तर प्रदेश ।

2– समस्त कार्यालयाध्यक्ष, पुलिस विभाग, उत्तर प्रदेश ।

विषयः– पुलिस एवं पी०ए०सी० के सरकारी आवासीय एवं अनावासीय भवनों में अलग–अलग कनेक्शन(संयोजन) कराये जाने के सम्बन्ध में ।

––––

उपर्युक्त विषयक कृपया पुलिस मुख्यालय के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 08–07–2011 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके व्दारा पुलिस/पीएसी० के आवासीय एवं अनावासीय परिसरों में पृथक– पृथक विद्युत कनेक्शन(संयोजन) की व्यवस्था कराने विषयक शासन के पत्र संख्या– 2015/6–पु–7–11–5 बजट/2011, दिनांक 29–4–2011 के परिप्रेक्ष्य में स्थानीय विद्युत विभाग के अधिकारियों से सम्पर्क कर अपने समस्त आवासीय एवं अनावासीय परिसरों हेतु अलग–अलग विद्युत कनेक्शन(संयोजन) कराये जाने हेतु निदेशित किया गया है ।

2– पुलिस/पीएसी० के आवासीय एवं अनावासीय परिसरों में पृथक– पृथक विद्युत कनेक्शन(संयोजन) न होने के कारण जहाँ विद्युत विभाग का बकाया बढ़ता जा रहा है, वहीं राजकीय कोष की भी हानि हो रही है तथा पुलिस कर्मियों में अवैध रूप से विद्युत खपत सम्बन्धी गलत प्रथा का प्रादुर्भाव भी बढ़ता रहा है ।

3– ज्ञातव्य है कि इस सम्बन्ध में निदेशक (वाणिज्य), उ०प्र० पावर कार्पोरेशन, लिमिटेड, शक्ति भवन विस्तार(चतुर्थ तल), 14–अशोक मार्ग, लखनऊ व्दारा भी अपने पत्र संख्या–143/मु०अ० (वा०एवं ऊ०ले०)/ वा०–1 दिनांक 25–6–2011 (छायाप्रति संलग्न) के माध्यम से प्रदेश के समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण) विद्युत वितरण क्षेत्रों को जनपद में स्थित पुलिस एवं पी०ए०सी० के सरकारी आवासीय एवं अनावासीय परिसरों में अलग–अलग विद्युत कनेक्शन (संयोजन) लगाने हेतु निदेशित किया गया है।

4– अतएव समसंख्यक परिपत्र दिनांक 08–07–2011 के अनुपालन में पुलिस एवं पी०ए०सी० के सरकारी अनावासीय एवं आवासीय परिसरों में लगवाये गये अलग–अलग

विद्युत कनेक्शनों (संयोजनों) के सम्बन्ध में अनावासीय एवं आवासीय भवनों के नाम सहित सूचना पुलिस मुख्यालय को दिनांक 15–12–2011 तक निश्चित रूप से पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें । भेजी जा रही सूचना में यह भी स्पष्ट किया जाय कि पृथक–पृथक विद्युत कनेक्शन(संयोजन) के पहले वसूली गई धनराशि एवं लगवाये गये विद्युत मीटरों के आधार पर हो रही वसूली में कितनी धनराशि का अन्तर आ रहा है।

भवदीय,

ह०/–

( बी०एन० सिंह )

पुलिस उप महानिरीक्षक, मुख्यालय,

उत्तर प्रदेश।

v/k;k;&7 dk lyXud&29 ¼2½

# mRrj Áns'k iqfyl eq[;ky;] bykgkckn

l[;k%ckjg&14&69] fnukad% fnlEcj] 2011

सेवा में,

1— समस्त विभागाध्यक्ष, पुलिस विभाग, उत्तर प्रदेश ।

2— समस्त कार्यालयाध्यक्ष, पुलिस विभाग, उत्तर प्रदेश ।

विषयः— पुलिस एवं पी०ए०सी० के सरकारी आवासीय एवं अनावासीय भवनों में अलग—अलग कनेक्शन(संयोजन) कराये जाने के सम्बन्ध में ।

————

उपर्युक्त विषयक कृपया पुलिस मुख्यालय के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 08—07—2011 एवं अनुस्मारक पत्र दिनांक 03—12—2011 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके अनुपालन में पुलिस एवं पी०ए०सी० के सरकारी अनावासीय एवं आवासीय परिसरों में लगवाये गये अलग—अलग विद्युत कनेक्शनों (संयोजनों) के सम्बन्ध में अनावासीय एवं आवासीय भवनों के नाम सहित सूचना एवं पृथक—पृथक विद्युत कनेक्शन(संयोजन) के पहले वसूली गई धनराशि एवं लगवाये गये विद्युत मीटरों के आधार पर हो रही वसूली में धनराशि के अन्तर से पुलिस मुख्यालय को दिनांक 15—12—2011 तक निश्चित रूप से उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है ।

2— पुलिस/पीएसी० के आवासीय एवं अनावासीय परिसरों में पृथक—पृथक विद्युत कनेक्शन(संयोजन) की व्यवस्था के सम्बन्ध में शासन के पत्र संख्या—2015/6—पु—7—11—5 बजट/2011, दिनांक 29—4—2011 के अनुपालन हेतु अनुस्मारक प्राप्त हो रहें हैं ।

3— इस सम्बन्ध में स्पष्ट करना है कि आवासीय परिसर का अलग कनेक्शन होने पर विद्युत विभाग द्वारा लगाये गये आवासीय मीटर के आधार पर व्यय का भुगतान किया जाय एवं प्रत्येक आवासीय भवनों में एक—एक सब मीटर लगवाया जाये।

4— यह भी स्पष्ट करना है कि आवासीय/अनावासीय भवनों में पृथक—पृथक विद्युत कनेक्शन(संयोजन) की व्यवस्था हेतु मात्र पत्र व्यवहार पर ही निर्भर रहना

कदाचित उचित नही होगा । अतएव आवासीय/अनावासीय भवनों में स्थानीय विद्युत विभाग के अधिकारियों से अधिकारी स्तर पर व्यक्तिगत सम्पर्क कर अपने अधीनस्थ समस्त आवासीय एवं अनावासीय परिसरों हेतु अलग–अलग विद्युत कनेक्शन(संयोजन) कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

5– इस सम्बन्ध में अपर पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय व्दारा परिपत्र दिनांकित 08–07–2011 के सन्दर्भ में क्लोज मानीटरिंग की जा रही है । अतः इस सम्बन्ध में उच्च स्तर पर कार्यवाही करते हुए प्रत्येक सप्ताह कृत कार्यवाही की प्रगति से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

6– अतएव पुनः अनुरोध है कि कृपया स्थानीय विद्युत विभाग के अधिकारियों से उच्च स्तर पर व्यक्तिगत सम्पर्क कर अपने अधीनस्थ समस्त आवासीय एवं अनावासीय परिसरों हेतु अलग–अलग विद्युत कनेक्शन(संयोजन) कराया जाना सुनिश्चित करें। दिनांक 15–12–2011 से प्रथम सप्ताह प्रारम्भ माना जायेगा । प्रत्येक सप्ताह निम्नांकित प्रारूप में सूचना पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें:–

| अनावासीय भवनों की संख्या के अनुसार | | आवासीय परिसर के भवनों की संख्या के अनुसार | | आवासीय परिसर में मीटर लगने के पश्चात उनकी संख्या के अनुसार lc&eh Vj | | आवासीय रजिस्टर बना या नही | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| मीटर लगा | मीटर नही लगा | मीटर लगा | मीटर नही लगा | मीटर लगा | मीटर नहीं लगा | हाँ | नहीं |
| | | | | | | | |

7– प्रकरण को कृपया शीर्ष वरीयता प्रदान की जाय ।

भवदीय,

ह०/–

( आशीष गुप्ता )

पुलिस महानिरीक्षक, प्रो० एवं बजट,

उत्तर प्रदेश।

l[;k rFkk fnukd ogh

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया अपने अधीनस्थ जनपदों/इकाइयों को अपेक्षित सूचना पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध

कराये जाने हेतु अपने स्तर से भी समुचित निर्देश निर्गत करने का कष्ट करें:–

1– समस्त पुलिस महानिरीक्षक/उप महानिरीक्षक,परिक्षेत्र,उ०प्र०।

2– समस्त पी०ए०सी०,जोन/पी०ए०सी० सेक्टर,उ०प्र० ।

l:[;k rFkk fnukd ogh

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषितः–

1– पुलिस महानिदेशक के सहायक मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ०प्र०, लखनऊ।

2– गोपनीय सहायकः–अपर पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय, अपर पुलिस महानिदेशक, भवन एवं कल्याण/पुलिस महानिरीक्षक, प्रो० एवं बजट/ पुलिस उप महानिरीक्षक, मुख्यालय/ स्थापना, पुलिस अधीक्षक, कार्मिक/अपर पुलिस अधीक्षक, मुख्यालय /भवन एवं कल्याण/ पुलिस उपाधीक्षक, मुख्यालय/कार्मिक एवं भवन कल्याण, उ० प्र० पु० मुख्यालय।

3– अनुभाग अधिकारीः–अनुभाग– 3/ख 11 एवं 13 पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद।